भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वेतन से स्रोत पर कर की कटौती आयकर कटौती

परिपत्र सं. 01/2019

नर्इ दिल्ली, 1 जनवरी, 2019

सूची

पैरा नं.		पृष्ठ नं.
1.	सामान्य	1
2.	वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार आयकर की दरें	1
	2.1 कर की दरें	1
	2.2 आयकर का अधिभार	2
	2.3.1 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	3
3.	वेतन से स्रोत पर कर कटौती की विस्तृत योजना	3
	3.1 कर गणना की विधि	3
	3.2 नियोक्ता द्वारा गैर-मौद्रिक रियायत पर कर का भुगतान	3
	3.2.1 औसत आय कर की गणना	3
	3.3 एक से अधिक नियोक्ता से वेतन	4
	3.4 राहत जब वेतन बकाया या उधार में दिया जाता हो	4
	3.5 किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय से संबंधित सूचना	4
	3.6 शीर्षक "गृह संपत्ति से आय" के अंतर्गत आय की गणना	5
	3.7 अतिरिक्त या कम कटौती का समायोजन	6
	3.8 विदेशी मुद्रा में दिया गया वेतन	6
4.	कर की कटौती और अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	6
	4.1 अधिनियम की धारा 204 की व्यवस्था	6
	4.2 धारा 192 के अंतर्गत वेतन से कटौती की जाने के लिए निर्धारित कर	7
	4.3 कम दर पर कर की कटौती	7
	4.4 कर कटौती की जमा	7

	4.4.1 टीडीएस के भुगतान के लिए नियत तिथियां	7
	4.4.2 टीडीएस के भुगतान की विधि	7
	4.5 कर कटौती को जमा करने में असफल होने पर ब्याज, शुल्क, जुर्माना व अभियोजन	8
	4.6 कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र की प्रस्तुति (धारा 203)	9
	4.7 पैन और टैन का अनिवार्य उद्धृतीकरण	12
	4.8 कर्मचारी (धारा 206कक) द्वारा पैन की प्रस्तुति की अनिवार्य आवश्यकता	12
	4.9 धारा 200(3) के अंतर्गत कर की कटौती का विवरण (टीडीएस का त्रैमासिक विवरण)	13
	4.10 पेंशन से आय पर टीडीएस	14
	4.11 अनिवासी की स्थिति में किए गए टीडीएस से संबंधित मामले	15
5.	शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत आय की गणना	15
	5.1 शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत वसूलनीय आय	15
	5.2 "वेतन", "रियायत" और "वेतन के स्थान पर लाभ" की परिभाषा (धारा 17)	15
	5.3 शीर्षक "वेतन"(छूट) के अंतर्गत शामिल न होने वाली आय	24
	5.4 वेतन से आय के रूप में अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कटौती	29
	5.5 अधिनियम के अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौतियाँ	30
6.	रू. 3.5 लाख तक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए रू. 2500 की छूट (धारा 87क)	42
7.	अनुमोदित पेंशन कोष से अंशदान और प्राधिकृत भविष्य निधि के अंतर्गत संचित शेष के भुगतान पर टीडीएस	42
8.	दावा की प्रमाणिकता के लिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए डीडीओएस	44
9.	काटे जाने वाले आयकर की गणना	44
10.	विविध	45

परिशिष्ट

I.	कुछ उदाहरण	47-59
II.	प्रपत्र सं. 12खक	60-61
IIक	प्रपत्र सं. 12खख	62-63
III.	कटौतीकर्ता/संग्राहक द्वारा त्रैमासिक र्इ-टीडीएस/टीसीएस की प्रस्तुति के लिए संशोधित प्रक्रिया	64-65
IV	प्रपत्र 24छ को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	66-72
V	राज्य सरकार के विभाग/केंद्र सरकार के विभाग की स्थिति में प्रपत्र 24छ को दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	73
VI	धारा 200(3) के अंतर्गत कर की कटौती के त्रैमासिक विवरण को तैयार करने की प्रक्रिया	74-76
VII	आर्थिक मामला विभाग अधिसूचना दिनांक 22.12.2013	77

VIII	बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 24.11.2000	78-79
IX	बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 29.01.2001	80
X	प्रपत्र सं. 10खक	81

परिपत्र सं. 01/2019

एफ.नं. 275/192/2018-आर्इटी (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

*****

नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली,
दिनांक 1 जनवरी, 2019

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन से आयकर कटौती

परिपत्र सं. 29/2017, दिनांक 5-12-2017 के लिए संदर्भ आमंत्रित हैं जिसके द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात 'अधिनियम') की धारा 192 के अंतर्गत शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरों की सूचना दी गर्इ थी। वर्तमान परिपत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत वसूलनीय आय के भुगातन से आयकर की कटौती की दरें शामिल हैं और अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 (तत्पश्चात् नियम) की व्याख्या करती है। प्रासंगिक अधिनियम, नियम प्रपत्र और अधिसूचना आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

2. वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार आयकर की दरें

वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार आयकर निम्नलिखित दरों पर वित्त वर्ष 2018-19 (यानी निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत वसूलनीय आय से अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत काटा जाना आवश्यक है :

2.1 कर की दरें

क. कर की सामान्य दरें :

क्र.सं.	**कुल आय**	**कर की दर**
1	जहां कुल आय रू. 2,50,000/- से अधिक नहीं होती	शून्य
2	जहां कुल आय रू. 2,50,000 से अधिक होती है लेकिन रू. 5,00,000 से अधिक नहीं होती	राशि का 5 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 2,50,000/- से अधिक होती है
3	जहां कुल आय रू. 5,00,000 से अधिक होती है लेकिन रू. 10,00,000 से अधिक नहीं होती	रू. 12,500/- साथ ही राशि का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 5,00,000/- से अधिक होती है
4	जहां कुल आय रू. 10,00,000/- से अधिक होती है	रू. 1,12,500/- साथ ही राशि का 30 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 10,00,000/- से अधिक होती है

ख. प्रत्येक व्यक्ति, भारत का निवासी जो वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है लेकिन अस्सी वर्ष से कम है उसके लिए कर की दरें।

क्र.सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय रू. 3,00,000/- से अधिक नहीं होती	शून्य
2	जहां कुल आय रू. 3,00,000 से अधिक होती है लेकिन रू. 5,00,000 से अधिक नहीं होती	राशि का 5 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 3,00,000/- से अधिक होती हो
3	जहां कुल आय रू. 5,00,000 से अधिक होती है लेकिन रू. 10,00,000 से अधिक नहीं होती	रू. 10,000/- साथ ही राशि का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 5,00,000/- से अधिक होती हो
4	जहां कुल आय रू. 10,00,000/- से अधिक होती है	रू. 1,10,000/- साथ ही राशि का 30 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 10,00,000/- से अधिक होती है

ग. भारत में निवासी के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति में जो वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है :

क्र.सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय रू. 5,00,000/- से अधिक नहीं होती	शून्य
2	जहां कुल आय रू. 5,00,000 से अधिक होती है लेकिन रू. 10,00,000 से अधिक नहीं होती	राशि का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 5,00,000/- से अधिक होती हो
3	जहां कुल आय रू. 10,00,000 से अधिक होती है	रू. 1,00,000/- साथ ही राशि का 20 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय रू. 10,00,000/- से अधिक होती हो

2.2 आयकर पर अधिभार :

इस पैराग्राफ के बाद के प्रावधानों के अनुसार आंके गए आयकर की राशि या अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के प्रावधान, अधिनियम की धारा 2 के वाक्यांश (31) के उप-वाक्यांश (vii) में संदर्भित प्रत्येक व्यक्ति या हिंदु अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक वैकल्पिक न्यायिक व्यक्ति की स्थिति में, निम्नानुसार होंगे :

(क) पचास लाख से अधिक की कुल आय रखता हो लेकिन एक करोड़ से अधिक न हो ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर पर और

(ख) एक करोड़ से अधिक की कुल आय रखता हो ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर पर

बशर्ते कि उक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों की स्थिति में कुल आय निम्न से अधिक हो :-

(क) पचास लाख रूपए लेकिन एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के तौर पर देययोग्य कुल राशि, आय की राशि जो पचास लाख से अधिक है, की तुलना में पचास लाख की कुल राशि पर आयकर के तौर पर देययोग्य कुल राशि से अधिक नहीं होगा

(ख) एक करोड़ रूपए, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के तौर पर देययोग्य कुल राशि आय की राशि जो एक करोड़ से अधिक है, की तुलना में एक करोड़ की कुल राशि पर आयकर के तौर पर देययोग्य कुल राशि से अधिक नहीं होगी

2.31 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को हटा दिया गया है। हालांकि, "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" के नाम से एक नया उपकर अधिभार, जहां भी लागू हो, सहित आयकर के चार प्रतिशत की दर पर लगाया जाएगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोर्इ सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 : "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की विस्तृत योजना

3.1 गणना की विधि :

प्रत्येक व्यक्ति जो शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत वसूलनीय किसी आय को देने के लिए जिम्मेदार है वह वित्त वर्ष 2018-19 के लिए शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर काटेगा। आयकर उक्त दी गरइ दरों के आधार पर आंका जाना आवश्यक है, अधिनियम की धारा 206कक के अनुसार पैन को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से संबंधित प्रावधानों के विषय पर, और प्रत्येक भुगतान के समय काटी जाएगी। हालांकि, कोरइ कर किसी स्थिति में स्रोत पर कर कटौती के लिए आवश्यक नहीं होगा जबतक रियायत की राशि सहित अनुमानित वेतन आय वित्त वर्ष के लिए रू. 2,50,000/- या रू. 3,00,000/- या रू. 5,00,000/- जो भी स्थिति हो सकती है, कर्मचारी के आयु के अनुसार, से अधिक के लिए (कर की गणना के कुछ प्ररूपी उदाहरण परिशिष्ट-I में दिए गए हैं)

3.2 नियोक्ता द्वारा रियायत पर कर का भुगतान

नियोक्ता को कर्मचारी को दिए गए गैर-मौद्रिक रियायतों पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। नियोक्ता, अपने विकल्प पर, कर्मचारी के वेतन से कोरइ टीडीएस किए बिना अपने आप ऐसे रियायतों पर कर का भुगतान कर सकता है। हालांकि, नियोक्ता को उस समय कर का भुगतान करना होगा जब ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य हो गया हो यानी की कर्मचारी के लिए शीर्षक वेतन के अंतर्गत वसूलनीय आय के भुगतान के समय

3.2.1 औसत आय कर की गणना :

उक्त पैरा 3.2 में निर्दिष्ट कर के भुगतान करने के लिए, कर वित्त वर्ष के लिए प्रभावी दर के आधार पर आंके गए आयकर के औसत पर निर्धारित किया जाना है, शीर्षक वेतन के अंतर्गत वसूलनीय आय, रियायत की राशि सहित जिसके लिए कर अपने आप नियोक्ता द्वारा दिया गया है।

3.2.2 उदाहरण :

सभी रियायतों सहित वर्ष के लिए साठ वर्ष की आयु से कम के एक कर्मचारी की शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत वसूलनीय आय रू. 4,50,000/- है जिसमें से रू. 50,000/- गैर-मौद्रिक रियायत के कारण है और नियोक्ता को उक्त पैरा 3.2 में चर्चित प्रावधानों के अनुसार ऐसे रियायत पर कर देने को चुनता हो।

चरण

सभी रियायतों सहित शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत वसूले जाने वाली आय	रू. 4,50,000/-
कुल वेतन पर कर (उपकर सहित)	रू. 10,400/-
कर की औसत दर [(10,400/4,50,000)x100]	2.31 प्रतिशत
रू. 50,000/- पर देययोग्य कर (50,000 का 2.31 प्रतिशत)	रू. 1155/-
प्रत्येक महीने जमा किए जाने वाली आवश्यक राशि	रू. 96(रू. 96.25) = 1155/12

नियोक्ता द्वारा दिया गया ऐसा कर कर्मचारी के वेतन से किए गए टीडीएस होने के तौर समझा जाएगा

3.3 एक से अधिक नियोक्ता द्वारा वेतन

धारा 192(3) उस स्थिति के साथ व्यवहार करती है जहां एक व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ताओं के अंतर्गत कार्य करता है या एक कर्मचारी जो एक से अधिक नियोक्ता से वेतन को प्राप्त करता है या प्राप्त कर रहा है, से दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। यह कर्मचारी, जो एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त करता हो या किया हो, के कुल वेतन से ऐसे नियोक्ता (जैसा करदाता चुने) द्वारा स्रोत पर कर की कटौती मुहैया कराता है। कर्मचारी को अब पूर्व/अन्य नियोक्ता से प्राप्त या शेष प्रमुख "वेतन" के अंतर्गत आय के वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता विवरणों को प्रस्तुत करना और पूर्व/अन्य नियोक्ता द्वारा और उसके द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और लिखित में वहां से स्रोत पर कर कटौती भी आवश्यक है। वर्तमान/चुना हुआ नियोक्ता को वेतन की कुल राशि (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) पर स्रोत पर कर कटौती आवश्यक होगी।

3.4 राहत जब वेतन बकाए या उधार में दिया जाता है :

3.4.1 धारा 192(2क) के अंतर्गत निर्धारिती, एक सरकारी कर्मचारी, एक कंपनी, सहकारी संस्था, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्थान, संघ या निकाय के तौर पर, धारा 89 के अंतर्गत राहत का हकदार है। वह पैरा (3.1) में संदर्भित भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है, प्रपत्र सं. 10ड़ में ऐसे विवरण विधिवत रूप से उसके द्वारा सत्यापित होते है और इसके बाद जिम्मेदार व्यक्ति, उक्तकथितानुसार, ऐसे विवरणों के आधार पर राहत की गणना करेगा और उक्त पैरा (3.1) के अंतर्गत कटौती करने में विचारनीय होगा।

यहा "विश्विद्यालय" का अर्थ एक केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा संस्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और उस अधिनियम हेतु विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित संस्थान शामिल है।

3.4.2 : 1/04/2010 (निर्धारण वर्ष 2010-11) से एक निर्धारिती के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या योजनाओं के अनुसार उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या उसके सेवा की समाप्ति पर प्राप्त या प्राप्त होने वाली किसी राशि के संबंध में ऐसी राहत नहीं दी जाएगी या धारा 10(10ग)(i) (नियम 2खक के साथ पठित) में संदर्भ की गरइ एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थिति में, स्वेच्छा से अलग होने की योजना, यदि उसकी सेवा की ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति पर प्राप्त या प्राप्त होने वाली किसी राशि के संबंध में छूट या ऐसे या अन्य किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 10(10ग) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा स्वैच्छिक पृथकीकरण का दावा किया गया हो।

3.5 किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय से संबंधित सूचना :

(i) धारा 192 (2ख) ऐसे करदाता को उसी वित्त वर्ष तथा उस पर स्रोत पर कर कटौती के लिए करदाता द्वारा प्राप्त "वेतन" (शीर्षक "गृह संपत्ति से वेतन के अंतर्गत नुकसान को छोड़कर ऐसे विषय के अंतर्गत नुकसान के तौर पर नहीं) को छोड़कर अन्य किसी विषय के अंतर्गत वेतन का विवरण को प्रस्तुत करने में सक्षम करती हैं। विवरण साधारण विवरण में भी प्रस्तुत किया जा सकता है जो नियम के नियम 26ख (2) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से करदाता द्वारा उचित तरह से हस्ताक्षतरित अथवा सत्यापित हो और साधारण विवरण के अनुसार संबद्ध किया जाएगा। सत्यापन का प्रपत्र निम्नानुसार पुन:प्रस्तुत किया जाना है :

मैं...(निर्धारिती का नाम), घोषणा करता हूं कि उक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है

इस बात को दोहराया जाता हैं कि डीडीओ केवल "गृह संपत्ति से आय" विषय के अंतर्गत ही किसी भी नुकसान पर विचार कर सकते हैं। अन्य किसी भी विषय के अंतर्गत हुए नुकसान पर वसूले जाने वाले कर की राशि की गणना के लिए डीडीओ द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि शीर्षक "गृह संपत्ति से आय" के अंतर्गत हानि को वित्त अधिनियम, 2017 के मार्फत अधिनियम की धारा 71 के लिए संशोधन को देखते हुए आय के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय के साथ रू. 2.00 लाख तक ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, रू. 2 लाख के अतिरिक्त शीर्षक "गृह संपत्ति से आय" के अंतर्गत हानि को कर कटौती की राशि की गणना के लिए नजरअंदाज किया जाना है।

3.6 भवन संपत्ति से आय विषय के अंतर्गत आय का ब्यौरा

भवन संपत्ति द्वारा नुकसान पर विचार करने के दौरान डीडीओ को सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी फाइल, ऊपर किए गए घोषणा को संदर्भित करें, तथा भवन संपत्ति से ऐसे नुकसान की गणना के अतिरिक्त संलग्न करना होगा। निम्नलिखित विवरण प्रत्येक भवन संपत्ति के लिए पृथक रूप से भवन संपत्ति से आय विषय के अंतर्गत किए जाने वाले नुकसान के दावे के संबंध में नियोक्ता द्वारा प्राप्त अथवा रखा जा सकता है।

क) सकल वार्षिक किराया/मूल्य

ख) नगरपालिका कर भुगतान, यदि हो

ग) ब्याज भुगतान, यदि हो, हेतु दावे में कटौती

घ) अन्य दावों का भुगतान

ड़) संपत्ति का पता

डीडीओ धारा 192 (2घ) के साथ पठित नियम 26ग में निर्दिष्टानुसार ब्याज की कटौती के संबंध में प्रपत्र 12खख में प्रमाण या विवरणों की प्रस्तुति को भी सुनिश्चित करेगा।

3.6.1 भवन संपत्ति से आय की गणना के लिए उधार ली गरइ पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए शर्ते :

अधिनियम की धारा 24 (ख) निम्नानुसार उधार ली गरइ पूंजी पर ब्याज पर भवन संपत्ति से प्राप्त आय से कटौती की स्वीकृति देता हैं :

(i) कटौती उस स्थिति में लागू होगी जब भवन संपत्ति उसके द्वारा खरीदी जाए तथा कर्मचारी स्वयं के रहने के लिए उसका प्रयोग करें। हालांकि, रोजगार के अन्य स्थान पर होने के कारण को देखते हुए संबंधित संपत्ति वास्तविक तौर पर कर्मचारी द्वारा प्रयोग नहीं की जाती

(ii) कटौती का भाग निम्न तालिका के अनुसार स्वीकार्य होगा

क्र.सं.	उधार ली गर्इ पूंजी का उद्देश्य	उधार ली गर्इ पूंजी की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य कटौती
1	भवन की मरम्मत अथवा नवीकरण अथवा पुन:निर्माण	किसी भी समय	रू. 30,000/-
2	भवन का अर्जन अथवा निर्माण	01.04.1999 से पहले	रू. 30,000/-
3	भवन का अर्जन अथवा निर्माण	01.04.1999 को अथवा इसके बाद	रू. 1,50,000/- (निर्धारण वर्ष 2014-15 तक) रू. 2,00,000/- (निर्धारण वर्ष 2015-16 से प्रभावी)

उक्त क्रम सं. 3 की स्थिति में

(क) भवन का अर्जन अथवा निर्माण उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के भीतर होना चाहिए जिसमें पूंजी उधार ली गर्इ हैं। अत: डीडीओ के लिए यह आवश्यक है कि वह उस संपत्ति का समाप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करे जिसके लिए कर्मचारी द्वारा स्व: घोषणा आधार पर अथवा निर्माणकर्ता द्वारा कटौती का दावा किया गया हैं

(ख) इसके आगे वित्त वर्ष से वित्त वर्ष, जिसमें संपत्ति अर्जित अथवा निर्माण (अधिनियम की अन्य कोर्इ धारा के अंतर्गत कटौती के तौर पर स्वीकार्य ब्याज के किसी भी भाग द्वारा कम) किया गया है, के लिए अग्रिम अवधि ब्याज उस साल तथा आगामी चार वित्त वर्षों में वित्त वर्ष के लिए समान किस्तों में काटी जाएगी।

(ग) कर्मचारी को डीडीओं के समक्ष उस व्यक्ति द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसे देययोग्य ब्याज की राशि को निर्दिष्ट करते हुए उधार ली गर्इ राशि पर कोर्इ ब्याज देय हैं। यदि पुराने ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लिया गया है तो ऐसे चुकाए गए मूलधन तथा ब्याज के विवरण को दर्शाते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

पैरा 4.6.5 में चर्चितानुसार नियम 26ग के साथ पठित धारा 192(2घ) के अंतर्गत कटौतीपूर्ण ब्याज के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों/प्रमाणों को प्राप्त करने करना डीडीओ के लिए अनिवार्य है

(i) देययोग्य या दिया गया ब्याज

(ii) ऋणदाता का नाम

(iii) ऋणदाता का पता

(iv) ऋणदाता का पैन

ऋणदाता, वित्तीय संस्थान या नियोक्ता के तौर पर, का पैन अनिवार्य है यदि कर्मचारी के साथ उपलब्ध है हालांकि पैन को प्राप्त करने वाले अन्य ऋणदाता के मामले में पैन डीडीओ द्वारा अनिवार्य है

3.7 कटौती का अधिकता अथवा कमी हेतु समायोजन

धारा 192 (3) के प्रावधान कटौती करने वाले को यह अधिकार देते हैं कि वह वित्त वर्ष के दौरान पहले से किए गए कर की कटौती में किसी अधिकता या कमी का समायोजन कर सके, संबधित वर्ष के भीतर संबंधित कर्मचारी के लिए आगामी कटौती

3.8 विदेशी मुद्रा में दिया गया वेतन :

विदेशी मुद्रा में देययोग्य वेतन पर कर की कटौती के उद्देश्य के लिए ऐसे वेतन की रूपए में कीमत स्रोत से आपेक्षित कटौती वाले कर की तिथि के अनुसार ऐसी मुद्रा के "तार अंतरण क्रय दर" के आधार पर आंकी जाएगी। (नियम 26 देखें)

4. कर तथा अपने अधिभार की कटौती हेतु उत्तरदायी व्यक्ति

4.1 अधिनियम की धारा 204 (i) के अनुसार भुगतान, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा भुगतान को छोड़कर के संदर्भ में धारा 192 के उद्देश्य के लिए "भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति" का अर्थ स्वयं नियोक्ता अथवा यदि नियोक्ता कंपनी हो तो, उसके प्रधान अधिकारी सहित स्वंय कंपनी होगा। इसके आगे, धारा 204 (iv) के अनुसार, ऋण के संबंध में, अथवा जो भी स्थिति हो, भुगतान केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, डीडीओ अथवा

अन्य किसी व्यक्ति जो भी नाम हो, ऋण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अथवा जो भी स्थिति हो, धारा 192 के उद्देश्य के लिए "भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" ऐसी रकम का भुगतान करेगा।

4.2 पैरा 9 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत वेतन से वसूला जाना चाहिए।

4.3 न्यूनतम दर पर कर कटौती

नियोक्ता के क्षेत्राधिकार के टीडीएस अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रपत्र सं. 13 में उनके समक्ष परिपूरित आवेदन की प्रतिक्रिया में अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत कर की कोइ कटौती न होने अथवा न्यूनतम कटौती का प्रमाणपत्र जारी करें तो डीडीओ को ऐसे प्रमाणपत्र पर विचार करना चाहिए तथा यहां निर्दिष्ट दरों पर देययोग्य वेतन पर कर वसूलना चाहिए। (नियम 28 कक देखें) प्रमाणपत्र की विशिष्ट पहचान संख्या टीडीएस के त्रैमासिक विवरण में सूचना देना आपेक्षित हैं। (प्रपत्र 27 थ)

4.4 कर कटौती को जमा करना

केंद्र सरकार खाते के स्रोत पर कर कटौती के भुगतान की विधि तथा समय के लिए नियम 30 को संदर्भित करें

4.4.1 टीडीएस के भुगतान के लिए नियत तिथि

केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस जमा कराने हेतु भुगतान/जमा करने का समय निम्नानुसार हैं:-

क) सरकारी कार्यालय की स्थिति में

क्र.सं.	विवरण	समय जब तक जमा किया जाना हैं
1	बिना चालान कर भुगतान (पुस्तक प्रविष्टि)	उसी दिन
2	चालान सहित कर भुगतान	अगले महीने का 7वां दिन
3	नियोक्ता द्वारा जमा किये जाने हेतु चुने गए आधार पर कर भुगतान	अगले महीने का 7वां दिन

ख) सरकारी कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में

क्र.सं.	विवरण	समय जब तक जमा किया जाना हैं
1	मार्च में कर कटौती	अगले वित्त वर्ष की 30 अप्रैल
2	किसी अन्य माह में कर कटौती	अगले महीने का 7वां दिन
3	नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने हेतु चुने गए अनुलाभ पर कर	अगले महीने का 7वां दिन

हालांकि, यदि डीडीओ अधिनियम 192 के अंतर्गत डीटीएस के त्रैमासिक भुगतान के स्वीकृति हेतु क्षेत्राधिकार/संयुक्त आयकर आयुक्त के समक्ष आवेदन करता है तो नियम 30(3) त्रैमासिक आधार तथा निम्न तालिका में दिए गए समय के अनुसार इसके भुगतान का अधिकार देता है :-

क्र.सं.	वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही	तिमाही भुगतान की तिथि
1	30 जून	7 जुलाइ
2	30 सितम्बर	7 अक्तूबर
3	31 दिसंबर	7 जनवरी
4	31 मार्च	अगले वित्त वर्ष की 30 अप्रैल

4.4.2 टीडीएस के भुगतान की विधि

4.4.2.1 धारा 200(2क) के अन्तर्गत पुस्तक प्रविष्टि द्वारा टीडीएस के भुगतान की स्थिति में पीएओ, निधि अधिकारी द्वारा अनिवार्य विवरण का ब्योरा

सरकारी कार्यलय, जहां चालान (पुस्तक प्रविष्टि) की प्रस्तुति के बिना केंद्र सरकार को ऋण के तौर पर कर का भुगतान किया जाना हैं, की स्थिति में वेतन और लेखा अधिकारी अथवा निधि अधिकारी अथवा आहरित चेक तथा संवितरण अधिकारी अथवा अन्य किसी नाम का कोइ व्यक्ति जिसे ऋण काटने वाला कर कटौती के बारे में सूचित करता है अथवा केंद्र सरकार के ऋण में ऐसी राशि को डालने वाला

(क) 30 अप्रैल को या उससे पहले धारा 200(2क) के अंतर्गत प्रपत्र सं. 24छ में विवरण को जमा करें जहां विवरण मार्च महीने से संबंधित हो और अन्य किसी स्थिति में, कर कटौती करने वाले के द्वारा कर कटौती के संबंध में आयकर महानिदेशक (पद्धति) (टिन सुविधा सेवा केंद्र वर्तमान में मैसर्स राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. द्वारा व्यवस्थित की जाती है) द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी में प्रासंगिक महीने के अंत में 15 दिनो में या उससे पहले और उस महीने के लिए उसे सूचित करना; और

(ख) कटौती की राशि के ऋण के संबंध में प्रत्येक कटौती करने वाले को एजेंसी द्वारा जनित संख्या (पुस्तक पहचान संख्या अथवा बिन के अनुसार) को सूचित करना चाहिए। बिन में प्रपत्र 24छ की पावती संख्या, प्रपत्र संत्र 24छ में डीडीओ अनुक्रम संख्या तथा कर के भुगतान की तिथि शामिल हैं।

यदि पीएओ/सीडीडीओ/टीओ आदि जैसा ऊपर निर्दिष्ट हैं, धारा 200(2क) के अंतर्गत आपेक्षितानुसार विवरण को पहुंचाने में विफल होते हैं तो धारा 272(2)(ड) के अंतर्गत जुर्माने के तौर पर जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे जो रू. 100/- प्रतिदिन होगा जबतक विफलता जारी रहती हैं। हालांकि, ऐसे जुर्माने की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो स्रोत पर कर कटौती हेतु कटौतीपूर्ण हैं।

प्रपत्र 24छ के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट III में शामिल हैं। पीएओ/डीडीओ को पालन किए जाने वाले सही प्रक्रिया को समझने के लिए परिशिष्ट IV में एफएक्यू को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्रेंद सरकार मंत्रालय के जेडएओ/पीएओ अधिकारी मासिक आधार पर प्रपत्र सं. 24छ को दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार के विभागों की स्थिति में प्रपत्र सं. 24छ को दाखिल करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का विवरण परिशिष्ट V में दिया गया हैं।

प्रपत्र 24छ के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट IV. में दिया गया हैं। पीएओ/डीडीओ को पालन किए जाने वाले सही प्रक्रिया को समझने के लिए उसमें दिए गएं एफएक्यू को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

4.4.2.2 आयकर चालान द्वारा भुगतान

(i) आयकर चालान द्वारा भुगतान किए जाने की स्थिति में ऐसे कटौतीयोग्य कर की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा अथवा अन्य किसी प्राधिकृत बैंक में उक्त पैरा 4.4.1 की तालिका में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रेषण द्वारा केंद्र सरकार के ऋण को जमा किया जा सकता है।

(ii) कंपनी तथा व्यक्ति (कंपनी को छोड़कर) जिस पर धारा 44कख के प्रावधान लागू हो, कटौती की गरइ राशि की स्थिति में, इलैक्ट्रानिक आयकर चालान सहित भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य प्राधिकृत बैंक में इलैक्ट्रानिक प्रेषण किया जाएगा। (नियम 125)

राशि भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य प्राधिकृत बैंक में इलैक्ट्रानिक प्रेषण के तौर पर समझी जाएगी यदि राशि निम्न प्रकार से प्रेषित की जाए

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट सुविधा : अथवा

(ख) डेबिट कार्ड (नियम 30(7))

4.5 कर कटौती जमा करने के विफल रहने पर ब्याज, जुर्माना व अभियोजन

4.5.1 यदि व्यक्ति किसी भी स्रोत से कर का संपूर्ण अथवा कुछ भाग देने में असमर्थ रहता हैं तो अथवा कटौती के बाद निर्धारित समय में केंद्र सरकार के क्रेटिड में कर का संपूर्ण अथवा कुछ भाग देने में असमर्थ रहता हैं तो धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवारइ के लिए जिम्मेदार होगा तथा ऐसे कर के संबंध में निर्धारिती-दोषी के तौर पर समझा जाएगा तथा अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत कार्रवारइ के लिए उत्तरदायी होगा। आगामी धारा 201(1क) यह बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति साधारण ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) कर के वसूले जाने वाली तिथि से ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह के किसी अंश के लिए 1 प्रतिशत की दर पर तथा

(ii) प्रत्येक माह अथवा तिथि, जिस पर ऐसे कर का वास्तविक भुगतान किया गया था, से ऐसे कर की राशि वाले माह के किसी अंश पर एक तथा डेढ़ प्रतिशत

ऐसा ब्याज, वसूलनीय, अनिवार्य प्रकृति का हैं तथा संबंधित त्रैमासिक हेतु टीडीएस के त्रैमासिक विवरण के प्रस्तुतीकरण पर देय होगा।

ऐसा ब्याज, वसूलनीय, अनिवार्य प्रकृति का हैं तथा संबंधित त्रैमासिक हेतु टीडीएस के त्रैमासिक विवरण के प्रस्तुतीकरण पर देय होगा।

4.5.2 धारा 271ग साथ-साथ नीचे दर्शाती हैं कि यदि कोरइ व्यक्ति धारा 194 ख के दूसरे प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण कर अथवा कर के किसी अंश अथवा सभी स्रोत से संपूर्ण कर अथवा कुछ अंश के भुगतान में असमर्थ

रहता हैं तो कर की राशि के समान कुल राशि को जुर्माने के तौर पर देना होगा जो जिसका उसने भुगतान अथवा कटौती न की हो।

4.5.3 आगे, धारा 276ख यह दर्शाती हैं कि यदि कोर्इ व्यक्ति, धारा 194ख के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत सभी स्रोतों से कर की कटौती अथवा स्वयं के कर भुगतान, उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार को केंटिड का भुगतान करने में असफल रहता हैं तो वह एक अवधि, जो जुर्माने सहित 3 माह से 7 साल के बीच हो सकती हैं, सश्रम कारावास के साथ दंडित किया जाएगा।

4.6 कर कटौती हेतु प्रमाण पत्र की प्रस्तुति (धारा 203)

4.6.1 धारा 203 के अनुसार डीडीओ द्वारा कर्मचारी को टीडीएस की राशि के ब्यौरे तथा अन्य विवरण वाले प्रपत्र 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आपेक्षित हैं। नियम 31 का प्रावधान हैं कि प्रपत्र 16 कर्मचारी को उस वित्त वर्ष जिसमें वेतन का भुगतान तथा कर कटौती की गर्इ थी, की समाप्ति के बाद 15 जून (02.06.2017 से प्रभावी) तक दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ बैंक को पेंशन के भुगतान के समय काटे गए कर के लिए ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करना चाहिए। प्रपत्र 16 की प्रति संलग्न है। प्रपत्र 16 में प्रमाणपत्र द्वारा निर्दिष्ट होगा

(क) कटौतीदाता की वैध स्थार्इ खाता संख्या (पैन)

(ख) कटौतीदाता का वैध कर कटौती तथा संग्रह खाता संख्या (टैन)

(ग) (i) पुस्तक पहचान संख्या अथवा संख्या (बिन) जहां सरकारी कार्यालय की स्थिति में कर कटौती का जमा चालान की बिना प्रस्तुति पर हुआ।

(ii) बैंक द्वारा भुगतान की स्थिति में पुस्तक पहचान संख्या अथवा संख्या (सिन')

(चालान पहचान संख्या (सिन) का अर्थ हैं ऐसा नंबर जिसमें बैंक शाखा, जहां कर का भुगतान किया गया हैं, जिस तिथि को कर का भुगतान किया गया हैं तथा बैंक द्वारा दिए गए चालान सिरियल नंबर, का मूल सांख्यकीय विवरणी (बीएसआर) कोड शामिल हैं)*

(घ) टीडीएस का सभी प्रासंगिक त्रैमासिक ब्यौरा की प्राप्ति संख्या (24थ) त्रैमासिक ब्यौरे की संख्या की प्राप्ति 8 अंकों की होती हैं।

आगे परिपत्र 04/2013 दिनांक 17.04.2013 के अनुसार सभी कटौतीकर्त्ता (सरकारी कटौतीदाता, जो पुस्तक प्रविष्टि के द्वारा केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस जमा करते है, सहित) अध्याय XVII-ख की धारा 192 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2012 को अथवा के बाद कुल कटौती के संबंध में टीआरएसीर्इएस पोर्टल के माध्यम से जनरेट तथा तद्नुसार डाउनलोड करके तथा विधिवत सत्यापन और पुष्टि के बाद प्रपत्र सं 16 के भाग क को जारी करेगें। प्रपत्र सं. 16 के भाग क के पास विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होनी चाहिए। प्रपत्र सं. 16 के भाग ख (परिशिष्ट) हाथ से कटौतीदाता द्वारा तैयार किया जाएगा तथा प्रपत्र 16 के भाग क सहित उचित सत्यापन तथा प्रमाणीकरण के बाद कटौतीदाता को जारी किए जाऐंगे।

यह ध्यान दिया जा सकता हैं कि नर्इ टीडीएस प्रक्रिया के अंतर्गत, कटौतीकर्त्ता द्वारा दाखिल टीडीएस विवरण की प्राप्ति संख्या तथा कटौतीदाता को टैन/कटौतीदाता का पैन कटौतीकर्ता को टीडीएस के ऑनलाइन ऋण की स्वीकृति के लिए विशिष्ट पहचान के तौर पर व्यवहार कर सकता हैं। इसलिए इन ब्यौरों को दाखिल करने में उचित सावधानी रखी जानी चाहिए। टीडीएस विवरण में सही सिन/बिन नंबर को इंगित करने में भी विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए।

यदि डीडीओ धारा 203 के अनुसार आपेक्षित संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाणपत्र जारी करने में असफल रहता हैं तो धारा 272क(2)(छ) के अंतर्गत जुर्माने के तौर पर रू. 100/- प्रतिदिन जब तक यह प्रक्रिया जारी रहती हैं, भरने के लिए बाध्य होगे।

हालांकि यह स्पष्ट किया जाता हैं कि टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसी कोर्इ बाध्यता नहीं है यदि सभी स्रोतों से कर

छूट तथा कटौतियों के दावे के आधार पर काटनेयोग्य/काटा नहीं गया हो।

(नोट : ट्रेसेज आयकर विभाग का वेब आधारित एप्लीकेशन हैं जो टीडीएस प्रबंधन से जुड़े हुए सभी हितधारकों को इंटरफेस होने का मौका मुहैया कराता है। इसके द्वारा चालान की स्थिति को देखों, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड की डाउनलोडिंग, कोन्सों फाइल, दोषमुक्त रिपोर्ट तथा प्रपत्र 16/16क के साथ-साथ वार्षिक कर साख ब्यौरा (प्रपत्र 26धध) को देखा जा सकता हैं। प्रत्येक कटौतीकर्त्ता को ट्रेसेस पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना अनिवार्य हैं। कटौतीदाताओं को जारी किए गए प्रपत्र 16/16क को ट्रेसेस पोर्टल से उत्सर्जित तथा डाउनलोड करना चाहिए।

टीडीएस प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने तथा विवरण को भरने से संबंधित कुछ आवश्यक बिंदु नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं :

(क) टीडीएस प्रमाणपत्र (प्रपत्र 16) केवल कटौतीदाता के लिए उत्पन्न होंगे यदि कटौती करने वाले द्वारा तिमाही 4 में कटौतीकर्त्ता द्वारा प्रपत्र 24थ के परिशिष्ट II में वैध पैन को ठीक तरह से निर्दिष्ट किया गया हो। इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं को प्रपत्र 16 में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती हैं कि प्रपत्र 24छ/ओएलटीएएस के संबंध में "मैचिंग" की स्थिति "एफ" हो। यदि मैचिंग की स्थिति "एफ" से अलग हो तो इसे सुधारने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। यहां यह निर्दिष्ट करना उचित होगा कि कटौतीदाताओं के लिए ब्यौरे के ऑनलाइन सुधार सहित कुछ सुविधाएं वेबसाइट www.idscpc.gov.in पर उपलब्ध करार्इ गर्इ हैं।

(ख) नियोक्ता को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड आरपीयू (इसके पश्चात विवरणी निर्मित निति) के अनुसार प्रपत्र 24थ के परिशिष्ट I के स्तंभ 321 (भुगतान राशि/ऋण) में वेतन की सकल राशि (धारा 10 के अंतर्गत किसी राशि की छूट तथा अध्याय VI क के अंतर्गत कटौती सहित) उद्धृत करना चाहिए।

(ग) नियोक्ता को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड आरपीयू के अनुसार प्रपत्र 24थ के परिशिष्ट II के स्तंभ 333 में धारा 10 के अंतर्गत किसी छूट को छोड़कर वेतन राशि को उद्धृत करना चाहिए।

(घ) टीडीएस के लिए प्रस्तुत वेतन' शीर्ष को छोड़कर किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय पर (भवन संपत्ति के घाटे सहित) स्तंभ में दिखाया गया है पर टीडीएस को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड आरपीयू के अनुसार स्तंभ 350 (पिछले नियोक्ता द्वारा टीडीएस के सूचित वेतन) में दिखाया जा सकता हैं।

(ड) नियोक्ता को पूर्णांकित किए बिना परिशिष्ट II में कुल करयोग्य आय (स्तंभ 346) को उद्धृत करने की सलाह दी जाती हैं तथा टीडीएस उसके अनुसार यानि टीडीएस को भी पूर्णांकित किए बिना, काटा तथा सूचित किया जाना चाहिए।

उदाहरण :

कुल करयोग्य आय	**कुल करयोग्य आय (पूर्णांकित)**	**काटा जाने योग्य टीडीएस**	**आय के पूर्णांकित किए जाने के बाद काटा/सूचित किया गया टीडीएस**	**अल्प कटौती**
रू. 13,50,094	रू. 13,50,090	रू. 2,35,028.20	रू. 2,35,028	रू. 1.20

4.6.2 यदि निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया है तो प्रत्येक कर्मचारी को ऐसी अवधि,जिसमें

प्रत्येक नियोक्ता के साथ नियुक्त किए गए ऐसे निर्धारिती, से संबंधित प्रपत्र सं. 16 में प्रमाणपत्र के भाग क तथा भाग ख निर्धारिती के विकल्प पर पिछले नियोक्ता अथवा प्रत्येक नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकता हैं।

4.6.3. डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण

(i) जहां प्रपत्र सं. 16 में प्रमाणपत्र जारी किया जाना हैं वहां, कटौतीकर्त्ता ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता हैं।

(ii) वाक्यांश (i) के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्रों की स्थिति में निर्धारिती को सुनिश्चित करना चाहिए कि

(क) उक्त पैरा 4.6.1 में निर्दिष्ट शर्तें अनुपालन में हैं

(ख) एक बार प्रमाणपत्र के डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो जाने के पश्चात् प्रमाणपत्र की समाग्री परिवर्तनयोग्य नहीं होगी तथा

(ग) ऐसे प्रमाणपत्रों का लाग तथा नियंत्रण संख्या कटौतीकर्त्ता द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

- ♦ डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग इंटरनेट पर अधिकतर र्इ-हस्तांतरण के प्रमाणीकरण के लिए किया जा सकता हैं क्यों ंकि डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर जानकारी का हस्तांतरण असुरक्षित हैं। यह समय की बचत करता हैं विशेषकर ऐसे संगठनों में जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं क्योंकि हस्तरूपी कर कटौती वाले प्रमाणपत्र को जारी करने में काफी समय लगता है। (परिपत्र सं. 2, 2007 दिनांक 21.05.2007)

4.6.4. अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं आदि से संबंधित विवरणों का प्रस्तुतीकरण (धारा 192 (2ग) :

4.6.4.1 धारा 192 (2ग) के अनुसार, कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन के बदले पूर्वाकांक्षित अथवा लाभ के पूर्ण तथा सत्य विवरण को उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व ऐसे आय, यानि स्रोतों से कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, के भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का होगा। ऐसे विवरणों का प्रपत्र तथा प्रणाली नियम 26क, प्रपत्र 12खक (परिशिष्ट II) तथा प्रपत्र 16 में निर्दिष्ट की गर्इ हैं। पूर्वाकांक्षित से संबंधित प्रक्रिया तथा मूल्य जानकारी प्रपत्र

12खक में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करार्इ जाएगी यदि दी गर्इ अथवा देययोग्य वेतन रू. 1,50,000/- से अधिक हो तो। अन्य मामलों में जानकारी नियोक्ता द्वारा स्वयं प्रपत्र 16 (भाग ख) में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करार्इ जाएगी।

4.6.4.2 नियोक्ता, जो इस परिपत्र के पैरा 3.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से पूर्वाकांक्षित पर कर अदा करता हैं, को ऐसे संबंधित कर्मचारी को प्रमाणपत्र जारी करना होगा जो केंद्र सरकार को कर का भुगतान करता हो तथा भुगतान की गर्इ राशि, ऐसी दर पर भुगतान किया गया हो तथा जिस पर संशोधित प्रपत्र 16 में कुछ अन्य विवरण हो, को निर्दिष्ट किया हो।

4.6.4.3 कर्मचारी को मुहैया कराए जाने वाले पूर्वाकांक्षित की राशि को दर्शाते हुए ब्यौरे के प्रस्तुतीकरण के लिए धारा 192 (2ग) के अंतर्गत नियोक्ता पर डाला गया उत्तरदायित्व नियोक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हैं जो उनके तहत बनाए गए कानू्न तथा नियमों के मूल्यांकन के अनुसार निवर्हनीय हैं। कोर्इ भी असत्य जानकारी, जाली दस्तावेज अथवा पूर्वाकांक्षित संबंधित जानकारी छिपाने की स्थिति में कानून के तहत अपरिहार्य परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त निर्दिष्ट प्रपत्र 16 तथा/अथवा प्रपत्र 12खक में प्रमाणपत्र ऐसे वित्त वर्ष जिसमें वेतन का भुगतान किया गया हो तथा कर वसूला गया हो, के तुरंत बाद के वित्त वर्ष की 31 मर्इ तक कर्मचारी को दे दिया जाएगा। यह वह धारा 192 (2ग) के अनुसार आपेक्षित संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाणपत्र जारी करने में असफल रहता हैं तो धारा 272क(2)(i) के अंतर्गत जुर्माने के तौर पर रू. 100/- प्रतिदिन जब तक यह प्रक्रिया जारी रहती हैं, भरने के लिए बाध्य होगे।

अधिनियम की धारा 139ग के अनुसार आंकलन अधिकारी नियोक्ता द्वारा जारी प्रपत्र 16 के साथ प्रपत्र 12खक को प्रस्तुत करने के लिए करदाता से मांग कर सकते हैं।

4.6.5 डीडीओ को धारा 192 (2घ) के अंतर्गत निर्धारित दावे (हानि के निर्धारण के लिए दावे सहित) के प्रमाण अथवा ब्यौरे के सबूत को प्राप्त करने में सक्षम है।

डीडीओ को कथित धारा के अंतर्गत कटौतीयोग्य कर की राशि की गणना अथवा निर्धारिती की आय के अनुमान के उद्देश्य के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ हानि को निर्धारित अथवा कुछ कटौती, छूट अथवा भत्तों को स्वीकृत करने हेतु धारा 192 के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हैं। कर्मचारी द्वारा दावा किए गए कुछ कटौतियां/छूट/भत्ते/हानि निर्धारण के लिए प्रमाण/सबूत/ब्यौरे जैसे एचआरए में कटौती के दावे के लिए किराया प्राप्ति, स्व: अधिकृत गृह संपत्ति आदि, से हानि का दावा डीडीओ हेतु उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में निश्चितता तथा एकरूपता लाने के लिए, धारा 192(2घ) मुहैया कराती है कि भुगतान (डीडीओ) के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारिती प्रमाण या प्रमाण या विशेष दावो के शीर्षक "गृह संपत्ति से आय" के अंतर्गत जैसे गृह किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रूपए से अधिक है) अवकाश यात्रा रियायत या सहायता के प्रमाण को प्राप्त करेगा और नियमों के नियम 26ग द्वारा निर्धारित निर्धारित प्रपत्र 12खख के अनुसार अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौती होगी। प्रपत्र 12खख परिशिष्ट IIक के अनुसार संलग्न है।

4.7 पैन तथा टैन का अनिवार्य उद्धृतीकरण

4.7.1 अधिनियम की धारा 203 क स्रोतों से कर कटौती के लिए सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य करता हैं कि वह चालान, टीडीएस-प्रमाणपत्र, ब्यौरे तथा अन्य प्रमाणपत्रों में खाता सं. (टैन) का एकत्रीकरण तथा काटे गए कर को उद्धृत तथा प्राप्त करें। इस संबंध में जानकारी इस विभाग के परिपत्र सं. 497 (एफ. सं. 275/118/87-आर्इटी(ख) दिनांक 9.10.1987) में उपलब्ध हैं। यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 203क के अंतर्गत प्रावधानों इसका अनुपालन नहीं करता हैं तो वह धारा 272 खख के अंतर्गत कुल दस हजार रूपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार धारा 139क (5ख) के अनुसार स्रोतों से कर देने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य हैं कि उन व्यक्तियों, जिनका आयकर धारा 192 (2ग) के अंतर्गत प्रस्तुत ब्यौरे, धारा 203 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रमाणपत्रों तथा अधिनियम की धारा 200(3) के प्रावधानों के अनुसार तैयार तथा प्रेषित सभी ब्यौरों, में कटौती की गर्इ हैं।

4.7.2 सभी कटोतीकर्ताओं को प्रपत्र सं. 24थ (वेतन से की गर्इ कर कटौती) में टीडीएस ब्यौरे को दाखिल करना होगा। क्योंकि आय की विवरणी सहित टीडीएस प्रमाणपत्रों को दाखिल करने की आवश्यकता को पूरी तरह साथ किया गया हैं इसलिए कटोतीकर्ताओं के पैन की कमी कर देने वालों के लिए ऋण देते समय समस्या उत्पन्न करते हैं। इसलिए कर कटोतीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह प्रपत्र 24थ में वेतन के लिए टीडीएस ब्यौरे में सभी कटौतियों के सही पैन विवरण को प्राप्त तथा उद्धृत करें। करदाताओं को अपने कटौतीदाताओं अपने सही पैन को प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। कटोतीकर्ता (नियोक्ता) को कटौती करवाने वाले (कर्मचारी) द्वारा पैन न प्रस्तुत करने पर नीचे दिए गए पैरा 4.8 में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 206कक के अनुसार उच्च दर पर टीडीएस काटने का अधिकार है।

4.8 कर्मचारी द्वारा पैन प्रस्तुति की अनिवार्यता (धारा 206कक) :

4.8.1 अधिनियम में धारा 206कक के अनुसार आय अथवा राशि जिस पर कर कटौतीयोग्य हैं, की किसी भी कुल प्राप्ति की स्थिति में कर्मचारी द्वारा पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। यदि कर्मचारी (कटौती कराने वाला) कटौतीदाता को अपना पैन प्रस्तुत करने में असफल होता हैं तो कारदाता को निम्न उच्च दरों के हिसाब से टीडीएस कटाने का अधिकार होगा :-

i) इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों पर अथवा

ii) प्रवृत्त दर अथवा दरों पर अथवा

iii) बीस प्रतिशत की दर पर

कटोतीकर्ता को समस्त तीन शर्तों में कर राशि को निर्धारित करना हैं तथा टीडीएस की उच्चतम दर को लागू करना हैं। हालांकि, जहां धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस के लिए आंकी गरइ कर्मचारी की आय करयोग्य सीमा से कम होती हैं तो किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन जहां धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस के लिए आंकी गरइ कर्मचारी की आय कराधान से अधिक होती हैं तो कटोतीकर्ता धारा 192 में मुहैया कराए गए अनुसार प्रवृत्त दरों पर आधारित कर की आय की औसत दर की गणना करेगा। यदि ऐसा आंका गया कर 20 प्रतिशत से कम होता हैं तो कर की कटौती 20 प्रतिशत की दर पर की जाएगी तथा यदि औसत दर 20 प्रतिशत से अधिक होता हैं तो कर औसत दर पर आंका जाना हैं। 4 प्रतिशत पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को नहीं काटा जाना है यदि कर अधिनियम की धारा 206कक के अंतर्गत काटी जाती है

4.9 धारा 200(3) कें अंतर्गत कर कटौती का विवरण (टीडीएस का त्रैमासिक ब्यौरा)

4.9.1 कर कटौती (वेतनमान की स्थिति में नियोक्ता) करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक वित्त वर्ष की अवधि (विवरण नीचे तालिका में) के लिए प्रपत्र 24थ में टीडीएस के त्रैमासिक ब्यौरे के विधिवत सत्यापन को आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा प्राधिकृत टिन सुविधा केंद्रों पर जो वर्तमान में मैसर्स राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड) द्वारा संचालित की जा रही हैं या कटौती करने वाले के तौर पर पंजीकरण के बाद www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जमा करना आपेक्षित हैं। किसी भी टिन सुविधा केंद्रों पर रइ-टीडीएस मध्यस्त का ब्यौरा http://www.incometaxindia.gov.in तथा http://tin-nsdl.com पोर्टल पर उपलब्ध हैं। टीडीएस की वार्षिक विवरणी को दाखिल करने की अनिवार्यता पूरी तरह से प्रभावी तिथि 1.4.2006 तक हो जानी चाहिए। प्रपत्र 24थ (अधिसूचना सं. एस.ओ. 704(रइ) दिनांक 12.5.2006) अंतिम तिमाही हेतु दाखिल हुए तिमाही ब्यौरा टीडीएस की वार्षिक विवरणी के तौर पर समझा जाएगा। त्रैमासिक आधार पर इस ब्यौरे को दाखिल की नियत तिथि तालिका में निम्नाुसार हैं :-

तलिका : प्रपत्र 24थ में श्रेमासिक विवरण दाखिल करने की देय तिथि

क्र.सं.	वित्त वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तिथि	नियत तिथि
1	30 जून	वित्त वर्ष की 31 जुलारइ
2	30 सितंबर	वित्त वर्ष की 31 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	वित्त वर्ष की 31 जनवरी
4	31 मार्च	वित्त वर्ष जिसमें कटौती होती है के तुरंत बाद के वित्त वर्ष की 31 मरइ

4.9.2 उक्त निर्दिष्ट ब्यौरे को आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूप तथा मानदंडों के अनुसार इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम सत्यापित के प्रपत्र 27क में ब्यौरे के सत्यापन सहित अथवा डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अथवा प्रपत्र रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैं। रइ-टीडीएस/डीसीएस ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया परिशिष्ट VI में ब्यौरेवार दी गरइ है।

4.9.3 प्रपत्र 24थ में सभी विवरणियों को 20% से कम कटौती के आंकड़ों तथा करदाता के सरकारी कार्यालय न होने अथवा अधिनियम (नियम 3क(3)) की धारा 44कख के अंतर्गत अपने खाते को अंकेक्षित करने वाले व्यक्ति को छोड़कर सभी विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करना आपेक्षित हैं।

4.9.4 ब्यौरो को प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क (धारा 234ड़) :

यदि कोरइ व्यक्ति 1.07.2012 को अथवा के पश्चात् स्रोतों से कर के संबंध में धारा 200 (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर ब्यौरा देने अथवा देने के कारण को बताने में असफल रहता हैं तो शुल्क के तौर पर रू. 200/- प्रतिदिन जब तक यह प्रक्रिया जारी रहती हैं, भरने के लिए बाध्य होगे। हालांकि, ऐसे शुल्क के लिए राशि कर, जिसके लिए

स्रोतों से कर वसूला गया था, की राशि से अधिक नहीं होगा। यह शुल्क अनिवार्य होगा तथा ऐसे ब्यौरे की प्रस्तुती से पूर्व देना होगा।

4.9.5 टीडीएस ब्यौरे को दाखिल करने में होने वाली चूक का सुधार

डीडीओ पहले दिए गए ब्यौरे में प्रस्तुत जानकारी को अद्यतन, जोड़ने, हटाने अथवा किसी त्रुटि को सही करने के लिए सुधार वक्तव्य भी दे सकता हैं।

4.9.6 ब्यौरा प्रस्तुत करने में असफल अथवा गलत सूचना प्रस्तुति हेतु जुर्माना (धारा 271ज)

यदि कोर्इ व्यक्ति 1.07.2012 को अथवा के पश्चात् स्रोतों से कर के संबंध में धारा 200 (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर अथवा गलत ब्यौरा देने अथवा देने के कारण को बताने में असफल रहता हैं तो जुर्माने के तौर पर कम से कम रू. 10000/- जो रू. 1,00,000/- तक बढ़ार्इ जा सकती हैं, भरने के लिए बाध्य होगे। हालांकि, यदि व्यक्ति यह साबित कर दें कि उसने केंद्र सरकार के क्रेडिट को शुल्क तथा ब्याज, यदि हो, के साथ टीडीएस को भेजने के बाद ब्यौरा देने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की अंतिम तिथि से पूर्व ऐसे ब्यौरे को वह भेज चुका था, तो उस पर कोर्इ जुर्माना नहीं लगया जाएगा।

4.9.7 कर कटौती के ब्यौरे को तैयार करते समय, कटौतिकर्त्ता के लिए अनिवार्यता :-

(i) ब्यौरे में खाता संख्या (टैन) का संग्रहण तथा उसका कर कटौती उद्धृत अनिवार्य

(ii) कटौतिकर्त्ता के सरकारी (राज्य सरकार सहित) कार्यालय की स्थिति को छोड़कर ब्यौरे में उसकी स्थार्इ खाता संख्या (पैन) को उद्वृता अनिवार्य। सरकारी उद्धृता की स्थिति में "पीएएनएनओटीआरर्इक्यडी" को र्इ-टीडीएस ब्यौरे में उद्धृत किया जाना हैं।

(iii) सभी कटौतिदाताओं के पैन को उद्धृत करना अनिवार्य

(iv) पुस्तक पहचान संख्या अथवा चालान पहचान संख्या जो भी स्थिति हो, सहित केंद्र सरकार को दिए जाने वाले कर के विवरण का प्रस्तुतीकरण

(v) देय राषि अथवा क्रेटिड जिस पर प्रापक के आंकलन अधिकारी द्वारा धारा 197 के अंतर्गत कोर्इ कटौती नहीं वाले प्रमाणपत्र के निगर्मन के अनुसार कर नहीं काटा गया, के विवरण का प्रस्तुतीकरण

4.10 पेंशन से आय पर टीडीएस

राष्ट्रीयकृत बैंक से पेंशन प्राप्त करने वाले, जो अपनी पेंशन (जीवनसाथी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन नहीं) पेंशन प्राप्त करने वालो की स्थिति में इस परिपत्र में शामिल निर्देश उसी रूप में लागू होंगे जैसे वह वेतन-आय के मामले में लागू होतें है। जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी आदि के कारण धारा 80ग के अंतर्गत पेंशन की राशि से कटौती की स्वीकृति दी जा सकती हैं यदि पेंशन पाने वाला बैंक को प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में आरबीआर्इ द्वारा पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृखंला) सं. 7/सी.डी.आर/1992 (संदर्भ सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) सं. 60/जीए.64 (11सीवीएल)-/92) दिनांक 27 अप्रैल 1992 के मार्फत भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है तथा सभी बैंकों, जिन्हें पेंशन के भुगतान के सुपुर्द किया गया हैं, की शाखाओं द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। आगे, बैंकों की सभी शाखाएं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कें परिपत्र सं. 761 दिनांक 13.1.1998 के मार्फत पेंशन पाने वाला को प्रपत्र 16 में कटौतीयोग्य कर के प्रमाणपत्र को धारा 203 के अंतर्गत जारी करने के लिए बाध्य है।

4.11. गैर-निवासियों की स्थिति में किए जाने वाले टीडीएस से संबंधित मामले

4.11.1 गैर निवासियों के भारत में काम करने तथा नियोक्ता, यदि पहले ही भारत छोड़ चुके होने की स्थिति में कर्मचारी को देय राशि, द्वारा कर वहन करने तथा आंकलन आदेश के पास होने के समय भारत के बैंक में कोर्इ खाता न होने की स्थिति में प्रतिदाय नियोक्ता को जारी किया जा सकता हैं क्योंकि कर उसके द्वारा वहन किया गया हैं। (परिपत्र सं. 707 दिनांक 11.07.1995)

4.11.2 गैर-निवासियों के संबंध भारत में की गर्इ सेवा हेतु दिए जाने वाला वेतन भारत में कमार्इ जाने वाली आय के तौर पर मानी जाएगी। अधिनियम में विशेष रूप से निर्दिष्ट हैं कि विश्राम अवधि अथवा अवकाश अवधि, इसमें भारत में अग्रिमिता अथवा दूसरी जगह लेना तथा रोजगार के सेवा अनुबंध शामिल हैं, के लिए किसी भी प्रकार का वेतन भारत में कमाए जाने वाले वेतन के तौर पर समझा जाएगा।

5. शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत आय की गणना

5.1 शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत आदेय आय

(1) निम्नलिखित आयशीर्ष, 'वेतन' विषय के अंतर्गत आयकर के प्रति देययोग्य मानी जाएगी

(क) पिछले वर्ष, चाहे भुगतान किया हो अथवा नहीं, के निर्धारिती हेतु पूर्व नियोक्ता अथवा नियोक्ता, से आदेय कोर्इ वेतन

(ख) नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता द्वारा अथवा की ओर से पिछले वर्ष के दौरान कोर्इ दिया हुआ वेतन अथवा उसे स्वीकृत किया हुआ वेतन यदि उसके लिए नियत न होने अथवा नियत होने की स्थिति में

(ग) नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता के द्वारा अथवा की ओर से पिछले साल के दौरान वेतन को कोर्इ बकाया भुगतान किया हुआ अथवा भुगतान के लिए स्वीकृत किया हुआ, यदि पिछले साल के लिए आयकर न वसूला गया हो तो।

(2) संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम में कोर्इ भी दिया गया वेतन

किसी भी पिछले साल के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल होगा तथा इसे उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा जब उसका वेतन देय होगा।

कोर्इ भी वेतन पारितोषिक, छूट अथवा पारिश्रमिक जो भी नाम हो, फर्म के हिस्सेदार द्वारा देय अथवा प्राप्त आय को "वेतन" के तौर पर नहीं समझा जाएगा।

5.2 वेतन के स्थान पर (धारा 17) "वेतन" "पूर्वाकांक्षित" तथा "लाभ" की परिभाषा:

5.2.1 "वेतन" में शामिल है

i मेहनताना, शुल्क, पारितोषिक, पूर्वाकांक्षित, लाभ के स्थान पर, वेतन के अलावा, अग्रिम वेतन, वार्षिकी अथवा पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश आदि के नकदीकरण के संबंध में भुगतान

ii अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 में शामिल प्राधिकृत भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी के ऋण के वार्षिक संवृद्धि का भाग

क) कर्मचारी के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक प्राधिकृत भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान

ख) अब तक कर्मचारी के शेष राशि पर दिया गया ब्याज केंद्र सरकार (प्रभावी तिथि 01.09.2010 को दर 9.5 प्रतिशत पर निश्चित की गर्इ-अधिसूचना सं. एसओ 1046 (र्इ) दिनांक 13.05.2011) द्वारा निर्धारित ऐसी दर से अधिक मान्य किया जा सकता है।

iii धारा 80गगघ (इस परिपत्र का पैरा 5.5.3) में संदर्भित अधिसूचना एफ.एन. 5/7/2003-र्इसीबीएंडपीआर दिनांक 22.12.2003 के मार्फत नर्इ पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के खाते में केंद्र सरकार अथवा अन्य नियोक्ता द्वारा योगदान किया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाए कि, जब से वेतन में पेंशन शामिल हुर्इ, स्रोत से कर पेंशन से भी काटा जाएगा अन्यथा जबतक आवश्यकता हो। हालांकि, धारा 10 (10क) के अंतर्गत छूट की सीमा तक पेंशन का रूपांतरित भाग के लिए कर कटौती करना आपेक्षित नहीं हैं।

परिवारिक पेंशन "अन्य स्त्रोंतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर देययोग्य है तथा "वेतन" शीर्षक के अतर्गत देययोग्य नहीं होगी। इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान प्रयोज्यनीय नहीं हैं। अत: व्यक्ति को दी गर्इ पारिवारिक पेंशन के लिए कोर्इ टीडीएस आपेक्षित नहीं हैं।

5.2.2 रियायत में शामिल है :-

I नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराए जाने वाले निशुल्क आवास के किराए की राशि

II नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराए जाने वाले किसी आवास के संबंध में किसी छूट की राशि

III किसी भी लाभ अथवा निशुल्क अथवा कम दरों पर दी गर्इ सुविधा की राशि निम्नलिखित मामलों में से किसी पर लागू होगी

i कंपनी द्वारा कर्मचारी को जो ऐसी कंपनी का निदेशक हो

ii कंपनी द्वारा कर्मचारी को जो जिसका कंपनी में वास्तविक हित हो

iii कंपनी द्वारा (कंपनी संहित) कर्मचारी को जो उक्त (i) तथा (ii) बिंदुओं के तहत शामिल नहीं होते हो तथा जिनकी आय "वेतन" (चाहे एक अथवा एक से अधिक नियोक्ता द्वारा देय अथवा भुगतान की हो अथवा स्वीकृति दी हो), मौद्रिक भुगतान, रू. 50,000/- से अधिक, के रूप में उपलब्ध न करार्इ गर्इ हो तथा सभी लाभों की राशि को छोड़कर

(किराए के संबंध में छूट का गठन अधिनियम की धारा 17(2) (ii) में नीचे विवरण 1 से 4 में निर्दिष्ट की गर्इ हैं)

IV जो कि निर्धारिती द्वारा दी जाए अन्यथा किसी कार्य के संबंध में नियोक्ता द्वारा दी गई कोर्इ भी कुल राशि

V धारा 17 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाली कोर्इ भी कुल राशि, चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा निधि के तौर पर, प्राधिकृत भविष्य निधि अथवा प्राधिकृत पेंशन पूंजी अथवा अन्य निर्दिष्ट पूंजी को छोड़कर, वार्षिक अनुबंध को अथवा निर्धारिती के जीवन के बीमा को प्रभाव में लाने के लिए।

VI नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित अथवा आवंटित परिश्रम इक्विटी शेयर अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूति की राशि, इस उद्देश्य के लिए तथा कर्मचारी को मामूली दर पर अथवा निशुल्क

(क) "निर्दिष्ट प्रतिभूति" अर्थात् प्रतिभूति संविदा (नियामक) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में निर्दिष्टानुसार प्रतिभूति तथा कर्मचारी पूंजी विकल्प किसी योजना अथवा नीति के अंतर्गत स्वीकृत की गर्इ हैं, ऐसी योजना तथा नीति के अंतर्गत दी गर्इ प्रतिभूति सहित।

(ख) "पारिश्रमिक इक्विटी शेयर" अर्थात् राशि योग अथवा बौद्धिक संपदा के रूप में उपलब्ध अधिकारों के प्रयोग अथवा तकनीकी जानकारी को उपलब्ध करने के लिए नकद को छोड़कर विचार हेतु अथवा छूट पर कंपनी के कर्मचारियों अथवा निदेशकों द्वारा जारी इक्विटी शेयर, जो भी नाम हो

(ग) कोर्इ निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा पारिश्रमिक इक्विटी की राशि तिथि, ऐसी प्रतिभूति के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त अथवा वास्तविक भुगतान राशि द्वारा कम किए जाने के अनुसार निर्धारिती द्वारा प्रदत्त विकल्प का प्रयोग किया गया था, पर पारिश्रमिक इक्विटी शेयर, अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूति, जो भी स्थिति हो, की सही बाजारी कीमत के अनुसार होनी चाहिए।

(घ) उचित बाजार मूल्य अर्थात् निर्दिष्टानुसार (आयकर नियम के नियम 3(9) को संदर्भित करें) विधि के अनुसार निर्धारित राशि

(ड) "विकल्प" अर्थात् अधिकार लेकिन पूर्व-निर्धारित मूल्य पर पारिश्रमिक इक्विटी शेयर अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूति के आवेदन के लिए नियोक्ता द्वारा स्वीकृत कार्य नहीं।

VII. निर्धारिती के संबंध में नियोक्ता द्वारा स्वीकृत पेंशन राशि के लिए कोर्इ भी योगदान राशि, एक लाख रूपए की सीमा से अधिक तथा

VIII अन्य कोर्इ अनुषंगी लाभ अथवा सुविधा की राशि नियम 3 में निर्धारितानुसार

5.2.2क ऐसे लाभ तथा सुविधा के मूल्यांकन हेतु नियम नियम 3 में दिए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

I नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली आवासीय सुविधा (नियम 3(1)) :-

भवन में शामिल हैं आवास, फ्लैट, फार्म हाउस अथवा उसका कोर्इ भाग, होटल परिसर, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, अतिथि कक्ष, कारावैन, मोबाइल घर, जहाज अथवा अन्य तैरने वाला ढ़ाचा

क बिना किराये वाले असुसज्जित आवास की रियायत के मूल्यांकन के लिए सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है :-

(i) केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भवन की राशि ऐसे भवन के लिए दिए जा रहे लार्इसेंस शुल्क के समान हैं क्योंकि कर्मचारी द्वारा वास्तविक किराया तक कम किया जाता है। स्वायत्त, अर्ध-स्वायत्त संस्थानों, पीएसयू/पीएसर्इ व सहायक कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारी इस मूल्यांकन गणना के तहत नहीं आते।

(ii) अन्य सभी के लिए यानि वे वेतन योगी करदाता जो केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, भवन के संबंध में भवन का मूल्यांकन नीचे दी गर्इ तालिका के अनुसार निर्धारित हैं :

क) जहां कर्मचारी को उपलब्ध किया जाने वाला भवन नियोक्ता द्वारा खरीदा गया है

क्र.सं.	2001 जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाले शहर	रियायत
1	25 लाख से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत
2	10 लाख से अधिक किंतु 25 लाख से कम	वेतन का 10 प्रतिशत
3	अन्य स्थानों के लिए	वेतन का 7.5 प्रतिशत

ख) **जहां ऐसा उपलब्ध कराया गया भवन नियोक्ता द्वारा पट्टे/किराये पर लिया जाता है :**

निर्धारित दर नियोक्ता द्वारा देययोग्य पट्टा किराये पर वास्तविक राशि अथवा वेतन का 15 प्रतिशत है जो भी कम हो, कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले किराये की किसी भी राशि को कम करने के अनुसार। आवासीय भवन के संबंध में रियत की गणना के उद्देश्य के लिए वेतन का अर्थ:

क. मूल वेतन

ख. मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई वेतन यदि वह कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ अथवा पेंशन की गणना में शामिल हुआ हो

ग. बोनस

घ. छूट

ड. अन्य सभी करयोग्य भत्ते (जो भाग करयोग्य न हो) तथा

च. अन्य कोई मौद्रिक भुगतान जो कर के रूप में देययोग्य हो (जो भी नाम हो)

सभी नियोक्ता द्वारा वेतन अवधि, जिसमें भवन उपलब्ध कराया गया हैं, के संबंध में विचार किया जाएगा। जहां कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की स्थिति में तैनाती के समय नए स्थान पर भवन सहित उपलब्ध कराया जाएगा जबकि दूसरे स्थान को बनाए रखने की स्थिति में रियात की राशि ऐसे भवन जिसकी 90 दिनों से कम की अवधि के लिए कम से कम हो, की केवल संदर्भ सहित निर्धारित हो तथा उसके बाद रियात की राशि ऐसे भवन के लिए वसूली जाएगी।

ख भवन के प्रस्तुतिकरण पर रियात का मूल्यांकन :- उक्त विधि (क में) द्वारा निर्धारितानुसार रियायत की राशि निम्नानुसार बढ़ाई जाएगी :-

i) फर्नीचर, उपकरण तथा सामग्री का 10 प्रतिशत शुल्क अथवा

ii) जहां फर्नीचर, उपकरण तथा सामग्री किराये पर ली गई हो जिस पर वास्तविक किराया भाड़ा देययोग्य हो तथा ली गई राशि स्वयं कर्मचारी द्वारा दी गई किराये तक सीमित हैं।

यह भी बताया जाता हैं कि जहां केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी को ऐसी सरकार के नियंत्रण के तहत उपक्रम अथवा अन्य किसी के साथ प्रतिनियुक्ति सेवा कर रहा हैं, द्वारा भवन भवन मुहैया कराया जाता है

(i) ऐसे नियोक्ता के कर्मचारी को उस निकाय अथवा उपक्रम जहां वह प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवारत हैं, के तौर पर समझा जाएगा।

(ii) ऐसे भवन की रियायत की राशि उक्त तालिका में क(ii)(क) के अनुसार गणना की जाने वाली राशि होगी, जहां तक नियोक्ता द्वारा भवन खरीदा गया हैं।

ग. होटल के रूप में भवन प्रस्तुतीकरण : रियायत राशि निम्नलिखित दो निम्नतम आधार पर निर्धारित होगी

1. अवधि जिसमें भवन उपलब्ध कराया गया है के संबंध में दी गई अथवा देययोग्य वेतन का 24 प्रतिशत
2. ऐसे होटल हेतु नियोक्ता द्वारा दिया गया अथवा देययोग्य वास्तविक शुल्क

ऐसी अवधि जिसमें ऐसे भवन मुहैया कराया गया हैं जहां नियोक्ता द्वारा देययोग्य अथवा वास्तविक तौर पर कोई दिया गया किराया सीमितानुसार

हालांकि, (ग) में कुछ भी करयोग्य नहीं हैं यदि दो शर्तों को संतुष्ट किया गया हो

1. होटल भवन पिछले वर्ष में कुल 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए मुहैया कराया गया हो तथा
2. ऐसे भवन ऐसे कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता हो

यह स्पष्ट किया जाता हैं कि भवन के संपूर्ण भाग के तौर पर उपलब्घ कराई गई सेवा के दौरान, रियायत के तौर पर पृथक रूप से मूल्यांकित करने की आवश्यकता नहीं, अन्य सेवा के अतिरिक्त जिसके लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी हेतु भुगतान अथवा प्रतिपूर्ति की गई है, बचत वाक्यांश के अनुसार रियायत के तौर पर मूल्यांकित की जाएगी। अन्य शब्दों मे, भवन के लिए संपूर्ण कीमत नियमों के अनुसार मूल्यांकित की जाएगी तथा होटल द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं के लिए अन्य शुल्क बचत वाक्यांश के अंतर्गत पृथक रूप से मूल्यांकित की जाएगी।

घ हालांकि, खनन स्थल अथवा तटवर्ती तेल अन्वेषण स्थल अथवा परियोजना क्रियान्वयन स्थल अथवा बांध स्थल अथवा ऊर्जा उत्सर्जन स्थल अथवा तटवर्ती स्थल पर कार्यरत कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए किसी भवन की राशि रियायत के तौर पर नहीं समझी जाएगी यदि :

i) ऐसा भवन "दूरदराज के इलाकों" में स्थित हो अथवा

ii) जहां भवन "दूरदराज के इलाकों" के क्षेत्रों में स्थित न हो लेकिन अस्थाई प्रकार के भवन का चबूतरे वाला क्षेत्र 800 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए तथा किसी भी नगरपालिका अथवा छावनी की स्थानीय सीमा के तहत 8 किलोमीटर के भीतर नहीं होना चाहिए।

यहां परियोजना क्रियान्वयन स्थल का अर्थ अपनी शुरूआती स्थिती से परियोजना तक वाला स्थान। दूरदराज के इलाकों का अर्थ हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जो नवीनतम प्रकाशित अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार कम से कम 20,000 की जनसंख्या वाले शहर से कम से कम 40 किलोमीटर दूर स्थित हो।

II नियोक्ता द्वारा रियायत पर उपलब्ध करारइ जाने वाली कार (नियम 3(2)) :

(I) यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को कार की सेवा उपलब्ध कराता हैं तो ऐसे रियायतो की राशि :

क) शून्य, यदि कर्मचारी द्वारा कार का प्रयोग पूर्णता और केवल उसके द्वारा कार्यालय संबंधी कार्यो की लिए की जाए। हालांकि निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं :

- नियोक्ता को आधिकारिक उद्देश्य के लिए की गरइ यात्रा का पूरा विवरण अनुरक्षित रखना होगा
- नियोक्ता प्रमाणपत्र देगा कि व्यय पूर्णता आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया गया

ख) ऐसे किसी प्रयोग (यदि मोटर कार का प्रयोग कर्मचारी अथवा उसके किसी घर के सदस्य द्वारा अपने निजी अथवा व्यक्तिगत प्रयोग की स्थिति में) के लिए मोटर कार को चलाने तथा उसकी देखरेख करने पर कर्मचारी द्वारा व्यय किया हुआ वास्तविक खर्चा, मोटर कार की सामान्य टूट फूट की राशि के प्रदर्शन में वृद्धि के अनुसार चालक हेतु पारिश्रमिक तथा कर्मचारी द्वारा वसूली गरइ किसी राशि में वृद्धि के अनुसार, सहित।

ग) रू. 1800/- (जमा रू. 900/- यदि चालक भी उपलब्ध कराया गया हो) प्रतिमाह (कर्मचारी द्वारा आंशिक रूप से सेवा निवर्हन के प्रयोग अथवा आंशिक रूप से उसके अथवा उसके पारिवारिक सदस्य द्वारा निजी अथवा व्यक्तिगत प्रयोग की स्थिति में, यदि देखरेख पर अथवा उसे चलाने पर होने वाला व्यय समान अथवा कर्मचारी द्वारा प्रतिपूर्ति की गरइ हो, की स्थिति में) हालांकि, रियायत की राशि रू. 2400/- (रू. 900/- सहित, यदि चालक भी उपलब्घ कराया गया हो) प्रति माह होगी यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो।

घ) रू. 600/- (जमा रू. 900/- यदि चालक भी उपलब्ध कराया गया हो) प्रतिमाह (कर्मचारी द्वारा आंशिक रूप से सेवा निवर्हन के प्रयोग अथवा आंशिक रूप से उसके अथवा उसके पारिवारिक सदस्य द्वारा निजी अथवा व्यक्तिगत प्रयोग की स्थिति में, यदि देखरेख पर अथवा उसे चलाने पर होने वाला व्यय समान होने की स्थिति में) हालांकि, रियायत की राशि रू. 900/- (रू. 900/- सहित, यदि चालक भी उपलब्घ कराया गया हो) प्रति माह होगी यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो।

(II) यदि मोटर कार अथवा अन्य किसी मोटर गाड़ी कर्मचारी द्वारा खरीदी गरइ हो लेकिन वास्तविक देखरेख तथा चलाने का व्यय नियोक्ता द्वारा अदा अथवा दिया जाता हो तो रियायत राशि के मूल्यांकन की विधि भिन्न हैं तथा निम्नानुसार है :

क) यदि मोटर कार अथवा अन्य किसी मोटर गाड़ी कर्मचारी द्वारा खरीदी गरइ हो लेकिन वास्तविक देखरेख तथा चलाने का व्यय (चालक के वेतन सहित, यदि हो) नियोक्ता द्वारा अदा अथवा दिया जाता हो तो कर के लिए कोरइ रियायत नहीं दी जाएगी यदि कार का प्रयोग पूर्णता तथा एकमात्र तौर पर कार्यालय के लिए किया जाता हो। हालांकि निम्नलिखित अनुपालन अनिवार्य है :

- नियोक्ता को कार्यालयीन उद्देश्य के लिए यात्रा के विवरण का पूर्ण ब्यौरा सुरक्षित रखना होगा
- नियोक्ता को प्रमाणपत्र देना होगा कि व्यय पूर्णता कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए किया गया

हालांकि यदि मोटर कार का प्रयोग आंशिक रूप से आधिकारिक कार्यो अथवा आंशिक रूप से निजी कार्यो के उद्देश्यों के लिए किया गया हो तो रियायत संबंधी राशि नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वास्तविक व्यय होगा जो उक्त (1) में निर्दिष्ट राशि (ग में) के अनुसार घटाया जाएगा।

मोटर की सामान्य टूट-फूट मोटर कार की वास्तविक कीमत के 10 प्रतिशत वार्षिक के तौर पर आंकी जाएगी।

III निजी परिचारक आदि (नियम 3(3)) : सफारइ कर्मचारी, माली तथा चौकीदार सहित सभी निजी परिचारकों की निशुल्क सेवा की राशि नियोक्ता के वास्तविक वेतन में से ली जाएगी। जहां कर्मचारी के घर पर परिचारकों की सेवाएं मुहैया करारइ जाती हैं वहां उसके द्वारा प्रतिपादित की जा रही निजी सुविधा की एवज में कर्मचारी के हाथ में आने वाली रियायत के तौर पर पूरी राशि पर कर लगाया जाएगा। ऐसी सुविधा अथवा सेवा के लिए कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की देय राशि उक्त राशि से वसूली जाएगी।

IV घर में प्रयोग होने वाली गैस,बिजली अथवा पानी (नियम 3(4)) : गैस, बिजली तथा पानी के रूप में दी जाने वाली रियायत की राशि गैस, बिजली अथवा पानी मुहैया कराने वाली एजेंसी हेतु नियोक्ता द्वारा चुकारइ गरइ राशि होगी। जहां आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के स्रोतों से की जाती हो वहां नियोक्ता द्वारा वहन की जा रही प्रति

इकार्इ शुल्क रियायत के तौर पर विचारनीय होगी। ऐसी किसी सुविधा अथवा सेवा के लिए कर्मचारी द्वारा दी गर्इ राशि रियायत राशि से कम की जाएगी।

V निशुल्क अथवा रियायती शिक्षा (नियम 3(5)) : कर्मचारी के परिवार के किसी भी पारिवारिक सदस्य के निशुल्क अथवा रियायती शिक्षा के कारण रियायत इस कारण से नियोक्ता द्वारा वहन किए गए खर्चे की राशि के समान खर्चे के अनुसार तय की जाएगी। हालांकि, जहां ऐसे शिक्षा संस्थान खुद नियोक्ता द्वारा चलाए तथा अधिकार रखा गया हो अथवा जहां नियोक्ता के यहां नौकरी करने के कारण किसी संस्थान द्वारा निशुल्क शिक्षा मुहैया करार्इ जाती हैं तो कर्मचारी की रियायत की राशि अवस्थिति के पास अथवा इसी प्रकार के संस्थान में ऐसी शिक्षा के शुल्क का हवाला देते हुए निर्धारित की जाएगी यदि ऐसी शिक्षा अथवा ऐसे लाभ की लागत प्रति बालक 1000/- प्रतिमाह से अधिक हो। रियायत की राशि कर्मचारी द्वारा दिए गए अथवा वसूली गर्इ राशि, यदि हो, द्वारा सीमित की जाएगी।

VI यात्री सामान परिवहन नियम 3(6)) : नियोक्ता, जो यात्री अथवा सामान के परिवहन में संलग्न हैं, निशुल्क अथवा रियायती दरों पर निजी अथवा व्यक्तिगत यात्रा के लिए कर्मचारी अथवा अपने पारिवार के किसी सदस्य के लिए, यात्री अथवा सामान के परिवहन के उद्देश्य के लिए ऐसे नियोक्ता द्वारा अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा कर अथवा खरीद अथवा पट्टे पर लेकर, के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लाभ अथवा सुविधा की राशि ऐसी राशि से वसूली जाएगी जो ऐसे किसी लाभ अथवा सुविधा के लिए कर्मचारी द्वारा वसूला अथवा भुगतित राशि, यदि हो तो, तक सीमित करने के अनुसार सामान्य जन को ऐसे नियोक्ता द्वारा ऐसा लाभ या सुविधा दी गर्इ हो। यह किसी एयरलाइंस अथवा रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

VII ब्याज शुल्क अथवा रियायत ऋण नियम 3(7)(i) यह सामान्य बात हैं, विशेषकर वित्त संस्थानों के विषय में, कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को रियायती दरों पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। ऐसे ऋण से उत्पन्न होने वाली रियायती राशि ब्याज से अधिक होगी जो निर्धारित ब्याज दर से अधिक ब्याज यदि हो, में देययोग्य होगा, कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वास्तविक भुगतान की स्थिति में। निर्धारित ब्याज दर सामान्य जन को समान प्रकार तथा समान उद्देश्य के लिए ऋण के संबंध में प्रासंगिक वित्त वर्ष के पहले दिन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वार्षिक तौर पर वसूली जाने वाली दर होगी। रियायत राशि अधिकतम बकाया मासिक शेष विधि के आधार पर आंकी जाएगी। इस नियम के अंतर्गत रियायत के आंकलन के लिए नियोक्ता द्वारा गणना तथा समायोजन के लिए अन्यथा अपनार्इ गर्इ अन्य कोर्इ विधि प्रासंगिक नहीं होगी। रू. 20,000/- की कुल राशि वाले छोटे ऋण इससे बाहर होंगे।

नियम 3क में निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए लिया गया ऋण भी छूटप्राप्त होगा बशर्ते चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए दी गर्इ ऋण की राशि किसी बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति न की गर्इ हो। जहां कोर्इ भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त होती हैं वहां रियायत दर पर रियायत राशि प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति के तिथि को लिए गए बकाए ऋण के समक्ष वसूली जाएगी लेकिन विशेषरूप से इस उद्देश्य के लिए लिए गए बकाए ऋण के समक्ष वसूला नहीं जाएगा।

VIII अवकाश लाभांश हेतु नियोक्ता द्वारा यात्रा, पर्यटन, भवन तथा अन्य किसी अवकाश हेतु प्रतिपूर्ति अथवा भुगतान (नियम 3(7)(ii) :

कर्मचारी अथवा उसके अन्य किसी परिवार के सदस्य द्वारा किसी व्यय अवकाश के लाभ के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा, पर्यटन, भवन तथा अन्य देय खर्चो अथवा प्रतिपूर्ति के कारण, छुट्टी यात्रा रियायत (धारा 10(5) के अनुसार) को छोड़कर, इस कारण से नियोक्ता द्वारा वहन किए गए व्यय की राशि होगी। हालांकि, कर्मचारी से किसी प्रकार का वसूला अथवा खर्च की गर्इ राशि निर्धारित रियायत राशि तक सीमित होगी।

जहां नियोक्ता द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जाती हो तथा यह सभी कर्मचारियों के लिए एक समान रूप से उपलब्ध न हो तो लाभ की राशि ऐसी राशि से ली जाएगी जिस पर सामान्य जन के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा ऐसी सुविधाएं मुहैया करार्इ जाती हैं। यदि अवकाश सुविधाएं नियोक्ता द्वारा पोषित की जाती हैं तथा सभी कर्मचारियों के लिए एकसमान रूप से उपलब्ध हैं तो ऐसे लाभ की राशि छूट प्राप्त करने योग्य होगी।

जहां कर्मचारी आधिकारिक दौरे पर हो तथा उसके किसी परिवार के सदस्य के संबंध में खर्चे उसके द्वारा वहन किए गए हो, परिवार के संबंधित सदस्य के संबंध में व्यय की राशि रियायत के तौर पर मानी जाएगी।

IX नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुहैया कराए गए सस्ते/निशुल्क खाद्य सामग्री/गैर-मादक पेय पदार्थ (नियम 3(7) (iii) :

करयोग्य रियायत की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

'भुगतान वाउचर' जो अहस्तंतरणाीय तथा केवल खाने वाले स्थानों पर प्रयोग के लिए हो, सहित खाद्य पदार्थो/गैर-मादक पेय सामग्री की राशि पर होने वाले व्यय के नियोक्ता द्वारा वहन किए जाने की स्थिति में		XXX
कम : रू. 50/- प्रति खाद्य पदार्थ की स्थारइ राशि		XXX
कम : नियोक्ता द्वारा वसूली गरइ राशि	XXX	XXX
शेष राशि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए खाद्य पदार्थ की राशि की रियायत पर करयोग्य होगा।		XXX

टिप्पणी : छूट निम्न स्थितियों के अनुसार दी जाएगी :

1. चाय/स्नैक्स कार्यालयीन अवधि के दौरान मुहैया कराए जाने पर
2. दूरदराज के क्षेत्रों अथवा तट से दूर अधिष्ठापन में कार्यालयीन अवधि के दौरान मुहैया करारइ गरइ खाद्य सामग्री व गैर-मादक पेय पदार्थ

X सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक शुल्क (नियम 3(7)(v)) : कर्मचारी (अथवा उसके किसी परिवार के सदस्य को) द्वारा वहन किया गया कोरइ भी सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक शुल्क, जो नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए क्रेटिड कार्ड (किसी भी अतिरिक्त कार्ड सहित) अथवा अन्यथा, नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा प्रतिपूर्ति हेतु हो, द्वारा वसूला गया हो, निम्नलिखित आधार पर करयोग्य होगा :

नियोक्ता द्वारा वहन किया गया व्यय		XXX
कम : आधिकारिक उद्देश्यों के लिए व्यय	XXX	
कम : कर्मचारी से वसूली गरइ राशि, यदि हो,	XXX	XXX
रियायतानुसार देययोग्य राशि		XXX

हालांकि राशि पूर्णता तथा केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए वहन की गरइ तो यह छूटयोग्यनीय होगी यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाए

i) खर्चों के प्रकार तथा तिथि सहित ऐसे खर्चों का पूर्ण ब्यौरा नियोक्ता द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

ii) नियोक्ता को प्रमाणपत्र देना होगा कि यह पूर्णता तथा केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए वहन किया गया था।

XI क्लब व्यय (नियम 3(7)(vi))

क्लब सुविधा हेतु कोरइ वार्षिक अथवा नियतकालिक शुल्क तथा नियोक्ता (अथवा परिवार के किसी सदस्य) जिसका नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा वहन किया गया हो, द्वारा क्लब में किसी खर्च की स्थिति में शुल्क निम्नलिखित आधार पर करयोग्नीय होगी।

नियोक्ता द्वारा वहन किया गया व्यय		XXX
कम : आधिकारिक उद्देश्यों के लिए व्यय	XXX	
कम : कर्मचारी से वसूली गरइ राशि, यदि हो,	XXX	XXX
रियायतानुसार देययोग्य राशि		XXX

हालांकि राशि पूर्णता तथा केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए वहन की गरइ तो यह छूटयोग्यनीय होगी यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा

i) ऐसे खर्चों का पूर्ण ब्यौरा, व्यय के प्रकार तथा तिथि सहित तथा इनका व्यापार संबंधी मुनाफा नियोक्ता द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

ii) नियोक्ता को प्रमाणपत्र देना होगा कि यह पूर्णता तथा केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए वहन किया गया था।

टिप्पणी : 1) नियोक्ता के परिसर में नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की समस्त श्रेणियों को एकसमान स्वास्थ्य क्लब, खेल-कूद सुविधाएं आदि मुहैया कराने तथा उन पर होने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं होगा।

2) कॉर्पोरेट अथवा संगठन की सदस्यता, जहां लाभ नौकरी की समाप्ति के बाद विशेष कर्मचारी को नहीं मिलता, के लिए प्रांरभिक तौर पर एक साथ जमा की गर्इ राशि अथवा शुल्क छूटयोग्नीय हैं। प्रांरभिंक शुल्क/जमा, ऐसी स्थिति में, शामिल नहीं होगी।

XII संपत्ति का प्रयोग (नियम 3(7)(vii)) : कर्मचारी अथवा उसके किसी परिवार के सदस्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली और नियोक्ता द्वारा खरीदी गर्इ चल संपत्ति (उनको छोड़कर जिन्हें नियम 3 के उप नियम में संदर्भित किया गया हैं) के लिए यह साधारण हैं। यह रियायत ऐसे किसी प्रयोग के लिए कर्मचारी से वसूले गए किसी शुल्क को सीमित करने के अनुसार संपत्ति के वास्तविक मूल्य पर 10 प्रतिशत प्रति दर से वसूली जानी हैं। हालांकि, कम्प्यूटरों तथा लैपटॉप का प्रयोग में किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी।

XIII संपत्ति का स्थानान्तरण (नियम 3(7)(viii)) : अक्सर नियोक्ता द्वारा चल संपत्ति (शेयर तथा प्रतिभूति की स्थिति में नहीं) के स्थानान्तरण की स्थिति में कर्मचारी अथवा उसके कोर्इ परिवार का सदस्य निशुल्क अथवा बाजार कीमत के मुकाबले बेहद कम कीमत पर इसका लाभ उठाता हैं। चल संपत्ति की वास्तविक लागत (प्रतिभूतियां अथवा शेयर नहीं) तथा कर्मचारी द्वारा अदा की गर्इ कुल राशि, यदि हो, के बीच अंतर रियायतों की राशि से लिया जाएगा। चल संपत्ति, जिसका पहले से प्रयोग किया जा रहा हैं, की स्थिति में वास्तविक लागत संपत्ति के प्रये◌ाग वाले सभी पूर्ण वर्षों के लिए ऐसी वास्तविक लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी। हालांकि, उच्चतम मूलयह्रस्य होने के कारण, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रानिक मशीन की स्थिति में, रियायतों की राशि प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष की शेष विधि को कम करके वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी। इस संबंध में इलैक्ट्रानिक मशीनों का अर्थ हैं आंकड़ा संग्रहण तथा संचालन संबंधी उपकरण जैसे कम्प्यूटर, डिजीटल डायरी तथा प्रिंटर। इसमें घर में प्रयोग होने वाले उपकरण (यानि घरेलू वस्तुएं) जैसे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेब, ओवन, मिक्सर, तवे, ओवन आदि शामिल नहीं होगें। इसी प्रकार कार की स्थिति में रियायतों की राशि प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष की शेष विधि को कम करके वास्तविक लागत के 20 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी।

XIV उपहार (नियम 3(7)(iv) :

किसी उपहार अथवा वाउचर अथवा टोकन की राशि ऐसे उपहार जिन्हें कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को नियोक्ता द्वारा दिए, मिले उपहार के तौर पर दिया गया हो, रियायत के अंतर्गत करयोग्य हैं। हालांकि उपहार आदि कुल रू. 5,000 प्रति वर्ष की राशि से कम, को छूट प्राप्त होगी।

XV नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति : वित्त अधिनियम, 2018 के द्वारा संशोधन के अनुसार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कुल राशि धारा 17(2) के अंतर्गत रियायत के तौर पर लिया जाना है

आगे यह स्पष्ट किया जाता हैं कि रियायत संबंधी मूल्यांकन की विधि नियमों के नियम 3 तथा अधिनियम की धारा 17(2) के तहत दी गर्इ हैं। कटौती कराने वाले कटौती की प्रक्रिया हेतु रियायत राशि के निर्धारण से पूर्व सावधानीपूर्वक उक्त प्रावधानों को देख सकते हैं।

5.2.3 'वेतन के स्थान पर लाभ' में शामिल है :-

I. अपने नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता अथवा नौकरी की समाप्ति के संबंध में अथवा उससे संबंधित नियम व शर्तों के संशोधन की स्थिति में निर्धारिती द्वारा देय अथवा प्राप्त किसी भी प्रकार के मुआवजे की राशि;

II. भविष्य अथवा अन्य निधि से अथवा नियोंक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता से निर्धारिती द्वारा लंबित अथवा देय कोर्इ भुगतान (धारा 10 के वाक्यांश (10), (10क), (10ख), (11), (12), (13) अथवा (13क) में सदर्भित भुगतान को छोड़कर), ऐसी पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आवंटित कुल राशि सहित प्रमुख बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोर्इ राशि अथवा ऐसा किसी अंशदान पर निर्धारिती द्वारा अंशदान को शामिल नहीं किया जाएगा।

"प्रमुख बीमा पॉलिसी" का अर्थ वही होगा जैसा धारा 10(10घ) में निर्धारित किया गया हैं।

III किसी व्यक्ति से निर्धारिती द्वारा देय अथवा प्राप्त कोर्इ राशि, चाहे एकमुश्त अथवा किसी अन्य तरीके से,

(क) उसके साथ नौकरी उस व्यक्ति की नियुक्ति से पहले

(ख) उस व्यक्ति के साथ उसकी नियुक्ति के छोड़ने के बाद

5.3 "वेतन" विषय के अंतर्गत शामिल न होने वाली आय (छूट) :

निम्नलिखित किसी भी वाक्यांश के तहत आने वाली कोर्इ आय अधिनियम की धारा 192 के उद्देश्य हेतु वेतन से आय की गणना हेतु शामिल नहीं की जाएगी।

5.3.1 धारा 10(5) के अंतर्गत भारत में किसी भी स्थान पर (क) भारत में किसी स्थान पर अवकाश अथवा (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति अथवा सेवा की समाप्ति के बाद, नियोक्ता अथवा अपने पूर्व नियोक्ता से अपने तथा अपने

परिवार के सदस्य के लिए, प्रक्रिया के संबंध में, प्राप्त अथवा देय कोर्इ यात्रा भत्ता अथवा सहायता की राशि नियमों के नियम 2ख में निर्धारित हैं।

इस वाक्यांश के उद्देश्य के लिए, व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ हैं :

(i) व्यक्ति का जीवनसाथी तथा बच्चे तथा

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, भार्इ तथा बहन अथवा इनमें से कोर्इ, व्यक्ति पर पूर्णता अथवा मुख्य रूप से आश्रित

यह भी नोट किया जा सकता हैं इस वाक्यांश के अंतर्गत छूट की राशि किसी भी स्थिति में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए वास्तविक व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी।

जैसाकि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गर्इ है, नियम 26ग के साथ पठित धारा 192 (2घ) डीडीओ के लिए आवश्यक छूट को देने से पहले अवकाश यात्रा रियायत या सहायता के लिए छूट का दावा करने के संबंध में विवरण/प्रमाण को प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है जो कि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक प्रपत्र 12खख हो

5.3.2 मृत्य-सह-सेवानिवृत्ति अनुतोषिक अथवा अन्य कोर्इ अनुतोषिक धारा 10(10) के अंतर्गत कुल आय की गणना के समावेशन से निर्दिष्ट सीमा तक छूटयोग्य हैं। केंद्र सरकार, अथवा जैसी स्थिति हो, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 अथवा संघ के सिविल सेवां के सदस्यों हेतु स्वीकार्य अन्य किसी समान योजना के तहत अथवा रक्षा से संबंधित पदाधिकारी अथवा संघ (ऐसे सदस्य अथवा हितधारक जो कथित नियम के तहत नहीं आते) के तहत सिविल पद अथवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य अथवा राज्य की सिविल सेवा के सदस्य अथवा राज्य के तहत सविल सेवा हितधारक अथवा स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी अथवा पेंशन कोड के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सेवानिवृत्ति अनुतोषिक के किसी भुगतान अथवा रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू होने वाले विनियमन के संशोधित पेंशन नियमों के अंतर्गत प्राप्त कोर्इ मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अनुतोषिक छूट योग्य हैं। उक्त निर्दिष्ट, सेवानिवृत्ति, समाप्ति आदि, को छोड़कर अनुतोषिक प्राप्तकर्ता मंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में प्रभावी तिथि 24.05.2010 के अनुसार सीमा 10 लाख हैं (अधिसूचना सं. 43/2010 एस.ओ. 1414(र्इ) एफ. सं. 200/33/2009-आर्इटीए-1 दिनांक 11 जून 2010),

5.3.3 केंद्र सरकार अथवा संघ की सिविल सेवा के सदस्यों हेतु स्वीकार्य अन्य किसी समान योजना के तहत अथवा रक्षा से संबंधित पदाधिकारी अथवा संघ (ऐसे सदस्य अथवा हितधारक जो कथित नियम के तहत नहीं आते) के तहत सिविल पद अथवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य अथवा रक्षा सेवा से संबंधित पदाधिकारी अथवा राज्य की सिविल सेवा के सदस्य अथवा राज्य के तहत सविल पदाधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी अथवा केंद्र, राज्य अथवा प्रादेशिक अधिनियम द्वारा स्थापित कॉर्पोरेशन सविल पेंशन कोड के अंतर्गत प्राप्त होने वाली अनुतोषिक के विनियम के किसी भुगतान से धारा 10(10क)(i) के अंतर्गत छूट पाने के हकदार होंगे। अन्य किसी नियोक्ता की योजना के अतर्गत प्राप्त पेंशन के विनियम के भुगतान के संबंध में छूट धारा 10 (10क)(ii) के प्रावधानों के अंतर्गत वहन की जाएगी। इसके अलावा धारा 10(23ककख) में संदर्भित पूंजी से पेंशन के विनिमय के भुगतान की स्थिति में छूट धारा 10(10क)(iii) के तहत मिलेगी।

5.3.4 व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने, चाहे वृद्धावस्था की अयोग्य या चाहे अन्य कोर्इ कारण, के समय उसके द्वारा अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, अवकाश वेतन के समकक्ष वेतन, के कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोर्इ भुगतान धारा 10(10कक)(i) के तहत छूटयोग्य होगा। अन्य कर्मचारियों की स्थिति में यह छूट दस माह की अधिकतम अवकाश के अनुसार वृद्धावस्था की अयोग्यता पर सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के संबंध में मिलने वाला पैसे के संबंध के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह छूट उन कर्मचारियों के संबंध में जो 01.04.1998 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है, चाहे वृद्धावस्था के कारण अथवा अन्य किसी कारण से, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 588 (र्इ) दिनांक 31.05.2002 के अनुसार, रू. 3,00,000/-, निर्दिष्ट अधिकतम सीमा पर आगे लगाया जाएगा।

5.3.5 धारा 10(10ख) के तहत कामगार द्वारा प्राप्त होने वाला छंटनी मुआवजा कुछ शर्तों के अनुसार आय-कर के दायरे से बाहर है। छंटनी मुआवजे की अधिकतम सीमा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च(ख) के आधार आंकी गर्इ राशि अथवा केंद्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र, जो भी कम हो, में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा कम से कम 50,000/- तक हैं। यह सीमा उन स्थितियों में लागू नहीं होगी जहां मुआवजा किसी योजना, जो केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत की गर्इ हो और लागू होने वाली योजना तथा प्रासंगिक स्थितियों के अनुसार कामगार के उत्तरदायित्व को सुरक्षित रखने हेतु विशेष सुरक्षा की आवश्यकता हो, के तहत दिया जाना हो। ऐसे भुगतान की अधिकतम सीमा रू.5,00,000/- जहां मुआवजा 25.06.1999 की अधिसूचना सं. 10969 में निर्दिष्टानुसार 01.01.1997 को अथवा बाद में दिया हो।

5.3.6 धारा 10(10ग) के अंतर्गत, किसी योजना अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थिति में स्वैच्छिक रूप से हटने के अनुसार अपनी सेवा की समाप्ति अथवा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के

समय पर निम्नलिखित निकायों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्तनीय (भले ही किश्तों में प्राप्त हुई हो) कोई राशि उस सीमा तक आयकर से मुक्त होगी जबतक ऐसी राशि रू. 5,00,000/- से अधिक नहीं होती।

क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी

ख) अन्य कोई कंपनी

ग) केंद्र, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित प्राधिकरण

घ) स्थानीय प्राधिकरण

ङ) एक सहकारी संस्था

च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के तौर पर घोषित किए हुए संस्थान, केंद्र, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत अथवा निगमित अथवा स्थापित विश्विद्यालय

छ) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 3 (छ) के तहत कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

ज) आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचितानुसार ऐसे प्रबंधन संस्थान, इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाएगा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा के अंतर्गत प्राप्त छूट राशि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा देश भर अथवा किसी राज्य अथवा राज्यों में महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले अधिसूचित संस्थानों के कर्मचारियों को दी गई हैं। यह भी ध्यान दिया जाए कि जहां यह छूट किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कर्मचारी को स्वीकृत की गई हैं उसके लिए अन्य निर्धारण वर्ष की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के तहत स्वीकृत किया गया हैं तो धारा 10(10ग) के अंतर्गत कोई छूट नहीं दी जाएगी।

5.3.7 जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी प्राप्त होने वाली राशि, निम्नलिखित को छोडकर ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप् में आवंटित कुल राशि धारा 10(10घ) के अंतर्गत छूट योग्य होगी।

i) धारा 80घघ(3) अथवा धारा 80घघक(3) के तहत प्राप्त कोई राशि; अथवा

ii) प्रमुख बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि; अथवा

iii) 01.04.2003, किंतु 31.03.2012 को अथवा पूर्व, उस पॉलिसी के संबंध में जब पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देययोग्य प्रीमियम वास्तविक कुल बीमाकृत पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक, को अथवा पश्चात् जारी बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि; अथवा

iv) 01.04.2012 को अथवा पूर्व, उस पॉलिसी के संबंध में जब पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देययोग्य प्रीमियम वास्तविक कुल बीमाकृत पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक,

v) धारा 80घघख में निर्दिष्टानुार बीमारी अथवा संक्रमण से पीड़ित अथवा धारा 80प के अनुसार विक्लांग व्यक्तियों अथवा गंभीर विक्लांग व्यक्ति की स्थिति में 01.042013 को अथवा पश्चात जारी बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कुल राशि ,उस पॉलिसी के संबंध में जब पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देययोग्य प्रीमियम वास्तविक कुल बीमाकृत पूंजी का 15 प्रतिशत से अधिक

हालांकि व्यक्ति की मृत्यु पर उक्त (iii), (iv) तथा (v) में निर्दिष्ट ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि मुक्त होगी

अधिनियम की धारा 10(12क) के अनुसार, अपने खाते को बंद करने पर एक कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कोई भुगतान या धारा 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना से बाहर निकलने पर इस सीमा तक होगा कि यह योजना से उसके बाहर निकलने के समय उसको देययोग्य कुल राशि के चालीस प्रतिशत से अधिक न हो

अधिनियम की धारा 10(12ख) के अनुसार, धारा 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कोई भुगतान, नियम और शर्तों के अनुसार उसके खाते में से कि गए आंशिक निकासी पर, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकारी अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अंतर्गत निर्दिष्ट और इस आधार पर बनाए गए नियम, उस सीमा तक कि यह उसके द्वारा किए गए अंशदान की राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

5.3.8 किसी भी भविष्य निधि के भुगतान जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता हैं अथवा अन्य कोई भविष्य निधि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो तथा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित हो, धारा 10(11) के अंतर्गत के तहत छूट प्राप्त करने के योग्य है।

5.3.9 अधिनियम की धारा 10 (13क) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा अधिकृत आवासीय भवन के संबंध में किराए (जो भी नाम दिया जाए) के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को

स्वीकृत विशेषरूप से विशेष भत्ता निर्धारितानुसार आयकर से सीमा तक छूट योग्य हैं, ऐसे क्षेत्र और स्थान के संबंध में जो ऐसा भवन मौजूद हैं तथा अन्य प्रासंगिक विचारण। नियमों के नियम 2क के अनुसार छूट का परिमाण विशेष भत्तों पर किराये के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से एक के अनुसार लागू होगा।

(क) प्रासंगिक अवधि, यानि जिसमें वित्त वर्ष के दौरान भवन अधिकृत किया गया था, के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसे भत्तो की वास्तविक कीमत अथवा

(ख) प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के दसवें भाग के अधिशेष में किराए के भुगतान पर वहन किया गया वास्तविक व्यय अथवा

(i) ऐसे भवन जो बंबर्इ, कलकत्ता, दिल्ली अथवा मद्रास में स्थित हो, प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी द्वारा देय वेतन का 50 प्रतिशत

(ii) ऐसा भवन जो अन्य किसी स्थान पर स्थित हो, प्रासंिगक अवधि के लिए कर्मचारी द्वारा देय वेतन का 40 प्रतिशत

इस उद्देश्य के लिए 'वेतन' में मंहगार्इ भत्ता, यदि रोजगार की शर्ते उपलब्घ हो, लेकिन सभी अन्य भत्तो तथा रियायतों को छोडकर

यह ध्यान दिया जाए कि आवासीय भवन के संबंध में किराए के भुगतान पर वहन किया गया केवल वास्तविक व्यय निर्धारिती द्वारा अधिकृत किया जाएगा बशर्ते नियम 2क में निर्धारित सीमा आयकर से छूट योग्य हो। इसी प्रकार, कर्मचारी, जिस घर/फ्लैट में वह निवास करता हो, को स्वीकृत होने वाला घर का किराया आयकर की छूट से बाहर होगा।

जैसाकि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गर्इ है, नियम 26ग के साथ पठित धारा 192 (2घ) डीडीआके के लिए गृह किराया भत्ते के लिए छूट के संबंध में निम्नलिखित विवरण/प्रमाणों को प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है

(i) मालिक को दिया गया किराया

(ii) मालिक का नाम

(iii) मालिक का पता

(iv) मालिक का पैन

जहां वित्त वर्ष के दौरान दिया गया कुल किराया एक लाख रूपए से अधिक होती है तो कर्मचारी को प्रपत्र 12खख में इन विवरणों को प्रस्तुत करना आवश्यक है

5.3.10 धारा 10(14) निम्नलिखित भत्तों के लिए छूट प्रदान करता है

(i) नियम 2खख के अंतर्गत निर्धारित अपने कर्त्तव्य के निवर्हन के दौरान किए गए पूर्ण, आवश्यक तथा विशेष को पूरा करने के लिए कर्मचारी को कुछ विशेष भत्ते अथवा लाभ मिल सकते हैं बशर्तें इस उद्देश्य के लिए वास्तविक व्यय किया गया हो

(ii) कर्मचारी को स्वीकृत किया गया कोर्इ भत्ता चाहे तैनाती वाले स्थान पर अपनी व्यक्गित खर्चों को पूरा करने के लिए हो अथवा उसके स्थानीय स्थल पर, आवासीय स्थान के बढ़ते शुल्क के लिए मुआवजा दिया जाएगा जो कि निर्धारितानुसार तथा निर्धारित किया जा सकता हैं।

हालांकि, उक्त (ii) में संदर्भित भत्ते व्यक्तिगत प्रकार के भत्तों में शामिल नहीं हैं जिसे उसके कार्यालय से संबंधित विशेष प्रकार के कार्यो को पूरा करने के लिए पारिश्रमिक अथवा क्षतिपूर्ति पूरी करने के लिए स्वीकृत किया जाए जब तक ऐसे भत्ते उसके नियुक्ति स्थल अथवा आवास से संबंधित हो।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि एक कर्मचारी को दिया गया कोर्इ भत्ता जो नियम 2खख के साथ पठित धारा 10(14) के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है या भत्ते की राशि नियम के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक है तो वह वेतन से मुख्य आय के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय होगी। उदाहरण के लिए, किसी प्रशिक्षण संस्थान में तैनाती के लिए दिया गया प्रशिक्षण भत्ते के लिए नियम 2खख में कोर्इ छूट मुहैया नहीं करार्इ गर्इ इसलिए पूरा प्रशिक्षण भत्ता वेतन में शामिल होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना सं. एसओ 617(ड़) दिनांक 7 जुलार्इ, 1995 (एफ. सं. 142/9/95-टीपीएल) के मार्फत धारा 10(14) (i) एवं 10(14) (ii) के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसे अधिसूचना एसओ सं. 403 (र्इ) दिनांक 24.04.2000(एफ. सं. 142/34/99-टीपीएल) के मार्फत संशोधित किया गया हैं। नियम 2खख को संशोधित किया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए परिवहन भत्ते के संबंध में छूट रू. 3200 तक केवल उन नेत्रहीन या कम अंगों वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ही उलब्ध है जो अपने निवास स्थल तथा नौकरी वाले स्थल के बीच के परिवहन के उद्देश्य से किए गए व्यय करते हैं।

5.3.11 अधिनियम की धारा 10(15)(iv)(i) के अंतर्गत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सेवानृवित्त को छोड़कर, केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में ऐसी योजना बनाए जाने अथवा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचितानुसार, के कर्मचारी द्वारा किया गया जमा पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज आयकर से छूट प्राप्त हैं। अधिसूचना सं. एफ.2/14/89-एनएस-II दिनांक 7.6.89, अधिसूचना सं. एफ.2/14/89-एनएस-II दिनांक 12.10.89 द्वारा संशोिधानुसार, केंद्र सरकार ने कथित वाक्यांश के उद्देश्य के लिए सेवानृवित्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना के नाम से योजना अधिसूचित की हैं।

5.3.12 शिक्षा पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए स्वीकृत किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अधिसूचना की धारा 10(16) के प्रावधानों के अनुसार कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।

5.3.13 धारा 10(18) किसी व्यक्ति जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी हो तथा "परम वीर चक्र" अथवा "महावीर चक्र" अथवा "वीर चक्र" अथवा केंद्र सरकार द्वारा विशेषरूप से निर्दिष्ट ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार, द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त किसी प्रकार का वेतन की छूट प्रदान करता हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन अधिसूचना सं. एस.ओ. 1948(र्इ) दिनांक 24.11.2000 तथा 81 (र्इ) दिनांक 29.01.2001 के तहत छूट प्राप्त हैं जिसे परिशिष्ट VIII व IX के तहत संलग्न किया गया है। इस उद्देश्य के लिए "पारिवार" अधिनियम की धारा 10(5) में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार है।

ऐसे पुरस्कार को प्राप्त करने की स्थिति में डीडीओ कर में कटौती न करने का विकल्प दे सकता है बशर्त्ते दावों के मूल्यांकन के बारे में उनको संतुष्ट किया जाए।

5.3.14 अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत कर से छूट निम्न संबंधों में भी उपलब्ध होगी :-

(क) नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित किसी अस्पताल में किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी उपलब्ध करार्इ जाने वाली चिकित्सा सुविधा पर खर्च होने वाली राशि

(ख) कर्मचारी के स्वयं के चिकित्सा इलाज अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वास्तविक रूप से व्यय किए गए खर्चे के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गर्इ कोर्इ राशि

- (i) अपने कर्मचारी के चिकित्सीय इलाज के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्इ अन्य अस्पताल अथवा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित कोर्इ अन्य अस्पताल
- (ii) नियम के नियम 3 (क)(1) में निर्धारित दिशानिर्देशों के संबंध में मुख्य आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल के नियम के नियम 3क(2) में उपलब्धतानुसार निर्धारित बीमारी अथवा रोग के संबंध में

(ग) कर्मचारी (केंद्र सरकार अथवा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोर्इ योजना) के लिए लिए गए चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा दिया गया प्रीमियम अथवा कर्मचारी जिसने अपने लिए अथवा अपने परिवार के सदस्य (केंद्र सरकार अथवा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोर्इ योजना) के लिए चिकित्सा बीमा लिया हो, को बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति

(घ) विदेश में चिक्तिसीय इलाज के संबंध में कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के रहने तथा इलाज अथवा ऐसे इलाज के लिए मरीज की सेवा करने वाली एक परिचारक की रहने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा हेतु रियायत इसमें शामिल नहीं होगी। यह ध्यान दिया जा सकता हैं कि मरीज/परिचारिका द्वारा विदेश यात्रा पर किया गया व्यय केवल तब ही रियायत से बाहर होगा जब कर्मचारी की सकल कुल आय, जैसी कथित व्यय शामिल करने से पूर्व आंकी जाती है, रू. 2 लाख से अधिक न हो।

चिकित्सालय अथवा क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम सहित अस्पताल में चिकित्सीय इलाज पर व्यय किया गया खर्च की छूट का लाभ उठाने के लिए तथा व्यक्ति से संबंध रखने वाला परिवार अर्थात् व्यक्ति का जीवनसाथी तथा बच्चे। परिवार में व्यक्ति के माता-पिता भार्इ तथा बहनें भी शामिल हैं यदि वह पूर्ण अथवा मुख्यत: व्यक्ति पर आश्रित हैं।

यह निर्दिष्ट करना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 10(13क), 10(5), 10(14), 17 आदि के अंतर्गत विशेष रूप से मुक्त लाभ मुक्त रहेंगे। यह शामिल लाभ जैसे गृह किराया लाभ, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा तथा स्थानांतरण पर यात्रा व्यय भत्ता, निर्धारितानुसार यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता, चिकित्सा सुविधा

5.3.15 इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 2खख के साथ पठित धारा 10(14) के अनुसार स्थानांतरण के निजी प्रभाव के स्थानांतरण, पार्किंग और परिवहन के संबंध में दी गर्इ किसी राशि सहित स्थानांतरण या यात्रा पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिए गए किसी भत्ते कर मुक्त होंगे। साथ ही ऐसे

भत्ते, चाहे स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिए जाते हों या अपनी ड्यूटी से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए सामान्य दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए दिए जाते हो, कर मुक्त होंगे

5.4 वेतन से आय द्वारा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कटौतियां

5.4.1 धारा 16(ik) के अंतर्गत मानक कटौती निर्धारण वर्ष 2018-19 से चालीस हजार रूपए की कटौती या वेतन की राशि जो भी कम हो, मानक कटौती के तौर पर मान्य होगी

5.4.2 मनोरंजन भत्ता [(धारा 16(ii)] :

निर्धारिती जो सरकार से वेतन प्राप्त करता हो, को नियोक्ता द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत मनोरंजन के रूप में किसी प्रकार के भत्ते के संबंध में धारा 16(ii) एक कटौती स्वीकार्य हैं जो उसके वेतन को एक/पांच भाग (किसी प्रकार के भत्ते, लाभ अथवा अन्य रियायत को छोडकर) अथवा पांच हजार जो भी कम हो, होगीं। गैर सरकारी कर्मचारी के संबंध में किसी प्रकार का कोर्इ मंनोरजंन भत्ते में कोर्इ कटौती नहीं होगी।

5.4.3 रोजगार पर कर [(धारा 16(iii)]

भारतीय संविधान, अन्य किसी कानून के तहत लागू, की गई धारा 276(2) के अर्थानुसार रोजगार (पेशा कर) पर कर "वेतन" विषय के अंतर्गत आय की गणना में कटौतीनुसार स्वीकृत होगी।

5.5 अधिनियम के अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौतियां

कर्मचारी के करयोग्य वेतन की गणना के लिए अधिनियम के अध्याय VI-क के अंतर्गत निम्नलिखित कटौतियां उसकी सकल कुल आय से स्वीकृत होगी।

5.5.1 जीवन बीमा प्रीमियम, स्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि हेतु अंशदान, कुछ इक्विटी शेयर अथवा डिबेंचर आदि हेतु अंशदान (धारा 80ग)

क. धारा 80ग, कर्मचारी को निम्नलिखित योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान अथवा जमा की पूर्ण राशि हेतु कटौती हक देती हैं, बशर्ते सीमा रू. 1,50,000/- हो।

(1) व्यक्ति, जीवनसाथी अथवा किसी बच्चे, जीवन बीमा अमल में लाने अथवा रखने के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान

(2) आस्थगिती वार्षिक, के लिए अनुबंध को अमल में लाने अथवा रखने के लिए किया गया कोर्इ भुगतान व्यक्ति, व्यक्ति का जीवनसाथी अथवा कोर्इ बच्चा के जीवन पर नीचे निर्दिष्ट मद (7) हेतु संदर्भित किए गए वार्षिकी योजना हेतु नहीं होगा बशर्ते उपलब्ध कराया जाए कि वार्षिकी के भुगतान के स्थान पर नकद भुगतान को प्राप्त करने के विकल्प को बीमाकृत व्यक्ति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रावधानों में शामिल नहीं किया गया हैं।

(3) किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा अथवा की ओर से देययोग्य वेतन से किसी प्रकार की कुल कटौती आस्थिगित वार्षिकी अथवा उसके जीवनसाथी अथवा बच्चों के प्रावधानों के गठन हेतु को प्राप्त कराने के उद्देश्य से उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार कुल काटी गर्इ राशि वेतन के 1/5 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) कोर्इ भी किया गया अंशदान

(क) व्यक्ति द्वारा किसी भविष्य निधि, जिसके लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता हो, के लिए

(ख) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोर्इ भविष्य निधि तथा अधिकारिक राजपत्र में इस संबध में अधिसूचित, जहां ऐसे अंशदान व्यक्ति अथवा जीवनसाथी अथवा बच्चे के नाम पर खाते में किया गया हो।

(केंद्र सरकार ने जब से अधिसूचना एस.ओ. सं. 1559(र्इ) दिनांक 3.11.05 के मार्फत सार्वजनिक भविष्य निधि में अधिसूचित किया हैं)

(ग) कर्मचारी द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि हेतु

(घ) कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष

यह ध्यान दिया जा सकता कि किसी कोष हेतु "अंशदान" ऋण अथवा उधार के भुगतान की रकम में शामिल नहीं होगी।

(5) अंशदान के तौर पर वर्ष के दौरान दिया गया अथवा जमा कोर्इ राशि :-

(क) बालिका सहित उस कर्मचारी की बालिका अथवा कर्मचारी के नाम पर जिसके लिए कर्मचारी इस संबंध में निर्दिष्ट आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचितानुसार केंद्र सरकार की ऐसी जमा योजना अथवा केंद्र सरकार की ऐसी प्रतिभूति हेतु कानूनी अभिभावक हो

[केंद्र सरकार ने तब से अधिसूचना जीएसआर सं. 863(इ)दिनांक 02.12.2014 के मार्फत 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना को अधिसूचित किया हो]

(ख) इस संबंध में निर्दिष्ट आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचितानुसार सरकार द्वारा सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2(ग) में परिभाषित ऐसे बचत पत्र हेतु

[केंद्र सरकार ने तब से अधिसूचना सं. एस.ओ. सं. 1560(रइ) दिनांक 3.11.05 के मार्फत राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII अंक) तथा अधिसूचना जी.एस.आर. 848(रइ) दिनांक 29 नवंबर, 2011 के मार्फत राष्ट्रीय बचत पत्र (IX अंक) को अधिसूचित किया हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र (IX अंक) नियम, 2011 जी.एस.आर 868 (रइ) दिनांक 7 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित कर, संशोधन अधिसूचना सं. जीएसआर 319(रइ), दिनांक 25.4.2012 को प्रबलित बना बचत पत्र एफ सं. 1-13/2011-एनएस-II की श्रेणी के तौर पर राष्ट्रीय बचत पत्र IX अंक को निर्दिष्ट करते हुए]

(6) किसी व्यक्ति, स्वयं के लिए, जीवन साथी अथवा किसी बच्चे की स्थिति में अंशदान के रूप में दी गरइ कोरइ राशि

क. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, 1971 के योगदान पर

ख. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचितानुसार तथा धारा 10 (23घ) में संदर्भित जीवन बीमा निगम के म्चूयल फंड के यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में किसी योगदान पर

(केंद्र सरकार ने तब से अधिसूचना एस.ओ सं. 1561 (रइ) दिनांक 3.11.05 के मार्फत एलआरइसी म्यूंयल फंड के यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (धनरक्षा, 1989 के तौर पर प्रसिद्ध) को अधिसूचित किया हैं।

(7) आधिकारिक राजपत्र, निर्दिष्ट में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार की अन्य कोरइ बीमा कंपनी अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की ऐसे वार्षिक योजना के लिए अनुबंध को अमल में लाने अथवा रखने के लिए किया गया किसी प्रकार का अंशदान

(केंद्र सरकार ने तब से अधिसूचना एस.ओ. सं. 1562 (रइ) दिनांक 3.11.05 के मार्फत न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा-I, न्यू जीवन अक्षय, न्यू जीवन अक्षय-I तथा न्यू जीवन अक्षय- II तथा अधिसूचना एस.ओ. सं. 847 (रइ) दिनांक 1.6.2006 के मार्फत जीवन अक्षय- III)

(8) इस संबंध में संदर्भित आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचानुसार केंद्र सरकार की किसी योजना के अनुसार किसी बनारइ गरइ योजना के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम व निरसन को स्थानांतरित) को संदर्भ करने हेतु निर्दिष्ट कंपनी अथवा प्रशासक अथवा धारा 10(23घ) की म्यूचुयल फंड की किसी रइकारइ को दिया अंशदान

(केंद्र सरकार ने तब अधिसूचना एस.ओ. 1563(रइ) दिनांक 3.11.2005 के मार्फत इस उद्देश्य के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 अथवा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 1998 के अनुसार बनी हुरइ योजना में 1.4.2006 के बाद किया गया निवेश धारा 80ग के अंतर्गत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त हैं।

(9) इस संबंध में संदर्भित आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचानुसार केंद्र सरकार के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम व निरसन को स्थानांतरित) अधिनियम, 2002, में परिभाषित निर्दिष्ट कंपनी अथवा प्रबंधक अथवा धारा 10(23घ) के संदर्भन हेतु किसी म्यूचुयल फंड के स्थापन पेंशन कोष किसी व्यक्ति द्वारा दिया अंशदान

(केंद्र सरकार ने तब अधिसूचना एस.ओ. 1563(रइ) दिनांक 3.11.2005 के मार्फत इस उद्देश्य के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है।

(10) इस संबंध में संदर्भित आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचानुसार केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा स्थापित ऐसा कोरइ पेंशन कोष हेतु कोरइ अंशदान करने अथवा ऐसी कोरइ जमा योजना ऐसे किसी अंशदान को करने के लिए

(11) (क) आवासीय उद्देश्य के लिए भारत में घरों की खरीद अथवा निर्माण के लिए दीर्घ-कालीन ऋण उपलब्ध कराने में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी (ख) किसी भारतीय कानून द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित कोरइ प्राधिकरण जो भवन अथवा अकोमोडेशन अथवा शहरों, कस्बों तथा गांवों, अथवा दोनों के लिए, की

योजना, विकास अथवा शहरों उन्नतीकरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, इस उद्देश्य हेतु आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार की ओर से ऐसी किसी जमा योजना में किसी प्रकार का अंशदान

(केंद्र सरकार ने तब धारा 80ग(2)(xvi)(क) के उद्देश्य हेतु अधिसूचना एस.ओ. 37(इ) दिनांक 11.01.2007 के मार्फत एचयूडीसीओ की सार्वजनिक जमा योजना को अधिसूचित किया है)

(12) आवासीय भवन संपत्ति, आय जो "आवासीय संपत्ति से आय" विषय के अंतर्गत कर योग्य हैं, के क्रय अथवा निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई कोई रकम (अथवा जो यदि निर्धारिती के स्वयं का भवन प्रयोग नहीं होता हैं, इस विषय के अंतर्गत कर योग्यनीय हैं) जहां ऐसा भुगतान किसी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड आदि की किसी स्व: वित्तपोषण के अंतर्गत देय राशि की किसी भाग अथवा किसी किश्त के रूप में किया गया भुगतान, के क्रय अथवा निर्माण के उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतित कोई रकम

कटौती भारत में भवन निर्माण अथवा क्रय के लिए दीर्घकालीन अवधि का ऋण उपलब्ध के व्यापार में संलग्न संस्थानों की कुछ अन्य श्रेणियां अथवा राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक, अथवा जीवन बीमा निगम अथवा कोई बैंक अथवा सरकार से निर्धारिती द्वारा उधार लिए गए ऋण के लौटाने के संबंध में भी स्वीकार्य होगी। नियोक्ता द्वारा उधार लिया गया ऋण लौटाने की स्थिति में यह भी कवर होगा यदि नियोक्ता केंद्र अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई अन्य निकाय अथवा कार्पोरेट अथवा बोर्ड अथवा प्राधिकरण अथवा सहकारी संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अथवा कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो

स्थानांतरण के लिए किए गए स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य खर्चे भी शामिल किए जाऐंगे। भवन संपत्ति की लागत के लिए भुगतान में प्रवेश शुल्क अथवा शेयर पूंजी प्रारंभिक जमा अथवा अन्य किसी वृद्धि अथवा संशोधन शुल्क अथवा भवन संपत्ति जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र के निगर्मन पर किया गया अथवा निर्धारिती द्वारा भवन के अधिपत्य अथवा बाहर निकलने पर, का नवीकरण अथवा मरम्मत का खर्चा शामिल नहीं होगा। अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती के संबंध में किसी प्रकार के व्यय के लिए भुगतान भवन संपत्ति के निर्माण अथवा क्रय के लिए भुगतान में शामिल नहीं होगी।

जहां भवन संपत्ति जिसके लिए कटौती इन प्रावधानों के लिए स्वीकार्य की गई हैं धारा 80ग(20)(xviii) में निर्दिष्ट किसी राशि अथवा धन वापसी के रूप में उसके द्वारा अधिपत्य करने अथवा वापस करने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से पांच साल की समाप्ति तिथि से पूर्व किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कटौती ऐसे पूर्व वर्षों में दी गई कुल राशि के संबंध में की जाएगी जब स्थानांरण किया गया तथा पूर्व के वर्षों की स्वीकृत आय की कुल कटौती निर्धारिती की पिछले वर्षों की कुल आय के कर के अनुसार की जाएगी।

(13) शिक्षण शुल्क, चाहे प्रवेश के दौरान अथवा उसके बाद भारत में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थानों को कर्मचारी के किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालीन अवधि शिक्षा के उद्देश्य हेतु

पूर्णकालीन शिक्षा में विद्यार्थी जिसने कथित पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालीन समय के लिए पंजीकरण कराया हैं, के लिए किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य किसी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता हैं कि शिक्षण शुल्क के तौर पर स्वीकार्य राशि में विकास राशि अथवा चंदा अथवा प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा समान प्रकार के राशि के भुगतान को छोड़कर भारत में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थान को किसी भी प्रकार का भुगतान शामिल होगा।

(14) बोर्ड अथवा किसी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक कंपनी द्वारा दी गई किसी निर्वाच्य पूंजी का इक्विटी शेयर अथवा ऋणपत्र हेतु अंशदान

(15) बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा धारा 10 के वाक्यांश (23घ) हेतु सदंर्भित किसी म्युचूयल फंड की किसी श्रेणी हेतु अंशदान, यदि ऐसी श्रेणी के अंशदान की राशि किसी कंपनी की पूंजी के निर्वाच्य निगर्मन में अंशदान हों।

(16) अनुसूचित बैंक के साथ कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा हेतु मियादी जमा के तौर पर निवेश, इस उद्देश्य हेतु आधिकारिक राजपत्र में केद्र सरकार द्वारा निर्मित तथा अधिसूचितानुसार

(केंद्र सरकार ने अधिसूचना एस.ओ. सं. 1220(इ) दिनांक 28.7.2006 के मार्फत इस उद्देश्य हेतु बैंक अवधि जमा योजना, 2006 को अधिसूचित किया हैं)

(17) इस संबध में आधिकारिक राजपत्र में ऐसी अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार की ओर से कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी ऐसे बांड हेतु अंशदान

(18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अंतर्गत खाते में किसी प्रकार का निवेश

(19) डाक घर समय अवधि नियम, 1981 के अंतर्गत खाते में पाच वर्षों की अवधि जमा हेतु किसी प्रकार का अंशदान

ख. धारा 80ग(3) व 80ग(3क) निर्दिष्ट करती हैं कि किसी प्रीमियम की आस्थगित वार्षिकी राशि अथवा अन्य किसी किए गए भुगतान के अनुबंध को छोड़कर बीमा पॉलिसी की स्थिति में निम्न तक सीमित होगा

1 अप्रैल 2012 से पूर्व जारी पॉलिसी	वास्तविक पूं्जी निश्चित राशि का 20 प्रतिशत
1 अप्रैल 2012 को अथवा के बाद जारी पॉलिसी	वास्तविक पूं्जी निश्चित राशि का 10 प्रतिशत
अप्रैल 2013 को अथवा के बाद जारी पॉलिसी * - धारा 80प के अनुसार विक्लांग व्यक्तियों अथवा गंभीर विक्लांगता अथवा धारा 80डीडीबी में निर्दिष्टानुसार बीमारी अथवा रोग से पीड़ितों की स्थिति में	वास्तविक पूं्जी निश्चित राशि का 15 प्रतिशत

* वित्त अधिनियम 2013 द्वारा प्रारंभ

जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में वास्तविक पूंजी सम एशोयर्ड का अर्थ पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकृत होने पर पॉलिसी के तहत न्यूनतम निश्चित राशि, निम्न खाते में शामिल नहीं होगी

(i) प्रीमियम की कोरइ राशि वापसी हेतु सहमति, अथवा

(ii) कुल वास्तविक निश्चित राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती हैं, के अतिरिक्त बोनस अथवा अन्य रूप से प्राप्त लाभ के रूप में

5.5.2 कुछ पेंशन कोष के अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80गगग)

धारा 80गगग, धारा 10(23ककख) में संदर्भित कोष से प्राप्त होने वाली पेंशन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा अन्य किसी बीमा कंपनी के वार्षिकी योजना हेतु अनुबंध को लागू करने अथवा रखने के लिए कर हेतु कटौतीयोग्य आय से भुगतान अथवा जमा करने के लिए कर्मचारी कटौती का अधिकार देती हैं। हालांकि, कटौती कर्मचारी के खाते, यदि हो तो, में ब्याज अथवा उपार्जित बोनस अथवा जमा को छोड़कर की जाएगी यदि राशि रू. 1,50,000 से अधिक न हो।

हालांकि यदि कोरइ राशि उक्त सदर्भित राशि में कर्मचारी के पूंजी हेतु बकाया है तो कटौती उक्तानुसार स्वीकृत की जाएगी तथा कर्मचारी अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति निम्न कारणों की वजह से इस खाते में आने वाले ब्याज अथवा उपार्जित बोनस अथवा पूंजी के साथ इस राशि को प्राप्त करेगा।

(i) वार्षिकी योजना की समाप्ति चाहे पूरी हो या कुछ भाग

(ii) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन

वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली राशि उस वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति की आय से उसी प्रकार कर वसूला जाएगा।

जहां कर्मचारी द्वारा किसी राशि का भुगतान अथवा जमा करारइ जाती हैं तो इस धारा के उद्देश्य हेतु खाते में शामिल की जाती हैं, , ऐसी राशि से संबंधित कटौती धारा 80ग के अंतर्गत स्वीकृत नहीं की जाएगी।

5.5.3 केद्र सरकार की पेंशन योजना के अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80गगघ) :

धारा 80गगघ (1) कर्मचारी, 01.01.2004 को अथवा के पश्चात अन्य नियोक्ता द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति का होना अथवा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होने के नाते अथवा व्यक्ति के तौर पर अन्य को कोरइ निर्धारिती, अधिसूचना एफ. एन. 5/7/2003-रइसीबीएंडपीआर दिनांक 22.12.2003 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली - एनपीएस) द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, के मार्फत अधिसूचितानुसार पेंशन के अंतर्गत कर हेतु प्रभारणीय आय का देय राशि अथवा जमा से कटौती की जाएगी। बहरहाल, कटौती कर्मचारी के वेतन (मंहगारइ भत्ते को मिलाकर लेकिन अन्य सभी भत्तों और रियायतों को छोड़कर) के 10 प्रतिशत की समान राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

धारा 80गगघ(1ख) के अनुसार, 80गगघ(1) में संदर्भित निर्धारिती को अपनी आय की गणना में कटौती की स्वीकृति होगी, अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत अपने खाते में दी अथवा जमा पूर्ण राशि अथवा केंद्र

सरकार द्वारा जिसे निर्धारित किया जा सकता हैं, जो रू. 50,000 से अधिक नहीं होगी। रू. 50,000 की कटौती स्वीकृत होगी चाहे कटौती उप-धारा (1) के अंतर्गत हो अथवा नहीं। हालांकि इस राशि को धारा 80गगघ की दोनो उप-धारा (1) तथा उप-धारा (1ख) के अंतर्गत दावा नहीं किया जा सकता।

धारा 80गगघ(2) के अनुसार,जहां कथित पेंशन योजना में किसी प्रकार का अंशदान केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी नियेाक्ता द्वारा किया जाता हैं तो कर्मचारी को उसके पिछले वर्ष के वेतन की 10 प्रतिशत तक की सीमा के अनुसार केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता द्वारा पूर्ण राशि के कुल वेतन से कटौती की स्वीकृति दी जाएगीं।

पैरा 5.3.7 में चर्चित धारा 10(12क) और धारा 10(12ख) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोरइ राशि उक्त संदर्भित पेंशन योजना में कर्मचारी की पूंजीे के समक्ष बकाया हैं तो कटौती उक्त संदर्भ के अनुसार स्वीकृत की जाएगी तथा कर्मचारी अथवा उसका मनोनीत सदस्य निम्न कारण की वजह से उस पर उपार्जित राशि सहित इस राशि को प्राप्त करेगा।

(i) पेंशन योजना की समाप्ति अथवा बाहर निकलने की स्थिति में अथवा

(ii) वार्षिकी योजना की खरीद द्वारा प्राप्त पेंशन तथा ऐसी समाप्ति अथवा बाहर निकलने की स्थिति का चुनाव करता हैं तो वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी राशि उस वित्त वर्ष के लिए

वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी राशि उस वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी की आय अथवा उसके नामांकित व्यक्ति व्यक्ति की आय होगी तथा तद्नुसार कर हेतु वसूल होगी।

आगे, निर्धारिती के मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि पेंशन को समाप्त या प्रारंभ करने पर नामांकित व्यक्ति की आय होने के तौर पर नहीं समझी जाती

जहां कर्मचारी द्वारा भुगतान अथवा जमा करारइ किसी राशि का इस धारा के उद्देश्य हेतु खाते में शामिल की जाती हैं, तो ऐसी राशि से संबंधित कटौती धारा 80ग के अंतर्गत स्वीकृत नहीं की जाएगीं।

आगे यह निर्दिष्ट किया जाता हैं कि प्रभावी तिथि 01.04.09 से नरइ पेंशन योजना से कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोरइ राशि पिछले वर्ष में प्राप्त न किए गए के तौर पर समझी जाएगी यदि ऐसी राशि उसी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना की खरीद के लिए प्रयोग होती हैं।

इस बात पर महत्व दिया जाता हैं कि धारा 80गगड़ के अनुसार धारा 80ग, 80गगग तथा धारा 80गगघ(1) के अंतर्गत कटौती की कुल राशि रू. 1,50,000/- से अधिक नहीं होगा। धारा 80गगघ(1ख) के अंतर्गत स्वीकृत कटौती रू. 50,000/- तक एनपीएस में दी गरइ किसी राशि के संबंध में अतिरिक्त कटौती हैं। हालांकि, धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत पेंशन योजना हेतु केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान इस धारा के अंतर्गत उपलब्ध करारइ गरइ रू. 1,50,000/- की सीमा से बाहर होगा।

5.5.4 इक्विटी बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश से संबंधित कटौती (धारा 80गगघ) :

धारा 80गगघ अधिसूचित इक्विटी बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के संबंध में प्रभावी मूल्यांकन वर्ष 2013-14 अनुसार कटौती उपलब्ध कराता है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 2012 को इस धारा के अंतर्गत योजना के अनुसार एसओ सं. 2777रइ दिनांक 23.11.2012 (उत्तरगामी शुद्धिपत्र एसओ. नं. 2835रइ दिनांक 05.12.2012) तथा इस धारा के अंतर्गत योजना के तौर पर अधिसूचना सं. 3693रइ दिनांक 18.12.2013 के मार्फत संशोधित किया गया हैं। यह योजना आरजीरइएसएस 2013 के अनुसार अधिसूचना एसओ सं. 3693 दिनांक 18.12.2013 (आरजीरइएसएस, 2013) के मार्फत दिसंबर 2013 में संशोधित की गरइ थी। आरजीरइएसएस 2013 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत यह कटौती उपलब्ध होगी यदि निम्न शर्तों को पूरा किया जाता हैं :

(क) निर्धारिती अकेला रहता हो

(ख) उसकी सकल कुल आय रू. 12 लाख से अधिक न हो

(ग) उसने धारा 10(38) में परिभाषित इक्विटी उन्मुख कोष की अधिसूचित योजना अथवा सूचित सूची के अनसुार सूचित शेयर लिए हो

(घ) निर्धारिती नया रिटेल निवेशक हो

(ड) उक्त योजना के अनुसार अधिग्रहण की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए निवेश बंद हो

(च) निर्धारिती निर्धारितानुसार अन्य शर्तो को पूरा करता हो

कटौती राशि : कटौती राशि इक्विटी शेयर/रइकारइ में निवेशित राशि का 50 प्रतिशत हैं। बहरहाल, इस प्रावधान के अंतर्गत राशि रू. 25,000 से अधिक न हो।

कटौती की वापसी - उक्त कथित कटौती के दावों के बाद यदि निर्धारिती उक्त शर्तों को पूरा करने में असफल रहता हैं तो वास्तविक स्वीकार्य कटौती उस वर्ष के निर्धारिती आये से समझी जाएगी जब व्यक्तिक्रम प्रतिबद्ध हो।

यह कटौती उस निर्धारण वर्ष की शुरूआत के साथ लगातार तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए स्वीकृत होगी जिसमें सूचित इक्विटी शेयर अथवा श्रेणी पहले अधिगृत की गरइ थी। किसी वर्ष में इस धारा के तहत करदाता द्वारा किसी प्रकार की कटौती का दावा किया जाता हैं तो वह अन्य किसी वर्ष के लिए इस धारा के तहत किसी कटौती का हकदार नहीं होगा।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती उस कर्मचारी के लिए स्वीकृत होगी जिसने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा किया है यदि वह इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती का दावा करने के योग्य है

5.5.5 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान, आदि के संबंध में कटौती (धारा 80घ)

विवरण	स्थिति - 1		स्थिति - 2		स्थिति - 3	
	स्वंय व परिवार (उनमें से कोरइ वरिष्ठ नागरिक न हो)	माता-पिता (उनमें से कोरइ वरिष्ठ नागरिक न हो)	स्वयं व परिवार (उनमें से कोरइ वरिष्ठ नागरिक न हो)	माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)	स्वयं व परिवार (उनमें से कोरइ एक वरिष्ठ नागरिक हो)	माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)
चिकित्सा बीमा आदि	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000
चिकित्सा व्यय**	--	--	--	50,000	50,000	50,000
अधिकतम स्वीकार्य कटौती	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000
धारा 80घ के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती की कुल राशि	**50,000**		**75,000**		**1,00,000**	

* शामिल है (i) अपने और परिवार के लिए केंद्र सरकारी स्वास्थ्य योजना/अधिसूचित योजना हेतु अंशदान और (ii) रू. 5,000/- तक रोकथामी स्वास्थ्य जांच के लिए दी गरइ राशि

** तभी स्वीकृत होगी यदि कोरइ राशि चिकित्सा बीमा के लिए नहीं दी जाती

टिप्पणी 1 : निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान नकद में ही की किया जा सकता है, अन्य भुगतान गैर-नकद विधि में की किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2 : वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा अधिनियम की धारा 80घ को संशोधित किया गया है ताकि उपलब्ध कराया जा सके कि एक वर्ष से अधिक के कवर वाली एकल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की स्थिति में कटौती उन वर्षों के लिए अनुपातिक आधार पर स्वीकृत होगा जिसके लिए उक्त निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के अनुसार बीमा कवर मुहैया कराया गया है

यहां

i) "परिवार" का अर्थ कर्मचारी का जीवनसाथी और आश्रिम बच्चे
ii) "वरिष्ठ नागरिक" का अर्थ एक व्यक्ति जो भारत में रहता है और जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के किसी भी समय के दौरान साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो

डीडीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त हेतु संदर्भित चिकित्सा बीमा निम्न की ओर से इस संबंध में बनारइ गरइ योजना के अनुसार होगा

(क) इस संबध में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित तथा सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अंतर्गत गठित भारतीय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अथवा

(ख) बीमा नियामक द्वारा बीमाकृत और अनुमोदित अन्य कोरइ तथा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित विकास प्राधिकरण

(II) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान

यदि, एक मुश्त राशि एक वर्ष से अधिक के लिए स्वास्थ्य बीमा पर बीमा को प्रभावी या सक्रिय करने के लिए दी जाती है तो अनुपातिक कटौती (उपयुक्त अंश) उस वर्ष के लिए स्वीकार्य होगा जिसमें धारा 8घ की उप-धारा (4क) के अनुसार उत्तरगामी वर्ष/वर्षों के लिए यह दी गरइ

5.5.6 विकलांग व्यक्तियों अथवा आश्रितों पर व्यय के संबंध में कटौती

5.5.6.1 आश्रित विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा उपचार सहित रखरखाव के संबंध में कटौती (धारा 80घघ) :

धारा 80घघ के अंतर्गत, जहां कर्मचारी, भारत का नागरिक हो, पिछले वर्षों के दौरान

(क) विकलांग व्यक्तियों होने की स्थिति में आश्रित के चिकित्सीय उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण तथा पुर्नवास हेतु किसी प्रकार का किया गया व्यय अथवा

(ख) जीवन बीमा निगम अथवा अन्य किसी बीमा कंपनी अथवा प्राधिकरण अथवा निर्दिष्ट कंपनी की ओर से इस संबंध में गठित योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का देय अथवा जमा की गरइ राशि बशर्ते इस संबंध में अनुरक्षण शर्तों तथा आश्रित, विकलांग होने के नाते, के रखरखाव हेतु इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित, कर्मचारी उस वर्ष की उसकी कुल सकल आय से पचास हजार रूपए के कुल कटौती स्वीकृत की जाएगी।

हालांकि, जहां ऐसे आश्रित व्यक्ति गंभीर विकलांगता के साथ जूझ रहे हो उन्हें 1,25,000/- रूपए की राशि निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कटौती स्वीकृत होगी।

ऊपर (ख) के अंतर्गत कटौती केवल तभी स्वीकृत होगी यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हैं :-

(i) उक्त (ख) में संदर्भित योजना आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी अथवा एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए मुहैया करारइ है, विकलांग व्यक्ति के तौर पर, व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जिनका नाम योजना का अंशदान किया गया हैं।

(ii) नामांकित कर्मचारी या तो आश्रित, विकलांग व्यक्ति के तौर पर अथवा अन्य कोरइ व्यक्ति अथवा न्यास आश्रित, विकलांग व्यक्ति के तौर पर, के लाभ के लिए उसकी ओर से भुगतान की प्राप्ति के लिए

हालांकि, यदि आश्रित की, विक्लांग व्यक्ति के तौर पर, कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होती हैं तो उक्त के उप-पैरा (ख) के अंतर्गत दी अथवा जमा राशि के समान राशि पिछले वर्ष जिसमें ऐसी राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त होती हैं, के कर्मचारी की आय होने की तौर पर समझी जाएगी तथा तद्नुसार कर हेतु वसूलनीय होगी जैसे आय उस पछले वर्ष में थी।

5.5.6.2 विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कटौती (धारा 80 प) :

धारा 80प के अंतर्गत, व्यक्ति की कुल आय की गणना में, निवासी के तौर पर, जो पिछले वर्ष किसी भी समय विकलांग व्यक्ति के तौर पर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होता हैं, वहां रू. 75,000/- की कटौती की स्वीकृति होगी। हालांकि जहां ऐसा व्यक्ति गंभीर विकलांग हैं तो रू. 1,25,000/- की उच्चतम कटौती की स्वीकृति होगी।

डीडीओ को नोट करना चाहिए कि 80घघ कटौती कर्मचारी की कटौती की स्थिति में हैं जबकि 80प कटौती स्वयं कर्मचारी की स्थिति में हैं। हालांकि, दोनो धाराओं के अंतर्गत कर्मचारी को निम्नलिखित डीडीओ को प्रस्तुत करना होगा ।

1. नियमों के नियम 11क(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में नियम 11क(1) में निर्दिष्टानुसार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। डीडीओ को केवल यह देखने बाद कटौती की स्वीकृति होगी कि प्रस्तुत प्रमाणपत्र इस नियम में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी हैं तथा यह उसमें निर्दिष्टानुसार प्रारूप में हैं।
2. आगे, जहां विकलांगता की शर्ते अस्थारइ हैं तथा उक्तकथित प्रमाणपत्र में संलग्न अवधि के पश्चात् इसकी सीमा तक पुर्नमूल्यांकन की आवश्यकता होती हैं तो इस धारा के अंतर्गत किसी कटौती की स्वीकृति किसी उत्तरगामी अवधि के लिए नहीं होगी जबतक एक नया प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया जाता जैसा उक्त 1 में हैं तथा डीडीओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता
3. धारा 80घघ तथा 80प के उद्देश्यों के लिए कुछ शर्ते निम्नानुसार हैं :-

   (क) 'प्रशासक' का अर्थ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के वाक्यांश (क) में संदर्भितानुसार प्रशासक हैं

(ख) "आश्रित" अर्थात् -

(i) व्यक्ति, व्यक्ति का जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भारइ तथा बहने अथवा इनमें से कोरइ भी

(ii) हिंदु अविभाजित परिवार की स्थिति में, हिंदु अविभाजित परिवार का सदस्य, ऐसे व्यक्ति पर पूर्णता अथवा मुख्यता: आश्रित अथवा हिंदु अविभाजित परिवार अपने समर्थन तथा अनुरक्षण के लिए तथा जिसने पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना में धारा 80 प के अंतर्गत किसी कटौती का दावा न किया हो

(ग) "विकलांगता" का अर्थ विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के वाक्यांश (प) में निर्दिष्ट अर्थ होगा तथा राष्ट्रीय स्वालीनता कल्याण ट्रस्ट, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 की धारा 2 के वाक्यांश (क), (ग) तथा (ज) में संदर्भित "स्वालीनता", "मस्तिष्क पक्षाघात" तथा "बहु विकलांगता" शामिल हैं

(घ) "जीवन बीमा निगम" का अर्थ धारा 88 की उप-धारा (8) के वाक्यांश (पपप) में निर्दिष्ट समान अर्थ होगा।

(ङ) चिकित्सा प्राधिकारी का अर्थ विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के वाक्यांश (त) अथवा ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकारी से हैं जिसे राष्ट्रीय स्वालीनता कल्याण ट्रस्ट, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 की धारा 2 के वाक्यांश (क), (ग), (ज), (ञ) तथा (ण) में संदर्भित "स्वालीनता", "मस्तिष्क पक्षाघात" तथा "बहु विकलांगता" द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता हैं, में संदर्भितानुसार चिकित्सा प्राधिकारी से हैं।

(च) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के वाक्यांश (न) में तथा राष्ट्रीय स्वालीनता कल्याण ट्रस्ट, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 की धारा 2 के वाक्यांश (´) संदर्भित व्यक्ति से हैं।

(छ) "गंभीर विकलांग व्यक्ति का अर्थ" हैं -

(i) व्यक्ति के एक अथवा एक से अधिक विकलांगता के अस्सी अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में, जैस विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उप-धारा (4) में संदर्भित हैं

अथवा

(ii) राष्ट्रीय स्वालीनता कल्याण ट्रस्ट, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 की धारा 2 के वाक्यांश (ण) में संदर्भित गंभीर विकलांग व्यक्ति

(ज) "निर्दिष्ट कंपनी" का अर्थ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के वाक्यांश (ज) में संदर्भित कंपनी से हैं

5.5.7 चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती (धारा 80घघख) :

धारा 80घघख स्वयं के लिए अथवा आश्रित के लिए नियम 11घघ (1) में निर्दिष्ट हो सकने वाले ऐसी बीमारी अथवा रोग के चिकित्सा उपचार के लिए वास्तविक रूप से दी गरइ किसी राशि के भुगतान के लिए कर्मचारी जो पिछले वर्ष के दौरान भारत में निवासी हैं, की स्थिति में कटौती की स्वीकृति देता है। स्वीकृत कटौती कर्मचारी अथवा उसके आश्रित अथवा रू. 40,000 जो भी कम हो, के संबंध में वास्तविक रूप से दी गरइ राशि के समान होती हैं।

अब कटौती ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा निर्धारण के आधार पर की स्वीकृत हो सकती हैं। एक यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एक हेमेटोलॉजिस्ट, एक इम्यूनूलॉजिस्ट अथवा ऐसे अन्य विशेषज्ञ, जैसा नियम 11घघ में निर्दिष्ट हैं। हालांकि दावे की राशि को राशि द्वारा कम किया जाएगा यदि कर्मचारी द्वारा बीमाकर्ता अथवा प्रतिपूर्ति प्राप्त होती हैं। आगे व्यक्ति जिसके समक्ष ऐसा दावा किया जाता हैं जो वरिष्ठ नागरिक हो (60 वर्ष अथवा उससे अधिक) तो रू. 60,000/- तक की कटौती की स्वीकृति हैं तथा अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष अथवा अधिक) की स्थिति में कटौती रू. 80,000/- तक स्वीकृत हैं।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, कर्मचारी की स्थिति में "आश्रित" अर्थात् व्यक्ति, व्यक्ति का जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाइ्र तथा बहन अथवा इनमें से कोइ्र कर्मचारी पर अपने समर्थन तथा अनुरक्षण जो पूर्ण अथवा मुख्य रूप आश्रित हो, से हैं।

अधिसूचना एसओ सं. 2791(झ) दिनांक 12.10.2015 के मार्फत, नियम 11घघ को प्रपत्र 10-I में प्रमाणपत्र की प्रस्तुति की अनिवार्यता हटाने के लिए संशोधित किया गया हैं। नुस्खे के निगर्मन करने वाले विशषज्ञ के नाम, पते, पंजीकरण सं. एवं पंजीकरण सहित मरीज का नाम तथा आयु, बीमारी/रोग का नाम सन्निहित नियमों में निर्दिष्टानुसार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारण अब आपेक्षित हैं।

5.5.8 उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ड़)

धारा 80ड़ उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अथवा अपने जीवनसाथी अथवा अपने बच्चों अथवा विद्यार्थी जिसका वह कानूनी अभिभावक हैं, की उच्च शिक्षा के लिए किसी वित्त संस्थान अथवा किसी अनुमोदित धर्मार्थ सस्थांन द्वारा लिए गए ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती की स्वीकृति देता हैं।

कटौती उस वित्त वर्ष के लिए कुल आय की गणना में स्वीकृत की जाएगी जिसमें कर्मचारी लिए गए ऋण पर ब्याज देता हैं तथा तुरंत उत्तरगामी सात वित्तीय वर्षों अथवा वित्त वर्ष तक जिसमें कर्मचारी द्वारा पूर्णता ब्याज दिया जाता हैं, जो भी पहले हो -

(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान" अर्थात् धारा 10(23ग) में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा धर्मार्थ संस्थान के लिए संस्थापित संस्थान अथवा धारा 80छ(2)(क) में संदर्भित संस्थान

(ख) "वित्तीय संस्थान" अर्थात् एक बैंकिंग कंपनी जिसके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होते हैं (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित किसी बैंक अथवा बैंकिंग संस्थान सहित) अथवा अन्य कोइ्र वित्तीय संस्थान जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती हैं।

(ग) "उच्च शिक्षा" अर्थात् केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी विद्यालय, बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक शिक्षा अथवा इसके समकक्ष को उत्तीर्ण करने के पश्चात् किया गया कोइ्र अध्ययन पाठ्यक्रम

5.5.9 कुछ कोष, धर्मार्थ संस्थानों आदि हेतु चंदे के संबंध में कटौती आदि (धारा 80छ) :

धारा 80छ को उन मामलों में विभिन्न कोष, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के कारण कटौती के लिए धारा 80 छ को मुहैया कराया गया हैं। यदि जहां कर्मचारी अपने संबंधित नियोक्ता के माध्यम से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्य मंत्री राहत कोष अथवा उप-राज्यपाल राहत कोष को दान करता हैं तो ऐसे कोष के लिए किए गए दान के संबंध में ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को पृथक प्रमाणपत्र जारी करना संभव नहीं हैं क्योंकि इन कोष को किए गए अंशदान समेकित चेक के रूप में होते हैं। एक कर्मचारी इन कोषों के लिए दान करता हैं तो वह धारा 80छ के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं। यह एतदद्वारा, प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्तानुसार ऐसे दान के संबंध में दावा इस संबंध में - परिपत्र सं. 2/2005, दिनांक 12.1.2005, संरेखण तथा संवितरण अधिकारी (डीडीओ)/नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर धारा 80छ के अंतर्गत स्वीकार्य होगा।

इस धारा के अंतर्गत कोइ्र कटौती रू. 2000/- से अधिक के दान की राशि की स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं जबतक राशि नगद के अलावा किसी अन्य विधि द्वारा दिया जाता हैं।

5.5.10 दिए गए किराये के संबंध में कटौती (धारा 80छछ)

धारा 80छछ अपने स्वयं के निवास के लिए उसके द्वारा दिए गए गृह किराये के संबंध में कटौती हेतु कर्मचारी को कटौती की स्वीकृति देता हैं। ऐसी कटौती निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकार्य हैं :-

(क) कर्मचारी ने विशेष रूप से उसे स्वीकृत किसी गृह किराये की प्राप्ति नहीं की हैं, जो अधिनियम की धारा 10 (13क) के अंतर्गत छूट हेतु अर्हता प्राप्त करता हैं

(ख) कर्मचारी ने प्रपत्र सं. 10खक में घोषणा को दाखिल किया हो (परिशिष्ट X)

(ग) कर्मचारी ने न खरीदा हो

(i) उसके अथवा उसके जीवनसाथी अथवा नाबालिग बालक द्वारा कोइ्र आवासीय निवास अथवा जहां ऐसा कर्मचारी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य हैं, ऐसे परिवार द्वारा, ऐसे स्थान पर जहां वह सामान्य रूप से निवास करता हैं अथवा अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करता हैं अथवा अपने व्यापार अथवा पेशे को चलाता हैं अथवा

(ii) किसी अन्य स्थान, किसी आवासीय स्थान पर, जो कर्मचारी के अधिपत्य में हो, जिसकी राशि धारा 23(2)(क) अथवा धारा 23(4)(क), जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत निर्धारित होनी हैं।

(घ) वह अपनी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा दिए गए गृह किराये के संबंध में कुल कटौती का हकदार होगा। कटौती कुल आय के 25 प्रतिशत के समान अथवा रू. 5,000/- प्रति माह , जो भी कम हो, होगी। इन प्रतिशतों के परिणामों की गणना के लिए कुल आय धारा 80छछ के अंतर्गत किसी कटौती को करने से पूर्व आंकी जाएगी।

संरेखण तथा सवितरण प्राधिकारी को स्वयं संतुष्ट करना चाहिए कि उक्त निर्दिष्ट समस्त शर्ते ऐसी कटौती से पूर्व कर्मचारी हेतु उनके द्वारा स्वीकृत हैं। उन्हें किराये के वास्तविक भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुति पर आग्रह कर स्वयं को भी इस संबंध में संतुष्ट करना चाहिए।

5.5.11 वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के सबंध में कटौती धारा 80छछक

धारा 80छछक नीचे तालिका में दी गर्इ किसी राशि के दान के संबंध में कर्मचारी की कुल आय से कटौती की स्वीकृति देता हैं :

क्र.सं.	व्यक्तियों को किया गया दान	धारा के अंतर्गत अनुमोदित/अधिसूचना	अनुमोदन/अधिसूचना की अनुमति देने वाला प्राधिकारी
1	एक अनुसंधान संघ जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान हेतु अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान का उत्तरदायित्व हो	धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत	केंद्र सरकार
2	एक अनुसंधान संघ जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होने हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान हेतु अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यकीय अनुसंधान में अनुसंधान का उत्तरदायित्व हो	धारा 35(1)(iii) के अंतर्गत	केंद्र सरकार
3	एक संघ अथवा संस्थान, जिसका धारा 35गगक के प्रयोजन के लिए अनुमोदित ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के निष्पादन के लिए प्रयुक्त होने हेतु ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के उत्तरदायित्व का उद्देश्य हो	धारा 35गगक(2) के अंतर्गत प्रमाणपत्र की प्रस्तुति	नियम 6ककक के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी
4	एक संघ अथवा संस्थान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्ति का प्रशिक्षण हो	धारा 35गगक(2क) के अंतर्गत प्रमाणपत्र की प्रस्तुति	नियम 6ककक के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी
5	किसी पात्र परियोजना अथवा योजना के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा एक स्थानीय प्राधिकारी अथवा संघ	धारा 35 कग(2)(क) के अंतर्गत प्रमाणपत्र की प्रस्तुति	समाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति
6	एक ग्रामीण विकास कोष	धारा 35गगक(1)(ग) के अंतर्गत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तथा स्थापित
7	राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष	धारा 35गगक(1)(घ) के अंतर्गत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित तथा अधिसूचित

निम्न स्थिति में इस धारा के अंतर्गत कोर्इ कटौती स्वीकृत नहीं है

i) कर्मचारी की कुल आय जिसमें आय शामिल है जो "व्यापार अथवा पेशे का लाभ तथा प्राप्तियां" विषय के अंतर्गत देययोग्य हैं।

ii) रू. 10000 से अधिक दान की राशि तथा नकद में देय

आरेखण तथा संवितरण प्राधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि ऐसी कटौतियों के समक्ष पूरी की गरइ उक्त निर्दिष्ट शर्तो को कर्मचारी हेतु उनके द्वारा पूरा किया गया हैं। उन्हें व्यक्ति, जिनके लिए दान किया गया हैं, द्वारा दान के वास्तविक भुगतान तथा प्राप्ति के प्रमाण की प्रस्तुति पर इस संबध में आग्रह द्वारा स्वयं को भी संतुष्ट करना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृति/अधिसूचना सही प्राधिकारी द्वारा जारी की गरइ हैं। डीडीओ को कर्मचारी द्वारा स्व: घोषणा द्वारा सुनिश्चित करना होगा कि वह "व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियों" से वेतन प्राप्त नहीं करता हैं।

5.5.12 बचत खाता में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ननक) :

धारा 80ननक वित्त वर्ष 2012-13 से आरंभ की गरइ हैं तथा यह कर्मचारी को स्वीकृति प्रदान करती हैं कि उसकी सकल आय, यदि बचत खाते में जमा (सावधि जमा नहीं) के ब्याज के रूप में किसी आय शामिल हो, कटौती निम्न राशि पर होगी :-

(i) ऐसी आय की स्थिति में कुल राशि दस हजार, ऐसी कुल राशि, से अधिक नहीं होंनी चाहिए, तथा

(ii) किसी अन्य स्थिति में दस हजार रूपए

कटौती उपलब्ध होगी यदि यह बचत खाता निम्न में संरक्षित होता हैं :-

(क) बैंकिग संस्थान जिस पर बैंकिग नियामक अधिनियम, 1949 लागू होता हैं (उस अधिनियम की धारा 51 हेतु संदर्भित किसी बैंक अथवा बैंकिंग संस्थान सहित)

(ख) बैंकिंग (सहकारी भूमि बंधक बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) के व्यापार को करने में लगी सहकारी संस्था अथवा

(ग) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 की धारा 2 के वाक्यांश (ट) में परिभाषितानुसार डाक घर

इस धारा के लिए "सावधि जमा" का अर्थ निश्चित अवधि की समाप्ति पर पुन:देययोग्य जमा

धारा 80ननक को वित्त वर्ष 2018-19 से प्रारंभ किया गया है जो वरिष्ठ नागरिक की कुल आय से उसके द्वारा किए गए जमा से ब्याज आय के संबंध में रू. 50,000 तक की कटौती की स्वीकृति देती है यदि इसमें एक बचत खाते में जमा कटौती की राशि पर ब्याज (सावधि जमा के तौर पर नहीं) के रूप में कोरइ आय शामिल हो जो

(i) यदि जहां ऐसी आय की राशि कुल पचास हजार रूपए से अधिक न हो तो ऐसी पूरी राशि और

(ii) अन्य मामलों में पचास हजार रूपए

कटौती उपलब्ध है अगर ऐसा बचत खाता निम्न में अनुरक्षित होता है

(क) बैंकिंग कंपनी जिसके लिए बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोरइ बैंक या बैंकिंग संस्थान)

(ख) बैंकिंग व्यापार करने वाली सहकारी संस्था (सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) या

(ग) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 की धारा 2 के वाक्यांश (ट) में परिभाषितानुसार एक डाक घर

इस धारा के लिए "वरिष्ठ नागरिक" का अर्थ भारत में रहने वाले एक व्यक्ति जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो

6. रू. 3.5 लाख तक की कुल आय वाले व्यक्ति के लिए रू. 2500 की छूट (धारा 87क)

वित्त अधिनियम 2017 उस करदाता, भारत के निवासी, को राहत प्रदान कराता है जो न्यून आय श्रेणी में हैं अर्थात् जिनकी कुल आय रू. 3,50,000/- से अधिक न हो। धारा 87 के अंतर्गत उपलब्ध छूट की राशि रू. 2500/- अथवा देय कर की राशि, निर्धारण वर्ष 2018-19 से जो भी कम हो, हैं।

7. अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष से अंशदान तथा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अंतर्गत संचित अधिशेष के भुगतान पर टीडीएस

7.1 कर्मचारी को संचित शेष राशि के भुगतान के लिए मान्यताप्राप्त भविष्य निधि कोष के न्यासियों अथवा कोष विनिमय द्वारा अनुमोदित कोरइ व्यक्ति, उन मामलों में कटौती करेगा जहां अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 9 का उप-नियम (1) लागू होता हो, अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उससे करने के लिए जब कर्मचारी को संचित शेष राशि का भुगतान किया गया हो।

संचित शेष राशि को "वेतन" विषय के अंतर्गत देययोग्य आय के तौर पर समझा जाएगा

7.2 नियोक्ता द्वारा किसी प्रकार का अंशदान, ऐसे अंशदान, यदि हो, पर ब्याज सहित, कर्मचारी को दिया गया अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष, दी गरइ राशि पर कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में उपलब्ध सीमा तक कोष को न्यासियों द्वारा काटा जाएगा। टीडीएस उस कर की औसत दर तक होना चाहिए जिस पर कर्मचारी पूर्ववर्ती तीन वर्षों अथवा अवधि, यदि अवधि तीन वर्ष से कम हो व वह कोष का सदस्य रहा हो, के दौरान कर के लिए देने के लिए उत्तरदायी था।

कटौती कराने वाला लौटे हुए अंशदान (कर, यदि हो, सहित) के कारण किसी प्रकार की कुल राशि पर कर काटने के लिए उत्तरदायी होगा भले ही कोष अथवा कोष का कोरइ भाग अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में छोड़ दिया गया हो।

7.3 अधिनियम की धारा 192क के अनुसार, प्रभावी तिथि 01.06.2015, रइपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत बनारइ गरइ रइपीएफ योजना के ट्रस्टी तथा कर्मचारियों को देय संघटित शेष का भुगतान करने के लिए योजना के अंतर्गत प्राधिकृत कोरइ व्यक्ति, यदि एक प्राधिकृत भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारियों के शेष संघटित शेष चौथी अनुसूची, जो कर्मचारी हेतु संघटित देय शेष के भुगतान के समय लागू न हो रहा हो, के भाग क के नियम 8 के प्रावधानों के कारण उसकी कुल आय में शामिल होने योग्य हैं, 10 प्रतिशत की दर पर उसपर आयकर की कटौती करेगा यदि ऐसे भुगतान की राशि अथवा ऐसे भुगतान का कुल रू. 50,000/- से अधिक होता हैं। यदि कर्मचारी अपने पैन सं. को मुहैया नहीं कराता हैं तो कटौती अधिकतम सीमांत दर पर किया जाना होगा।

चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 8 निम्नलिखित शेष संचित राशि को बाहर करता है और कुल आय से कर्मचारियों के लिए देययोग्य बनाता है

(i) यदि, उसने पाच वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने नियोक्ता के साथ निरंतर सेवा की हो या

(ii) यदि, यद्यपि उसने ऐसी निरंतर सेवा न की हो, सेवा निम्न कारणों से निरस्त की गरइ हो

- कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य के कारण
- नियोक्ता के व्यापार के जारी न रहने पर या कम होने के कारण
- कर्मचारी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से या

(iii) यदि, उसकी नौकरी के दौरान, कर्मचारी किसी अन्य नियोक्ता से नौकरी प्राप्त करता है तो ऐसी सीमा तक ऐसे संचित शेष राशि को अन्य नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित किसी प्राधिकृत भविष्यनिधि में उसके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित की जाती है।

(iv) यदि कर्मचारी के ऋण हेतु पूरी स्थारइ शेष राशि धारा 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना के अंतर्गत उसके खाते में स्थानांतरित की जाती है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है

जब संचित राशि देय हो और उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य प्राधिकृत भविष्यनिधि में उसके व्यक्तिगत खाते से स्थानांतरित कोरइ राशि शामिल करते हुए एक कर्मचारी के लिए देययोग्य बन जाती है तो पहले वाले नियोक्ता के अंतर्गत दी गरइ निरंतर सेवा की अवधि या अवधियों को निरंतर सेवा की अवधि की गणना उक्त (i) और (ii) के लिए आंकी जाएगी।

(i) से (iv) में उक्त चार स्थितियों के अंतर्गत संचित शेष राशि और कर्मचारी को देययोग्य राशि धारा 192क के अंतर्गत टीडीएस के लिए उत्तरदायी नहीं है।

8. डीडीओ द्वारा प्राप्त किया जाने वाला दावों का प्रमाण/सबूत

निर्धारिती की अनुमानित आय के लिए या कर कटौती की गणना के लिए, धारा 192(2घ) मुहैया कराती है कि देने (डीडीओ) के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारिती से दावे का प्रमाण या सबूत या खास दावा प्राप्त करेगा जैसे गृह किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रूपए से अधिक हो), शीर्षक "गृह संपत्ति से आय" के अंतर्गत ब्याज की कटौती और 12खख के अनुसार अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौती नियमों के नियम 26ग द्वारा निर्धारित है।

आगे, नियम 26ग के साथ पठित धारा 192 (2घ) के अनुसार, डीडीओ के लिए यह आवश्यक है कि कथित छूट देने से पहले अवकाश यात्रा रियायत या सहायता के लिए छूट का दावे के संदर्भ में विवरण/प्रमाण को प्राप्त करें। कर्मचारी द्वारा विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक प्रपत्र प्रपत्र 12खख है।

9. कटौती किए जाने वाले आयकर की गणना :

9.1 धारा 192 के लिए वेतन आय की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

(क) पहले पैरा 5.2 में निर्दिष्ट सभी आय सहित पैरा 5.1 में निर्दिष्टानुसार कुल आय की गणना तथा पैरा 5.3 में निर्दिष्ट आय को छोड़कर

(ख) उक्त (क) में शामिल आंकड़ों से पैरा 5.4 में निर्दिष्ट कटौती की स्वीकृति तथा कर्मचारी के शुद्ध वेतन में शामिल राशि की गणना।

(ग) पैरा 3.5 में निर्दिष्ट सामान्य कथन के रूप में दिखाइ गइ कुल सकल आय शामिल करने हेतु अन्य सभी विषयों - "भवन संपत्ति", "व्यापार अथवा व्यवसाय की लाभ व परिलब्धियां", "पूंजीगत लाभ", तथा "अन्य स्रोतों से आय" से आय को शामिल करते हुए। हालांकि, यह स्मरण कराया जाता हैं कि "भवन संपत्ति से आय" विषय के अंतर्गत रू. 2.00 लाख की सीमा तक नुकसान को छोड़कर ऐसे किसी विषय के अंतर्गत किसी प्रकार का नुकसान डीडीओ द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) उक्त (ग) में शामिल आंकड़ों से पैरा 5.5 में निर्दिष्ट कटौती स्वीकृत हैं यदि प्रासंगिक शर्तों को पूरा किया जाए। पैरा 5.5 में निर्दिष्ट शुरूआती सीमा के अनुसार कटौती की कुल राशि उक्त (ख) में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा यदि यह अधिक होती हैं तो, उसे उस राशि तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह कर्मचारी की कुल आय होगी जिस पर कटौती किए जाने के लिए आयकर आपेक्षित हैं। यह आय दस रूपए के नजदीकी गुणज की पूर्णांक राशि होनी चाहिए।

9.2 ऐसी आय पर आयकर कर्मचारी की आयु को ध्यान में रखते हुए इस परिपत्र के पैरा 2.1 में दी गइ दरों पर और धारा 206कक के प्रावधानों के अनुसार आंकी जाएगी जैसा पैरा 4.8 में चर्चा की गइ है। धारा 87क के अनुसार छूट रू. 2500/- तक योग्य व्यक्तियों (पैरा 6 देखें) को दी जा सकती हैं। लागू होने वाली स्थितियों में अधिभार की गणना की जाएगी (पैरा 2.2 देखें)

9.3 कर की राशि जिसे अधिभार द्वारा बढ़ाया गया है यदि ऐसी प्राप्त राशि पर लागू होती है तो कुल देययोग्य कर पर प्राप्त राशि पर 4 प्रतिशत की दर पर शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर द्वारा बढ़ाया जाएगा

9.4 पैरा 9.3 के अंतर्गत आने वाले कर की दे योग्य राशि समान किस्तों के रूप में प्रतिमाह काटी जाएगी। पिछली कटौतियों के अधिक अथवा कम होने की स्थिति में वह उसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी कटौतियों की राशि को बढ़ाकर अथवा घटाकर समायोजित कर दी जाएगी।

10. विविध

10.1 यह निर्देश संपूर्ण नहीं हैं तथा यह नियोक्ता को वेतन से कर कटौती के संबंध में विभिन्न प्रावधानों को समझाने के लिए हैं जहां भी किसी भी प्रकार की आशंका हो, वहां आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962, वित्त अधिनियम 2018, प्रासंगिक परिपत्र/अधिसूचना आदि को संदर्भित किया जा सकता हैं।

10.2 किसी सहायता की स्थिति में आयकर विभाग के स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी/आंकलन अधिकारी को संपर्क किया जा सकता हैं।

10.3 यह निर्देश केंद्र/राज्य सरकारों के नियंत्रण के अंतर्गत जो भी हैं, सहित सभी संवितरण अधिकारी तथा उपक्रम के ध्यान में लाए जा सकते हैं।

10.4 इस परिपत्र की प्रतियां निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

www.finmin.nic.in और www.incometaxindia.gov.in

हिन्दी संस्करण का अनुसरण होगा

(संदीप सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

निम्न को प्रति

1. समस्त राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग आदि
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. उप-राष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. लोकसभा सचिवालय

7. राज्यसभा सचिवालय
8. मंत्रीमंडल सचिवालय
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस,नर्इ दिल्ली
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, लोधी कॉम्पलैक्स, नर्इ दिल्ली
11. सर्वोच्च न्यायलय, नर्इ दिल्ली
12. चुनाव आयोग, नर्इ दिल्ली
13. योजना आयोग, नर्इ दिल्ली
14. राज्यपाल सचिवालय/सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल
15. मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों हेतु सभी एकीकृत वित्तीय सलाहाकार
16. राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीईसी के अधीनस्थ सभी विभागों के प्रमुख एवं कार्यालय
17. सेना मुख्यालय, नर्इ दिल्ली
18. वायु सेना मुख्यालय, नर्इ दिल्ली
19. नौसेना मुख्यालय, नर्इ दिल्ली
20. डाक एवं तार महानिदेशक, नर्इ दिल्ली
21. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
22. सभी राज्यों के महालेखापाल
23 लेखा निदेशक (केंद्रीय), कोलकाता, नर्इ दिल्ली, मुंबर्इ
24. सभी बैंक (भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के, राष्ट्रीयकृत बैंक)
25. सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय पी.बी. नं. 406, मुंबर्इ-400001 (25 प्रतियां, इसकी शाखाओ में वितरित करने के लिए)
26. लेखा अधिकारी, असम राइफल्स महानिरीक्षक, (मुख्यालय), शिलांग
27. वाणिज्य व उद्योग के समस्त चैंबर्स
28 लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय पुस्तकालय (प्रति 15 प्रतियां)
29. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तकनीकी विंग में सभी अधिकारी विभाग
30. सहायक मुख्य निरीक्षक, आरबीआर्इ निरीक्षण विभाग, क्षेत्रीय प्रकोष्ठ मुंबर्इ/कोलकाता/चेन्नर्इ/नर्इ दिल्ली/तथा कानपुर
31. लेखा नियंत्रक, आर्थिक मामला विभाग, नर्इ दिल्ली
32. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, अहमदाबाद/बेंगलुरू/भुवनेश्वर/मुंबर्इ/कोलकाता/हैदराबाद/ कानपुर/जयपुर/चेन्नर्इ/नागपुर/नर्इ दिल्ली/ पटना/ गुवाहाटी/त्रिवेंद्रम
33. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नर्इ दिल्ली
34. लेखा परीक्षा निदेशालय, रक्षा सेवाएं, नर्इ दिल्ली
35. राष्ट्रीय बचत संगठन, नागपुर
36 उप महालेखापाल, डाक व तार, कोलकाता
37 कानूनी सलाहकार, निर्यात-आयात बैंक, पी.बी. नं. 19969, मुंबर्इ-4000021
38 मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नर्इ दिल्ली
39 एन.एस. शाखा, आर्थिक मामला विभाग, नर्इ दिल्ली
40 कानून मंत्रालय (कानूनी मामला विभाग), शास्त्री भवन, नर्इ दिल्ली
41 भारत में संचालित सभी विदेशी बैंक
42 एयर इंडिया, नर्इ दिल्ली
43 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नर्इ दिल्ली

(संदीप सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट - I

कुछ उदाहरण

उदाहरण 1

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए

(क) साठ वर्ष की आयु से नीचे के कर्मचारी (पुरूष अथवा महिला) तथा कुल वेतन वाले कर्मचारियों की स्थिति में आयकर की गणना

i) रू. 2,50,000/-,
ii) रू. 5,00,000/-,
iii) रू. 10,00,000/-,
iv) रू. 55,00,000/-, तथा
v) रू. 1,10,00,000/-

(ख) उक्त कर्मचारियों की स्थिति में टीडीएस राशि क्या होगी, उनके द्वारा उनके डीडीओ/कार्यालयों को पैन जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में

विवरण	**रूपए (i)**	**रूपए (ii)**	**रूपए (iii)**	**रूपए (iv)**	**रूपए (v)**
सकल वेतन आय (भत्तों सहित)	2,50,000	4,00,000	10,00,000	55,00,000	1,10,00,000
जी.पी.एफ अंशदान	45,000	50,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000

कुल आय तथा उस पर देययोग्य कर की गणना

विवरण	**रूपए (i)**	**रूपए (ii)**	**रूपए (iii)**	**रूपए (iv)**	**रूपए (v)**
सकल वेतन	2,50,000	4,00,000	10,00,000	55,00,000	1,10,00,000
घटा : धारा 80 ग के तहत कटौती	45,000	50,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
करयोग्य आय	2,05,000	3,50,000	9,00,000	54,00,000	1,09,00,000
(क) उसपर देययोग्य कर	**शून्य**	**2500***	**92,500**	**14,32,500**	**30,82,500**
अधिभार				1,43,250	4,62,375
जोड़ा: 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य व शिक्षा अधिकर	शून्य	100	3700	36,030	1,41,795

कुल देय कर	**शून्य**	**2600**	**96200**	**16,38,780**	**36,86,670**

* धारा 87क के अंतर्गत रू. 2500 की छूट सहित

उदाहरण 2

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए

साठ वर्ष की आयु से नीचे के आश्रित विकलांग वाले कर्मचारी की स्थिति में आयकर की गणना (नियोक्ता को वैध पैन प्रस्तुति पर)

क्र.सं.	विवरण	रूपए
1	सकल वेतन	4,20,000
2	विकलांग आश्रित (लेकिन गंभीर विकलांगता न हो) के उपचार पर खर्च की गर्इ राशि	7,000
3	विकलांग आश्रित (लेकिन गंभीर विकलांगता न हो) के रखरखाव के लिए वार्षिकी से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम को दी गर्इ राशि	60,000
4	जीपीएफ अंशदान	25,000
5	भुगतान की हुर्इ एलआरइपी	10,000
6	बचत खाते पर ब्याज आय	12,000

कर की गणना

क्र.सं.	विवरण	रूपए
1	सकल वेतन	4,20,000
2	जमा : अन्य स्रोतों से आय बचत खाते पर ब्याज आय	रू. 12,000
3	**कुल सकल आय**	4,32,000
4	घटाया : धारा 80घघ के अंतर्गत कटौती (केवल रू. 75,000/- तक सीमित)	60,000
5	घटाया : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती (i) जीपीएफ रू. 25,000/- (ii) एलआरइपी : रू. 10,000/- = Rs. 35,000/-	35,000
6	घटाया : बचत खाते से ब्याज आय पर धारा 80ननक के अंतर्गत कटौती (रू. 10000/- तक सीमित)	10,000
7	**कुल आय**	**2,97,000**
8	**उस पर देययोग्य आयकर** (धारा 87क के अनुसार रू. 2500 की छूट सहित)	शून्य
9	**बढ़ाया :** 4 प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर	**शून्य**
10	**कुल करयोग्य आय**	**शून्य**
11	**तक पूर्णांकित**	**शून्य**

उदाहरण -3

निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु

साठ वर्ष की आयु से नीचे के कर्मचारी की स्थिति में आयकर की गणना जहां चिकित्सा उपचार पर किया गया खर्चा नियोक्ता द्वारा वहन किया गया हो (नियोक्ता को वैध पैन प्रस्तुति पर)

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए**
1	सकल वेतन	5,20,000
2	नियोक्ता द्वारा स्वयं तथा परिवार के आश्रित सदस्य पर चिकित्सा उपचार पर खर्च की गर्इ राशि	35,000
3	जीपीएफ अंशदान	20,000
4	एलआर्इसी प्रीमियम	20,000
5	भवन बिल्डिंग की अग्रिम अदायगी	25,000
6	दो बच्चों के लिए अध्यापन शुल्क	60,000
7	यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश	30,000
8	बचत खाते पर ब्याज आय	8,000
9	सावधि जमा पर ब्याज आय	15,000

कर की गणना

क्र.सं.	**विवरण**		**रूपए**
1	सकल वेतन		5,20,000
2	**जमा :** चिकित्सा व्यय की अदायगी के संबंध में रियायत धारा 17(2)(v) के अनुसार रू. 15,000/- से अधिक होने पर		**20,000**
3	**अन्य स्रोतों से आय** i) बचत खाता पर ब्याज आय ii) सावधि जमा पर ब्याज आय	रू. 8000 रू. 15000	**रू. 23,000**
4	**कुल सकल आय**		**5,63,000**
5	क. : घटा : धारा 80 ग के अंतर्गत कटौती (i) जीपीएफ (ii) एलआर्इसी (iii) भवन बिल्डिंग की अग्रिम अदायगी (iv) दो बच्चों के लिए अध्यापन शुल्क (v) यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश **कुल =** **रू. 1,55,000/-** रू. 1,50,000 तक सीमित ख. घटा : बचत खाते पर ब्याज (रू. 10,000/- तक सीमित केवल बचत खाता ब्याज पर उपलब्ध) पर धारा 80 ननक के अंतर्गत कटौती रू. 8000/-	रू. 20,000/- रू. 20,000/- रू. 25,000/- रू. 60,000/- रू. 30,000/-	**1,58,000**

	कुल उपलब्ध कटौती रू. 1,58,000/-	
6	**कुल आय**	**4,05,000**
7	**उस पर आयकर देय योग्य**	**7,750**
8	**जोड़ें :** (i) 4 प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर	**310**
9	**कुल देययोग्य आयकर**	**8060**

उदाहरण -4

निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु

साठ वर्ष की आयु से नीचे के कर्मचारी की स्थिति में दिल्ली में स्थित आवासीय भवन के संबंध में धारा 10 (13क) के अंतर्गत भवन किराया भत्ते की गणना का उदाहरण (नियोक्ता को वैध पैन प्रस्तुति पर)

क्र.सं.	विवरण	रूपए
1	वेतन	3,50,000
2	मंहगाइ्र भत्ता	2,00,000
3	आवास किराया भत्ता	1,40,000
4	दिया गया आवास किराया	1,44,000
5	साधारण भविष्य निधि	36,000
6	जीवन बीमा प्रीमियम	4,000
7	यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का अंशदान	50,000

कुल आय तथा उस पर देययोग्य कर की गणना

क्र.सं.	विवरण	रूपए
1	वेतन+मंहगाइ्र भत्ता + भवन किराया भत्ता 3,50,000 + 2,00,000 + 1,40,000 = 6,90,000	6,90,000
2	**कुल वेतन आय**	**6,90,000**
3	घटा : धारा 10 (13क) के अंतर्गत घर भवन भत्ता की छूट का न्यूनतम (क) प्राप्त एचआरए की वास्तविक राशि = 1,40,000 (ख) वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक किराये पर व्यय (मंहगाइ्र भत्ते सहित यह समझकर कि मंहगाइ्र भत्ता सेवानिवृत्ती लाभ के लिए लिया गया है) (1,44,000 - 55,000) = 89,000 (ग) वेतन (बेसिक+डीए) का 50 प्रतिशत = 2,75,000/- (बंबइ्र/कोलकाता/दिल्ली/चेन्नइ्र) या अन्य शहरों की स्थिति में वेतन (बेसिक + डीए) का 40 प्रतिशत	89,000
	कुल सकल आय	**6,01,000**
	घटाया : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती (i) जीपीएफ रू. 36,000/-	90,000

	(ii) एलआर्इसी रू. 4,000/- (iii) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में निवेश रू. 50,000/- **कुल = 90,000/-**	
4	**कुल आय**	**5,11,000**
	देययोग्य कर	**14700**
	जोडा : स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर पर	**588**
	कुल देययोग्य आयकर	**15288**
	पूर्णांकित राशि	**15290**

उदाहरण -5

निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु

मुंबरइ में निजी कंपनी में साठ वर्ष की आयु से नीचे के कर्मचारी, जिसे दस माह के लिए रियायती दर पर फ्लैट अकोमोडेशन तथा दो माह के लिए होटल में अकोमोडेशन उपलब्ध कराया गया था, की कर की गणना तथा रियायत के मूल्यांकन का उदाहरण (नियोक्ता को वैध पैन प्रस्तुति पर)

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए**
1	वेतन	7,00,000
2	बोनस	1,40,000
3	निशुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (वास्तविक भुगतान कंपनी द्वारा करने पर)	40,000
4 (क)	रियायती दर पर आवास (दस माह के लिए) @ रू. 3,60,000/- माह	3,60,000
4 (ख)	नियोक्ता द्वारा देय होटल किराया (दो माह के लिए)	1,00,000
4 (ग)	कर्मचारी द्वारा वापस पाया जाने वाला किराया	60,000
4(घ)	फर्नीचर शुल्क	2,00,000
5	यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हेतु अंशदान	50,000
6	जीवन बीमा प्रीमियम	10,000
7	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि हेतु अंशदान	42,000

कुल आय तथा उस पर देययोग्य कर की गणना

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए**
1	वेतन	7,00,000
2	बोनस	1,40,000
3	कुल वेतन (1+2) रियायत के मूल्यांकन के लिए	8,40,000
	रियायतों का मूल्यांकन	

4. (क)	फ्लैट के लिए रियायत (2000 की गणना के अनुसार 25 लाख की जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर) (10 माह के लिए वेतन का 15 प्रतिशत = रू. 1,05,000/-) और (वास्तविक दिया गया किराया = र रू. 3,60,000) अर्थात् रू. 1,05,000/- का न्यूनतम	
4(ख)	होटल हेतु रियायत : (2 माह के वेतन का 24 प्रतिशत = रू. 33,600/-) से कम तथा (वास्तविक भुगतान = रू. 1,00,000) अर्थात् रू. 33,600	
4(ग)	फर्नीचर हेतु रियायत (रू. 2,00,000), शुल्क के 10 प्रतिशत की दर पर = रू. 20,000	
4(ग) (i)	[4(क) + (ख) + (ग)] (1,05,000+ 33,600 + 20,000) रू. 1,58,600 का कुल घटा : प्राप्त किराया (-) रू. 60,000 = रू. 98,600	1,38,600
4(घ)	जोड़े निशुल्क गैस, बिजली, पानी आदि हेतु रियायत रू. 40,000 (+) रू. 98,600 [4(ग)(i)]= रू. 1,38,600 कुल रियायत	
5	कुल सकल आय (रू. 8,40,000 + 1,38,600)	9,78,600
6	**कुल सकल आय**	**9,78,600**
7	घटाया : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती : (i) भविष्य निधि (80ग) 42000 (ii) एलआरइसी (80ग) 10,000/- (iii) यूनिट लिंक्ड बीमा प्लान हेतु अंशदान (80ग) 50,000/- कुल = **रू. 1,02,000/-** **धारा 80ग के अंतर्गत रू. 1,02,000 तक सीमित**	**1,02,000**
8	**कुल आय**	**8,76,600**
9	देय कर	**87,820**
10	**जोड़ा** स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर पर	**3513**
11	**कुल देययोग्य आयकर**	**91,333**
12	**पूर्णांकित राशि**	**91,330**

उदाहरण 6

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए

दिल्ली में तैनात निजी कंपनी में साठ वर्ष की आयु से नीचे के कर्मचारी की स्थिति में की कर की गणना तथा रियायत के मूल्यांकन तथा भवन निर्माण ऋण की अदायगी का उदाहरण (नियोक्ता को वैध पैन प्रस्तुति पर)

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए**
1	वेतन	4,00,000

2	मंहगार्इ भत्ता	1,00,000
3	भवन किराया भत्ता	1,80,000
4	विशेष कार्य भत्ता	12,000
5	भविष्य निधि	60,000
6	एलआर्इपी	10,000
7	एनएससी VIII अंक में जमा	30,000
8	घर, जो कर्मचारी द्वारा लिया गया हैं, हेतु उसके द्वारा दिया गया किराया	1,20,000
9	गृह भवन ऋण को लौटाना (मूलधन)	60,000
10	तीन बच्चों के लिए अध्यापन शुल्क (रू, 10,000 प्रति बालक)	30,000

कुल आय तथा उस पर देययोग्य कर की गणना

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए**
1	सकल वेतन (बेसिक़ + डीए + एचआरए+एसडीए)	6,92,000
	घटाया : धारा 10 (13क) के अंतर्गत घर भवन भत्ता पर छूट निम्न से न्यूनतम (क) प्राप्त एचआरए की वास्तविक राशि : 1,80,000 (ख) वेतन (मंहगार्इ भत्ते सहित) के 10 प्रतिशत से अधिक किराए पर व्यय मंहगार्इ भत्ता समझकर सेवानिवृत्ति हेतु शामिल किया जाएगा (1,20,000-50,000) : = रू. 70,000 (ग) वेतन (मंहगार्इ भत्ते सहित) का 50 प्रतिशत रू. 2,50,000	70,0000
2	**कुल देययोग्य सकल आय**	**6,22,000**
	घटाया : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती (i) भविष्य निधि : रू. 60,000 (ii) एलआर्इपी : रू. 10,000 (iii) एनएससी VIII अंक : रू. 30,000 (iv) एचबीए की पुन: अदायगी : रू. 60,000 (v) अध्यापन शुल्क (दो बच्चों तक सीमित) : रू. 20,000 कुल : रू. 1,80,000 **1,50,000 तक सीमित**	1,50,000
	कुल आय	**4,72,000**
	उस पर/देययोग्य आयकर	**11,100**
	जोड़ा : स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर पर	**444**
	कुल देययोग्य आयकर	**11,544**
	पूर्णांकित राशि	**11,540**

उदाहरण -7

निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु

क. साठ वर्ष की आयु से अधिक लेकिन 80 वर्ष की आयु से कम तथा निम्न सकल पेंशन वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी की स्थिति में आयकर की गणना

(iv) रू. 4,50,000/-
(v) रू. 8,00,000/-
(vi) रू. 12,50,000/-

ख. उक्त कर्मचारी की स्थिति में टीडीएस राशि क्या होगी, उनके द्वारा उनके डीडीओ/कार्यालयों को पैन जमा न कराए जाने की स्थिति में।

विवरण	**रूपए (i)**	**रूपए (ii)**	**रूपए (iii)**
सकल पेंशन	4,50,000	8,00,000	12,50,000
पी.एफ. का अंशदान	70,000	1,00,000	1,50,000

कुल आय तथा उस पर देययोग्य कर की गणना

विवरण	**रूपए (i)**	**रूपए (ii)**	**रूपए (iii)**
सकल पेंशन	4,50,000	8,00,000	12,50,000
घटाया : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती	70,000	1,00,000	1,50,000
करयोग्य आय	3,80,000	7,00,000	11,00,000
उस पर देय कर	4000	50,000	1,40,0000
जोड़ा : स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर पर	160	2,000	5,600
कुल देययोग्य आयकर	**4160**	**52,000**	**1,45,600**

उदाहरण -8

निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु

क. 80 वर्ष की आयु से अधिक तथा निम्न सकल पेंशन वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी की स्थिति में आयकर की गणना

(i) रू. 5,00,000/-
(ii) रू. 8,00,000/-

(iii) रू. 12,50,000/-

ख. उक्त कर्मचारी की स्थिति में टीडीएस राशि क्या होगी, उनके द्वारा उनके डीडीओ/कार्यालयों को पैन जमा न कराए जाने की स्थिति में।

विवरण	रूपए (i)	रूपए(ii)	रूपए (iii)
सकल पेंशन	5,00,000	8,00,000	12,50,000
पी.पी.एफ. का अंशदान	80,000	1,20,000	1,50,000

कुल आय तथा उस पर देययोग्य कर की गणना

विवरण	रूपए (i)	रूपए (ii)	रूपए (iii)
सकल पेंशन	5,00,000	8,00,000	12,50,000
घटाया : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती	80,000	1,20,000	1,50,000
करयोग्य आय	4,20,000	6,80,000	11,00,000
उस पर कर	**शून्य**	**36,000**	**1,30,000**
जोड़े : 4 प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर	शून्य	1,440	5,200
कुल देययोग्य आयकर	**शून्य**	**37,440**	**1,35,200**

उदाहरण 9
धारा 10(13क) के अंतर्गत छूट

1. 31.10.2016 तक एक्सवाई्इजेड लि. के साथ नियोजित श्री. ए. ने निम्नलिखित परिलब्धियां प्राप्त की :

क्र.सं	विवरण	रूपए
1	प्रति माह मूल वेतन प्रति माह	13,000
2	जुलाई्इ, 2015 में प्राप्त वर्ष के लिए बोनस	7,200
3	प्रति माह नियोक्ता द्वारा क्लब सुविधा (केवल निजी प्रयोग के लिए) व्यय	700
4	प्रतिमाह गृह किराया भत्ता	2,800
5	यूआरपीएफ में प्रतिमाह नियोक्ता का अंशदान (श्री ए भी समान अंशदान देते हैं)	1,000
प्रभावी तिथि 01.11.2015 से, श्री ए निम्नलिखित वेतन के साथ पीक्यूआर लि. से जुडे		
1	मूल वेतन	18,000
2	प्रति माह गृह किराया भत्ता	1,600
3	प्रति माह नियोक्ता द्वारा क्लब सुविधा (केवल निजी प्रयोग के लिए) व्यय	1,100
4	कार्यालय तथा निवास के बीच यात्रा के लिए कार का प्रयोग - नियोक्ता व्यय प्रतिमाह	600
5	आरपीएफ में प्रतिमाह नियोक्ता का अंशदान (श्री ए भी समान अंशदान देते हैं)	2,000

श्री ए के अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :		
1	श्री ए अमृतसर में मासिक किराये का भुगतान करते है	3,500
2	अन्य स्रोतों से श्री ए की आय	95,000
3	एलआर्इसी/पीपीआर/एनएससी आदि को श्री ए का अंशदान	20,000
निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए श्री ए की आय तथा कर देयता की गणना करें		

कर की गणना

क्र.सं.	**विवरण**		**रूपए**
1	वेतन से आय		
	(क) एक्सवार्इजेड लि. द्वारा		
	मूल वेतन (रू. 13,000 X 7)		91,000
	बोनस		7,200
	क्लब सुविधा (रू. 700 X 7)	**रूपए**	4,900
	एच.आर.ए. (रू. 2,800 X 7)	19,600	
	घटा : धारा 10(13क) के अंतर्गत छूट	15400	4,200
	यूआरपीएफ हेतु नियोक्ता अंशदान		1,07,300
	(ख) पीक्यूआर लि. द्वारा	**रूपए**	
	मूल वेतन (रू. 18,000 X 5)	90,000	
	एच.आर.ए. (रू. 1,600 X 5)	8,000	
	घटा : धारा 10(13क) के अंतर्गत छूट	8000	
	क्लब सुविधा (रू. 1,100 X 5)	5,500	
	कार की सुविधा (रियायतानुसार करयोग्य नहीं हैं)	15,400	
	आर.पी.एफ. हेतु नियोक्ता अंशदान		95,500
	सकल वेतन		2,02,800
	घटा : कटौती		----
	शुद्ध वेतन		2,02,800
2	अन्य स्रोतों से आय		95,000
	कुल सकल आय		2,97,800
	घटा : धारा 80ग के अंतर्गत कटौती		
	: एलआर्इसी/पीपीएफ/एनएससी हेतु अंशदान	रू. 20,000	
	: आरपीएफ हेतु अंशदान (रू. 2,000 x 5)	रू. 10,000	**30,000**
		कुल आय	**2,67,800**

	रू. 2,67,800 पर देययोग्य कर	890
	घटा : धारा 87क के अंतर्गत छूट	890
	शुद्ध देययोग्य आयकर	शून्य
	जमा : अधिभार	शून्य
	जमा : 4 प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर	--
	कुल देययोग्य कर	शून्य

उदाहरण 10

2. धारा 80ग के अंतर्गत गृह ऋण पर ब्याज तथा कटौती के लिए करयोग्य आय तथा भत्ते, कटौती की एक गणना

श्री एक्स, दिल्ली में एक केंद्र सरकार के अधिकारी, जो मूल वेतन 40,000, निर्धारित दरों पर डीए, रू. 3600 की दर पर परिवहन भत्ता+ उस पर महंगाराइ भत्ता तथा एचआरए (1 जुलाराइ 2017 से मूल वेतन का 24 प्रतिशत) (अगर अपने खुद के घर में रह रहा हो) प्राप्त कर रहे हैं। उसकी वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाराइ हैं। निम्नलिखित उसकी आय के अन्य ब्यौरे हैं। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उसकी करयोग्य आय तथा देययोग्य कर की गणना करे

क्र.सं.	विवरण	रूपए
1	विभागीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक	3,000
2	निजी निकाय के लिए किए गए कार्य के लिए शुल्क (शुल्क का 1/3वां भाग सरकार द्वारा प्रतिधारित किया गया हैं)	6,000
3	जी.पी.एफ. प्रति माह हेतु अंशदान	4,700
4	जी.पी.एफ. प्रति माह हेतु वित्त पोषित डाक जीवन बीमा प्रीमियम	280
5	प्रति माह केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना हेतु अंशदान	500
6	जीवन बीमा प्रीमियम (1.04.2012 से पूर्व अपनी पत्नी के नाम पर ली गर्इ रू. 1,00,000 की जीवन बीमा पॉलिसी के तौर पर)	10,500
7	लोक भविष्य निधि हेतु अंशदान	10,000
8	1.04.1999 के पश्चात् उधार लिए गए एचडीएफसी ऋण का पुर्नभुगतान र्इएमआर्इ रू. 25,000 (रू. 95,000 के ऋण के लिए, रू. 2,05,000 ब्याज हेतु)	3,00,000

कर की गणना

क्र.सं.	विवरण		रूपए
1	**वेतन से आय**		
	मूल वेतन @ रू. 40,000 प्रति माह		
	(मार्च से जून 18)	1,60,000	
	@ रू. 41,220 प्रति माह * (जुलार्इ 2017 से फरवरी 2018)	3,29,600	4,89,600

	मंहगाइ्र भत्ता		
	1.3.2018 से 30.06.2018 @ 7 प्रतिशत अर्थात् रू. 40,000 प्रति माह	रू. 11,200	
	1.7.2018 से 31.12.2018 @ 9 प्रतिशत अर्थात् रू. रू. 41,200 प्रति माह	रू. 22,248	
	1.1.2019 से 28.02.2019 @ 11 प्रतिशत (कल्पित) अर्थात् रू. 41,200 प्रति माह	रू. 9,064	5,32,112
	गृह किराया भत्ता	1,17,504	6,49,616
	परिवहन भत्ता		
	1.3.2018 से 30.6.2018 @ रू. 3200 प्रतिमाह	12,800	
	1.7.2018 से 31.12.2018 @ रू. 3780 प्रतिमाह	22,680	
	1.1.2019 से 28.2.2019 @ रू. 3852 प्रतिमाह	7704	
		43,184	
	घटा : धारा 10(14) के अंतर्गत रू. 800 प्रतिमाह की दर से छूट	19200	23984
			6,73,600
	पारिश्रमिक		3,000
	शुल्क (उसके द्वारा सुरक्षित 2/3 भाग)		4000
	कुल वेतन		6,80,600
	घटा : मानक कटौती		-
	शुद्ध वेतन		6,80,600
2	गृह संपत्ति से आय		
	धारा 23(2)(क) के अंतर्गत स्व: सत्यापित संपत्ति जहां संपत्ति 01.04.1999 को या उसके बाद उधार ली गइ्र पूंजी के साथ प्राप्त/बनाइ्र गइ्र हो और ऐसा अधिग्रहण निर्माण उस वित्त वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षो के अंदर आंका गया हो जिसमें पूंजी उधार ली गइ्र		शून्य
	घटा : एचडीएफसी ऋण पर ब्याज (रू. 200000 तक)	2,00,000 (-)	2,00,000
	सकल कुल आय		4,80,600
	घटा : धारा 80 ग के अंतर्गत कटौती		
	- रू. 4,700/- प्रतिमाह पर जीपीएफ	56,400	
	- रू. 500/- प्रतिमाह पर सीजीइ्रजीआइ्रएस	6,000	
	- जीवन बीमा प्रीमियम	10,500	
	-एचडीएफसी ऋण का पुर्नभुगतान	95,000	
	-लोक भविष्य निधि में जमा	10,000	
		1,77,900	
			1,50,000

	अधिकतम कराधान आय हेतु सीमा	3,30,600
	कर देयता की गणना	
	देययोग्य कर	4,030
	जमा : अधिभार	-
	जमा : 4 प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर	161
	कुल कर देयता	1691 *

*धारा 87क के अंतर्गत रू. 2500 की छूट के बाद

परिशिष्ट-II

प्रपत्र सं. 12खक
(नियम 26क(2)(ख) देखें)

रियायत, अन्य फ्रिंज लाभ या सुविधाओं के विवरण दर्शाते हुए विवरण और उसकी राशि के साथ वेतन के स्थान पर लाभ

1) नियोक्ता का नाम और पता :
2) टैन
3) नियोक्ता के टीडीएस मूल्यांकन रेंज :
4) नियोक्ता का नाम, पद और पैन :
5) यदि कर्मचारी निदेशक अथवा कंपनी में पर्याप्त रूचि रखने वाला व्यक्ति हो तो :
   (जहां नियोक्ता ही कंपनी हो)
6) कर्मचारी के "वेतन" विषय के अंतर्गत आय :
   (रियायत को छोड़कर)
7) वित्त वर्ष :
8) रियायत मूल्यांकन

क्र.सं.	रियायत का प्रकार (नियम 3 देखें)	नियम के अनुसार रियायत राशि (रू.)	कर्मचारी द्वारा वसूली गर्इ राशि, यदि हो (रू.)	कर हेतु देययोग्नीय रियायत राशि स्तंभ (3)-स्तंभ (4) (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निवास			
2	कार/अन्य वाहन			
3	सफार्इकर्मी, माली, चौकीदार अथवा निजी परिचारक			
4	गैस, बिजली, पानी			
5	ब्याज शुल्क अथवा रियायती ऋण			
6	अवकाश व्यय			

7	नि:शुल्क अथवा रियायती यात्रा			
8	निशुल्क भोजन			
9	निशुल्क शिक्षा			
10	उपहार, वाउचर आदि			
11	क्रेडिट कार्ड व्यय			
12	क्लब व्यय			
13	कर्मचारी द्वारा चल संपत्ति का प्रयोग			
14	कर्मचारी को संपत्ति का स्थानांतरण			
15	अन्य किसी लाभ/सुविधा/ सेवा/विशेष लाभ की राशि			
16	स्टॉक विकल्प (गैर-अर्हता विकल्प)			
17	अन्य लाभ अथवा सुविधाएं			
18	रियायत की कुल राशि			
19	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ की कुल राशि			

9. कर का विवरण :-

(क) धारा 192(1) के अंतर्गत कर्मचारी वेतन से काटा गया कर ....

(ख) धारा 192 (1क) के अंतर्गत कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा दिया गया कर ....

(ग) दिया गया कुल कर ....

(घ) सरकारी कोष में किए गए भुगतान की तिथि ....

नियोक्ता द्वारा घोषणा

मैं....................................पुत्र..................................(पद)...............................के तौर पर कार्यरत, की ओर से...............................(नियोक्ता का नाम) एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उक्त दी गरइ जानकारी लेखा पुस्तकें, दस्तावेज तथा अन्य प्रासंगिक आंकड़ों अथवा हमारे पास मौजूद जानकारी पर आधारित हैं तथा ऐसे प्रत्येक रियायत की राशि का विवरण धारा 17 तथा इस आधार पर बनाए गए नियम के अनुसार हैं और ऐसी जानकारी सत्य और सही हैं।

उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान................ कर कटौती हेतु

दिनांक.................. पूरा नाम.....................

पद..............................

परिशिष्ट IIक

प्रपत्र सं. 12खख

(नियम 26ग को देखें)

धारा 192 के अंतर्गत कर की कटौती के लिए एक कर्मचारी द्वारा दावों का विवरण दर्शाते हुए ब्यौरा

1- कर्मचारी का नाम और पता			
2- कर्मचारी की स्थाऱ्इ खाता संख्या			
3- वित्त वर्ष			
दावे का विवरण और उसका प्रमाण			
क्र.सं.	दावे का प्रकार	राशि (रू.)	प्रमाण/विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गृह किराया भत्ता		
	(i) मकान मालिक को दिया गया किराया		
	(ii) मकान मालिक का नाम		
	(iii) मकान मालिक का पता		
	(iv) मकान मालिक की स्थाऱ्इ खाता संख्या		
	टिप्पणी : स्थाऱ्इ खाता संख्या को प्रस्तुत किया जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान दिया गया कुल किराया एक लाख रूपए से अधिक हो		
2	अवकाश यात्रा रियायत या सहायता		
3	उधार पर ब्याज की कटौती :		
	(i) ऋणदाता को देययोग्य/दिया गया ब्याज		
	(ii) ऋणदाता का नाम		
	(iii) ऋणदाता का पता		
	(iv) ऋणदाता की स्थाऱ्इ खाता संख्या		
	(क) वित्तीय संस्थान (यदि उपलब्ध हो)		
	(ख) नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो)		
	(ग) अन्य		
4	अध्याय vi-क के अंतर्गत कटौती		
	(क) धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ		
	(i) धारा 80ग		
	(क)		
	(ख)		
	(ग)		
	(घ)		
	(ड़)		

	(च)	....		
	(छ)	....		
	(ii) धारा 80गगग			
	(iii) धारा 80गगघ			
	(ख) अध्याय VI-क के अंतर्गत अन्य धाराएं (उदाहरण 80ड़, 80छ, 80ननक आदि)			
	(i) धारा			
	(ii) धारा			
	(iii) धारा			
	(iv) धारा			
	(v) धारा			

सत्यापन	
मैं..................पुत्र/पुत्री..............................(पिता का नाम) एतद्‌्रारा प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गर्इ सूचना पूरी और सही है	
स्थान........................	
तिथि..........................	(कर्मचारी के हस्ताक्षर)
पद............................	पूरा नाम

परिशिष्ट III

स्रोत से कर कटौती के परिपत्र की बिंदु सं. 4.4.2.1-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वेतन से आयकर कटौती-वित्त वर्ष 2015-16

पुस्तक प्रविष्टि द्वारा टीडीएस भुगतान की स्थिति में प्रमुख निर्धारण अधिकारी, कोष अधिकारी द्वारा विवरण का अनिवार्य दाखिलीकरण

1. टिन सुविधा केंद्र (टिन-एफसी) पर प्रपत्र 24छ को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

प्रपत्र 24छ डीआरइटी (पद्धति), दिल्ली द्वारा निर्धारित आंकड़ों की संरचना (फाइल फारमेट) के अनुसार पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ (बाद में निर्धारण अधिकारी के तौर पर संदर्भित) द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो टिन की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है। निर्धारण अधिकारी चाहे तो इन-हाउस सुविधाओं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अथवा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड र्इ-गर्वेनेंस अवसंरचना लिमिटेड (राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड), जो टिन वेबसाइट www.tin-nsdl.com से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता हैं, द्वारा विकसित प्रपत्र प्रपत्र 24छ विवरणी प्रस्तुति यूटिलिटी (आरपीयू) के प्रयोग द्वारा प्रपत्र 24छ तैयार किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 24छ को तैयार करने के बाद निर्धारण अधिकारी को फाइल मान्यकरण यूटिलिटी (एफवीपी), जो टिन वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध हैं, का प्रयोग कर इसे मान्यकृत करना आपेक्षित हैं।

निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वास्तविक विवरण सांख्यिकी रिपोर्ट के साथ सीडी/डीवीडी/पैन ड्राइव में '.fvu फाइल, एफवीयू के माध्यम से एक बार फाइल मान्यकृत होने पर टिन-सुविधा केंद्र पर प्रस्तुत की जानी

चाहिए। टिन-सुविधा केंद्र पर प्रपत्र 24छ की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर 15 अंको वाले टोकन नं. सन्निहित एक रसीद निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराइ जाएगी। निर्धारण अधिकारी टिन वेबसाइट पर प्रपत्र24छ की स्थिति देख सकते हैं।

पुस्तक पहचान संख्या (बिन) प्रपत्र 24छ में प्रतिवेदित वैध टैन के साथ दर्ज प्रत्येक डीडीओ हेतु जनित की जाएगी जिसे प्रपत्र 24छ में निर्दिष्ट इ-मेल आरइडी पर निर्धारण अधिकारी को आगे प्रसारित किया जाएगा। निर्धारण अधिकारी को संबंधित डीडीओ को बिन विवरण देने की आवश्यकता हैं। बिन को त्रैमासिक इ-टीडीएस/टीसीएस विवरण में डीडीओ द्वारा उद्धृत किया जाना हैं। बिन में प्रपत्र 24छ की रसीद संख्या, डीडीओ क्रमांक संख्या तथा स्थानांतरण वाउचर की तिथि सन्निहित हैं।

निर्धारण अधिकारी को कटौतीदाता द्वारा काटे गए कर के संबंध में माह के अंत से दस दिनों के भीतर प्रपत्र 24छ को प्रस्तुत करना तथा उसे उस माह के लिए सूचित करना आपेक्षित हैं। "माह-वित्त वर्ष" के लिए केवल एक नियमित प्रपत्र 24छ जमा किया जा सकता हैं।

1.1 प्रपत्र 24छ में संशोधन

निर्धारण अधिकारी टिन केंद्रीय प्रणाली पर स्वीकृत प्रपत्र 24छ के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए संशोधित प्रपत्र 24छ को पेश कर सकते हैं। संशोधित प्रपत्र 24छ की तैयारी तथा मान्यकरण नियमित प्रपत्र 24छ के समान हैं। सीडी/पैन ड्राइव पर कॉपी की हुए मान्यकृत संशोधित प्रपत्र 24छ (एफवीयू फाइल) टिन-सुविधा केंद्र हेतु मूल प्रपत्र 24छ तथा एसएसआर की अंनतिम रसीद के साथ जमा किया जाना है। टिन-सुविधा केंद्र पर संशोधित प्रपत्र 24छ की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर 15 अंको वाले टोकन नं. सन्निहित रसीद निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराइ जाएगी। निर्धारण अधिकारी टिन वेबसाइट पर प्रपत्र 24छ की स्थिति देख सकते हैं।

2 टिन वेबसाइट पर प्रपत्र 24छ का ऑनलाइन अपलोड :

टिन वेबसाइट पर प्रपत्र 24छ के ऑनलाइन अपलोड के लिए लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) जरूरी हैं। ऑनलाइन एआईएन पंजीकरण के लिए निर्धारण अधिकारी को टिन-सुविधा केंद्र के माध्यम से कम से कम एक प्रपत्र 24छ को जमा करने की आवश्यकता हैं। एआईएन पंजीकरण के पश्चात् निर्धारण अधिकारी टिन वेबसाइट पर निर्धारण अधिकारी खाते के द्वारा प्रपत्र 24छ को जमा कर सकते है। प्रपत्र 24छ की संशोधन की तैयारी तथा मान्यकरण नियमित प्रपत्र 24छ (टिन-सुविधा केंद्र पर जमा कराए गए) के समान हैं। मान्यकृत प्रपत्र 24छ संशोधित फाइल (एफवीयू फाइल) टिन वेबसाइट पर अपलोड की जानी हैं। ऑनलाइन अपलोड में एसएसआर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। टिन केंद्रीय प्रणाली पर स्वीकृत प्रपत्र 24छ हेतु 15 अंको वाले टोकन नं. सन्निहित ऑनलाइन रसीद जनित तथा प्रदर्शित की जाएगी तथा निर्धारण अधिकारी को दिखाइ जाएगी। रसीद का प्रारूप टिन-सुविधा केंद्र द्वारा जारी रसीद के समान हैं।

प्रपत्र 24छ के ऑनलाइन अपलोड के लिए निर्धारण अधिकारी हेतु कोइ प्रभार देययोग्नीय नहीं हैं। लॉगिन पर निर्धारण अधिकारी बिन विवरण को देख/डाउनलोड तथा जनसंख्कीय विवरण को अद्यतन कर सकते हैं। पंजीकरण तथा प्रपत्र 24छ के ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए कोइ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) आवश्यक नहीं हैं।

2.1 टिन वेबसाइट पर संशोधित प्रपत्र 24छ की ऑनलाइन अपलोडिंग

निर्धारण अधिकारी टिन केंद्रीय प्रणाली पर स्वीकृत प्रपत्र 24छ के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए संशोधित प्रपत्र 24छ को पेश कर सकते हैं। संशोधित प्रपत्र 24छ की तैयारी तथा मान्यकरण नियमित प्रपत्र 24छ के समान हैं। मान्यकृत प्रपत्र 24छ संशोधित प्रपत्र (एफवीयू फाइल) टिन वेबसाइट पर निर्धारण अधिकारी खाते के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड की जा सकती हैं। टिन केंद्रीय प्रणाली पर स्वीकृत प्रपत्र 24छ के संशोधन हेतु 15 अंकों वाले टोकन नंबर सन्निहित आनलाइन रसीद निर्धारण अधिकारी के लिए जनित तथा प्रदर्शित होगी। रसीद का प्रारूप टिन-सुविधा केंद्र द्वारा जारी रसीद के समान हैं। ऑनलाइन अपलोड में मूल प्रपत्र 24छ की अंनतिम रसीद तथा एसएसआर को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

3. अक्सर पूछे जाने वाले सवालों तथा विस्तृत विवरण के लिए निर्धारण अधिकारी को सलाह दी जाती है कि वह टिन वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर लॉगिन करें।

परिशिष्ट IV

वेतन एवं लेखा अधिकारी (प्रमुख निर्धारण अधिकारी/जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ)चेक/आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) द्वारा मासिक प्रपत्र सं. 24छ विवरण की प्रस्तुति

1. किस आयकर नियम के अंतर्गत प्रपत्र 24छ को भरा जाना चाहिए ?

आयकर विभाग अधिसूचना सं. 41/2010 दिनांक 31, मरइ 2010 आयकर नियम 30 का संशोधन करता हैं जो अनिवार्य करता हैं कि सरकारी कार्यालय कि स्थिति में जहां चालान (बैंक में कर जमा करने से संबंधित) की प्रस्तुति के बिना केंद्र सरकार को कर का भुगतान किया जाता हैं, प्रासंगिक पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अथवा समकक्ष सरकारी कार्यालय (इस दस्तावेज में यहां निर्धारण अधिकारी के तौर पर निर्दिष्ट) को मासिक आधार पर प्रपत्र 24छ जमा करना आपेक्षित हैं।

2. कौन प्रासंगिक पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ हैं, कौन प्रपत्र 24छ को दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं ?

एक प्रासंगिक पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ वह कार्यालय हैं जिसको कटौती करने वाला/डीडीओ (टैन धारक) पुस्तक समायोजन के माध्यम से टीडीएस/टीसीएस के प्रेषण की सूचना देता हैं। सामान्य तौर पर केंद्र सरकार का डीडीओ अपने संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) को पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस की सूचना देते हैं तथा राज्य सरकार के डीडीओ अपने संबंधित जिला कोषागार अधिकारी को पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस की सूचना देते हैं। ऐसे पीएओ तथा डीटीओ को मासिक आधार पर प्रपत्र 24छ जमा करना आपेक्षित हैं।

यहां चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) की ऐसे भी उदाहरण हैं जब राज्य के एजी को प्रत्यक्ष तौर पर पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि। ऐसे सीडीडीओ को मासिक आधार पर प्रपत्र 24छ जमा करना आपोक्षित हैं। परिशिष्ट III में योजनाबद्ध आरेख विभिन्न परिस्थितियों में प्रपत्र 24छ भरने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट करता हैं।

3. क्या समान कार्यालय/अधिकारी डीडीओ तथा निर्धारण अधिकारीे के तौर पर कार्य कर सकता है ?

सामान्य तौर पर, पीएओ कार्यालय वह हैं जिसको डीडीओ टीडीएस की सूचना देता हैं तथा इसलिए, दोनो अलग-अलग कार्यालयों से होते हैं। बहरहाल, जहां डीडीओ और निर्धारण अधिकारीे समान हैं, सीडीडीओ की स्थिति में, वहां प्रपत्र 24छ की सांख्यकीय सूचना उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

4. एआरइएन क्या हैं तथा किसे आवेदन करना चाहिए ?

लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआरइएन) एक विशिष्ट प्रकार के सात अंको की संख्या हैं जो प्रत्येक निर्धारण अधिकारीे को आयकर निदेशालय द्वारा (पद्धति), दिल्ली द्वारा आवंटित की जाती हैं। प्रत्येक निर्धारण अधिकारीे की इस संख्या द्वारा प्रणाली में विशिष्ट प्रकार से पहचान होती हैं। निर्धारण अधिकारी को टीडीएस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में एआरइएन हेतु आवेदन करना आपेक्षित हैं। एआरइएन आवेदन टिन साइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। प्रत्येक एआरइएन धारक को प्रपत्र 24छ को जमा करना आपेक्षित हैं।

प्रत्येक डीडीओ की कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या के द्वारा प्रणाली में पहचान होती हैं। यह संख्या आयकर विभाग द्वारा आवंटित होती हैं।

5. लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एएआरइएन) आवेदन को कहां जमा किया जाना चाहिए ?

एआरइएन आवंटन हेतु विधिवत भरे तथा हस्ताक्षरित आवेदन सीआरइटी (टीडीएस) क्षेत्राधिकार के पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा वास्तविक रूप से जमा किया जाना चाहिए। परिपूरित तथा सही एआरइएन आवेदन पत्र क्षेत्राधिकार सीआरइटी (टीडीएस) द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड रइ-गवेंनेंस अवसंचरना लिमिटेड (राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड), टाइम्स टॉवर, प्रथम तल, कमला मिल्स कांपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबरइ-400013 पर निर्धारण अधिकारीरइएन के आवंटन की सिफारिश करते हुए पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ को अग्रषित किया जाएगा।

6. प्रपत्र 24छ के माध्यम से कौन सी सूचना जमा की जानी चाहिए ?

प्रत्येक निर्धारण अधिकारी को पृथक रूप से हर प्रकार की कटौती/संग्रहण की जानकारी अर्थात् उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक डीडीओ द्वारा दिया गया टीडीएस-वेतन/टीडीएस गैर-वेतन/टीडीएस-गैर वेतन गैर निवासी/टीसीएस, देते हुए प्रत्येक माह एक पूरा, सत्य तथा समेकित प्रपत्र 24छ प्रस्तुत करना चाहिए।

7. प्रपत्र 24छ को कहां जमा किया जाना चाहिए ?

प्रपत्र 24छ केवल टिन-सुविधा केंद्र पर सीडी/पैन ड्राइव में केवल इलैक्ट्रानिक रूप में अथवा वेबपोर्टल www.tin-nsdl.com पर निर्धारण अधिकारी के खाते के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रपत्र सं. 24छ

को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध हैं। अंनतिम रसीद संख्या (पीआरएन) प्रपत्र 24छ की प्राप्ति रसीद के तौर पर जारी की जाएगी।

8. ऑनलाइन सुविधा के लिए पंजीकरण कैसे करें ?

टिन वेंबसाइट www.tin-nsdl.com के माध्यम से ऑनलाइन प्रपत्र 24 छ भरने के लिए एओ खाते के लिए पंजीकरण अनिवार्य हैं। एओ खाते के लिए पंजीकरण केवल एक बार आपेक्षित हैं। निर्धारण अधिकारी को, एओ खाते के पंजीकरण हेतु नो योर कस्टर (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन में कम से कम एक बार टिन-एफसी पर प्रपत्र 24छ जमा कराना आपेक्षित हैं। पंजीकरण के बाद, निर्धारण अधिकारी के लिए यह विकल्प मौजूद हैं कि वह या तो टिन-सुविधा केंद्र पर सीडी/पैन ड्राइव के द्वारा अथवा ऑनलाइन प्रपत्र 24छ जमा करें।

9. एओ खाते के साथ किस प्रकार की कार्यक्षमताएं उपलब्ध हैं ?

एओ खाते के माध्यम से, निर्धारण अधिकारी भरे हुए प्रपत्र 24छ की स्थिति, बिन (पुस्तक पहचान संख्या) विवरण प्राप्त, एओ प्रोफाइल को अद्यतन तथा प्रपत्र 24छ को अपलोड कर सकता हैं। स्टेटस ट्रेकिंग एआरइएन तथा प्रपत्र 24छ की संबंधित अंनतिम रसीद संख्या (पीआरएन) पर आधारित हैं।

10. क्या निर्धारण अधिकारी पेपर के रूप में प्रपत्र 24छ प्रस्तुत कर सकता हैं ?

नहीं, प्रपत्र 24छ केवल इलैक्ट्रानिक रूप से जमा किया जाना हैं।

11. क्या निर्धारण अधिकारी आयकर कार्यालय में इलैक्ट्रानिक रूप से तैयार प्रपत्र 24छ को जमा कर सकता है ?

नहीं, इलैक्ट्रानिक रूप से तैयार प्रपत्र 24छ केवल टिन-सुविधा केंद्र अथवा ऑनलाइन जमा किया जाना हैं।

12. प्रपत्र 24 छ में क्या-क्या शामिल है ?

प्रत्येक प्रपत्र 24छ आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा निर्धारित आंकड़ों की संरचना के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रपत्र 24छ में शामिल है :-

- निर्धारण अधिकारी द्वारा भरे हुए प्रपत्र 24छ का विवरण (एआरइएन, नाम, जनसांख्यिकीय जानकारी, संपर्क विवरण)
- मंत्रालय/राज्य की जानकारी सहित निर्धारण अधिकारी (केंद्र/राज्य सरकार) की श्रेणी
- स्टेटमेंट का विवरण (माह तथा वर्ष जिसके लिए प्रपत्र 24छ दाखिल जाना हैं)
- भुगतान सारांश, कटौती का प्रकार (टीडीएस-वेतन/टीडीएस गैर-वेतन/टीडीएस-गैर वेतन गैर-निवासी/टीडीएस) के अनुसार
- डीडीओ वार भुगतान विवरण (डीडीओ का टैन, नाम, जनसांख्यकीय विवरण, कुल दिया गया कर तथा सरकारी खाते (ए.जी./प्रधान सीसीए) को प्रेषित
- डीडीओ, जो निर्धारण अधिकारी से संबंधित हो, यदि निर्धारण अधिकारी, डीडीओ के नवीनतम विवरण को बढ़ाना/घटाना अथवा अद्यतन करना चाहे, उसे विवरण में निर्दिष्ट करना चाहिए।

13. प्रपत्र 24छ विवरण को तैयार करने की क्या प्रक्रिया है ?

निर्धारण अधिकारी चाहे तो इन-हाउस सुविधाओं, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड जो टिन वेबसाइट www.tin-nsdl.com से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता हैं, द्वारा विकसित, प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी (एफवीयू) अथवा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अथवा आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in के प्रयोग द्वारा प्रपत्र 24छ तैयार कर सकते हैं।

एक बार विवरण के तैयार होने पर, निर्धारण अधिकारी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा तैयार फाइल मान्यकरण यूटिलिटी (एफवीयू), जो टिन अथवा आयकर विभाग की वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध हैं, का प्रयोग कर इसे मान्यकृत करेंगे। विवरण निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होने पर प्रपत्र 24छ सांख्यकीय विवरण रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा संचालित किसी भी टिन सुविधा केंद्र (टिन-एफसी) पर कॉम्पैक डिस्क (सीडी) में प्रस्तुत किया जा सकता हैं। टिन -सुविधा केंद्र की सूची टिन अथवा आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

टिन-सुविधा केंद्र द्वारा एक बार प्रपत्र 24छ स्वीकार किए जाने पर विवरण के जमा करने के प्रमाण के अनुसार निर्धारण अधिकारी को विशिष्ठ अनंतिम रसीद संख्या (पीआरएन) के साथ अनंतिम रसीद जारी की जाएगी।

14. प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी क्या है ?

प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी एक जावा आधारित यूटिलिटी हैं। प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी वेबसाइट www.tin-nsdl.com से निशुल्क डाउनलोड की जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद, इसे मशीन की लोकल डिस्क पर सेव करना जरूरी है।

जेआररइ (जावा रन-टाइम एनवायरमेंट) (वर्जन : एसयूएन जेआररइ : 1.4.2_02 अथवा 1.4.2_03 अथवा 1.4.2_04 अथवा आरइबीएम जेआररइ : 1.4.1.0) कम्प्यूटर पर इंस्टाल किया जाना चाहिए जहां प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी इंस्टाल किया जाना हैं। जेआररइ http://java.sun.com तथा http://www.ibm.com@developerworks@javaa@jdk से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता हैं अथवा आप अपने कम्प्यूटर वेंडर (हार्डवेयर) से इसे इंस्टाल करने के लिए कहें।

प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी विंडो प्लेटफार्म विडों 2के प्रोफेशनल/विंडो 2के सर्वर/विंडो एनटी 4.0 सर्वर/विंडो एक्सपी प्रोफेशनल पर चलाया जा सकता हैं। श्प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटीश् को चलाने के लिए '24GRPU.bat' फाइल पर क्लिक करें।

यदि जेआररइ आपके कम्प्यूटर पर इंस्टाल नहीं हैं तो '24GRPU.bat' पर क्लिक करें, जिसके बाद एक संदेश प्रदर्शित होगा। ऐसी स्थिति में, जेआररइ को इंस्टाल करें तथा दुबारा प्रयास करें। यदि जेआररइ का उचित वर्जन इंस्टाल हो तो प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी प्रदर्शित होगा।

15. प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी को डाउनलोड तथा इंस्टाल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

डाउनलोडिंग में किसी प्रकार की सहायता तथा प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी प्रयोग करने के लिए प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी में श्मददश् में उपलब्घ कराए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। यह यूटिलिटी 75,000 तक के रिकार्ड सहित प्रपत्र 24छ को तैयार करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी (वर्जन 1.2) नियमित तथा संशोधित विवरण के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।

16. फाइल मान्यकरण यूटिलिट (एफवीयू) क्या है ?

निर्धारण अधिकारी को फाइल के प्रारूप स्तर सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए फाइल मान्यकरण यूटिलिटी (एफवीयू) के माध्यम से प्रस्तुति यूटिलिटी का प्रयोग करके जनित प्रपत्र 24छ (नियमित/संशोधित) फाइल को देना चाहिए। यह यूटिलिटी टिन वेबसाइट से निशुल्क भी डाउनलोड की जा सकती हैं। प्रपत्र 24छ में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटियों को सुधारना चाहिए। सुधार के पश्चात, प्रयोगकर्ता कों एफवीयू के माध्यम से संशोधित प्रपत्र 24छ देना चाहिए। यह प्रक्रिया त्रुटि मुक्त प्रपत्र 24छ जनित होने तक दोहरारइ जानी चाहिए। वित्त वर्ष 2005-06 से प्रारंभ तैयार प्रपत्र 24छ इस यूटिलिटी के प्रयोग द्वारा मान्यकृत किया जा सकता हैं।

प्रपत्र 24छ एफवीयू एक जावा आधारित यूटिलिटी है। जेआररइ (जावा रन-टाइम एनवायरमेंट) (वर्जन : एसयूएन जेआररइ : 1.4.2_02 अथवा 1.4.2_03 अथवा 1.4.2_04 अथवा आरइबीएम जेआररइ : 1.4.1.0) कम्प्यूटर पर इंस्टाल किया जाना चाहिए जहां प्रपत्र 24छ प्रस्तुति यूटिलिटी इंस्टाल किया जाना हैं। जेआररइ http://java.sun.com तथा http://www.ibm.com@developerworks@javaa@jdk से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता हैं अथवा आप अपने कम्प्यूटर वेंडर (हार्डवेयर) से इसे इंस्टाल करने के लिए कहें।

प्रपत्र 24छ एफवीयू सेटअप में निम्न दो फाइलें सन्निहित है

प्रपत्र 24G FVU.bat : यह एफवीयू के इंस्टालेशन हेतु सेटअप प्रोग्राम हैं।

प्रपत्र 24G_ FVU_STANDALONE.jar : यह एफवीयू प्रोग्राम फार्इल हैं।

यह फाइलें कार्यन्वित होने वाली जिप फाइल (Form 24G FVU.exe)(Version 1.2) में हैं। इन फाइलों को प्रपत्र 24G FVU से इंस्टाल करना अनिवार्य हैं।

एक्सटै्रक्ट तथा सेटअप के लिए निर्देश नीचे दिए गए है :

प्रपत्र 24G FVU एक्सटै्रक्ट तथा सेटअप

प्रपत्र 24G FVU.bat : यह एफवीयू के इंस्टालेशन हेतु सेटअप प्रोग्राम हैं।

प्रपत्र 24G_ FVU_STANDALONE.jar : यह एफवीयू प्रोग्राम फार्इल हैं।

यह फाइलें कार्यन्वित होने वाली जिप फाइल (प्रपत्र 24G FVU.exe)(Version 1.2) में हैं। इन फाइलों को प्रपत्र 24G FVU से इंस्टाल करना अनिवार्य हैं।

एक्सटै्रक्ट तथा सेटअप के लिए निर्देश नीचे दिए गए है :

प्रपत्र 24G FVU एक्सटै्रक्ट तथा सेटअप

17. आरपीयू के माध्यम से प्रपत्र 24 विवरण तैयार होने के बाद, तीन फाइलें जनित होंगी जब ऐसा विवरण एफवीयू से गुजरेगा। क्या टिन-सुविधा केंद्र हेतु निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी तीन फाइलों को सीडी/पैन ड्राइव में डालना अनिवार्य हैं ?

जब सही फाइलें एफवीयू से होकर गुजरेगी तो निम्नलिखित तीन फाइलें उत्पन्न होंगी :-

(क) अपलोड फाइल

(ख) प्रपत्र 24छ विवरण साख्यिकीय रिपोर्ट तथा

(ग) प्रपत्र 24छ

क्रम सं. (क) में प्रत्येक प्रपत्र24छ (अपलोड फाइल) सीडी में सेव करनी चाहिए तथा इसे लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर करने के बाद कागजी रूप में क्र.सं. (ब) में निर्दिष्ट विवरण सांख्यिकीय रिपोर्ट सहित संलग्न किया जाना चाहिए जिसे टिन-सुविधा केंद्र पर जमा किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 24छ : प्रपत्र 24छ, उक्त क्रमांक संख्या (ग) में, टीडीएस/टीसीएस बही समायोजन प्रपत्र का पाठक अनुकूल प्रारूप हैं। यह एचटीएमएल प्रारूप में प्रपत्र 24छ के वास्तविक रूप की तरह हैं। इसमें लेखा अधिकारी साथ ही साथ संरेखण एवं संवितरण अधिकारी का विवरण शामिल हैं। इस फाइल को जमा करने की आवश्यकता नहीं हैं।

18. क्या प्रपत्र 24छ विवरण सही किया जा सकता है ?

प्रत्येक प्रपत्र 24छ को आयकर विभाग (आरइटीडी) द्वारा निर्धारित आंकड़ों की संरचना के अनुसार तैयार किया जाना है। यदि यह नए आंकड़े संरचना को पुष्ट नहीं है तो इसे टिन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रक्रिया के अनुसार, प्रपत्र 24छ से संबंधित विवरण परिपूरित तथा सत्य होना चाहिए। किसी भी स्थिति में खंडित विवरण जमा (अर्थात् उसी एआरइएन, वित्त वर्ष तथा माह के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रपत्र के अंतर्गत कटौती हेतु ब्यौरा देते हुए पृथक विवरण) की अपेक्षा नहीं की जाएगी। हालांकि, मूल स्वीकृत विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि 'संशोधित बयान' को जमा करके सुधारी जा सकती हैं। संशोधन हेतु, आरपीयू का नवीनतम प्रारूप टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 24छ संशोधन टिन वेबसाइट पर प्रत्यक्ष रूप से अपलोडिड किया जा सकता हैं। टिन केंद्रीय प्रणाली पर प्रत्यक्ष रूप से अपलोड करने के लिए निर्धारण अधिकारी को पहले टिन वेबसाइट पर एआरइएन पंजीकृत कराना होना तथा संशोधित प्रपत्र 24छ अपलोड करना होगा।

19. कितने प्रकार के संशोधित विवरण स्वीकार्य है ?

निर्धारण अधिकारी. द्वारा दो प्रकार के संशोधित विवरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यह नीचे दिए गए हैं।

एम (संशोधन) :- मौजूदा प्रपत्र 24छ विवरण में किसी संशोधन हेतु

एक्स (रद्द करना) :- मौजूदा प्रपत्र 24छ विवरण में किसी निरकरण हेतु

संशोधित विवरण तैयार करने के लिए मूल विवरण की रसीद संख्या तथा पिछले विवरण की रसीद संख्या अनिवार्य हैं।

पहले संशोधन की स्थिति में, मूल विवरण का पीआरएन "मूल विवरण की रसीद संख्या" फील्ड में उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा "पिछले विवरण की रसीद संख्या" फील्ड में भी उपलब्ध करारइ जानी चाहिए।

संशोधित विवरण पहले ही जमा कराए जाने की स्थिति में, मूल विवरण का पीआरएन "मूल विवरण की रसीद संख्या" फील्ड में उपलब्ध करारइ जानी चाहिए तथा पिछले संशोधन का पीआरएन "पिछले विवरण की रसीद संख्या" फील्ड में निर्दिष्ट कराया जाना चाहिए।

20. एम टाइप का संशोधन विवरण क्या है ?

इस प्रकार का संशोधित विवरण निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि वह अपनी किसी प्रकार की जानकारी जैसे नाम, पता, उत्तरदायी व्यक्ति का विवरण, श्रेणी, मंत्रालय, राज्य अथवा डीडीओ (संरेखण एवं संवितरण अधिकारी) आदि को घटाना अथवा बढ़ाना, को अद्यतन करना चाहता हैं। एआरइएन (लेखा कार्यालय पहचान संख्या), वित्त वर्ष तथा माह में संशोधन स्वीकार्य नहीं हैं।

मूल प्रपत्र 24छ विवरण में उपलब्ध कराए गए डीडीओ विवरण में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है :

बढ़ाना : डीडीओ विवरण मूल प्रपत्र 24छ में शामिल किया जा सकता है।

अद्यतन : डीडीओ का विवरण (अर्थात् टैन, टैन का नाम, जनसांख्यिकीय तथा संपर्क विवरण, कर कटौती राशि तथा प्रेषण, कटौती का प्रकार) मूल अथवा उत्तरवर्ती संशोधन विवरण में मुहैया कराए गए डीडीओ रिकार्ड के लिए अद्यतन किया जा सकता हैं।

हटाना : मूल प्रपत्र 24छ अथवा उत्तरवर्ती संशोधन विवरण में उपलब्ध कराए गए डीडीओ रिकार्ड को हटाया जा सकता हैं।

एम प्रकार का संशोधन विवरण सदैव एओ विवरण तथा डीडीओ विवरण में शामिल होगा जिसे बढ़ाया तथा/अथवा हटाया जा सकता हैं।

21. X प्रकार का संशोधन विवरण क्या है ?

इस प्रकार के संशोधन विवरण को एओ द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए यदि वह मौजूदा प्रपत्र 24छ विवरण को रद्द करना चाहे। संशोधन के X प्रकार की फाइलिंग उसी प्रारइमरी की (एआरइएन, वित्त वर्ष तथा माह) के लिए नियमित प्रपत्र 24छ को जमा करने की स्वीकृति देती हैं। इस प्रकार का संशोधन केवल तभी जमा होगी जब प्रपत्र 24छ गलत एआरइएन, वित्त वर्ष अथवा माह के साथ जमा किया गया हों।

22. बिन क्या है ?

बिन का पूरा अर्थ स्वीकार्य मासिक प्रपत्र 24छ में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रपत्र प्रकार के लिए "पुस्तक पहचान संख्या या बुक आरइडिफिकेशन नंबर" हैं। बिन में निम्न शामिल हैं :-

(i) रसीद संख्या : रसीद संख्या सात अंकों का विशिष्ठ अंक हैं जो प्रपत्र 24छ के सफलतापूर्वक स्वीकृति पर जनित होता हैं।

(ii) डीडीओ क्रमांक संख्या : यह पांच अंकों वाली विशिष्ठ अंक हैं जो प्रपत्र 24छ में प्रतिवेदित प्रत्येक डीडीओ लेन-देन पर जनित होती हैं।

(iii) स्थानांतरण वाउचर तिथि : यह माह की वह अंतिम तिथि हैं जिसके लिए प्रपत्र 24छ विवरण जमा किया गया हैं।

बिन को संबंधित डीडीओ, जिसे टीडीएस/टीसीएस विवरण में इसकी सूचना देना आपेक्षित हैं, द्वारा प्रसारित करना आपेक्षित हैं। बिन का उद्धृतीकरण प्रभावी तिथि 01 फरवरी 2012 से अनिवार्य कर दिया गया हैं। बिन चालान की प्रस्तुति के जमा किए जाने वाले टीडीएस के दावे को मूल्यांकित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की संख्या हैं। जैसा कि यह सत्यापन की (चाबी) हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि संबंधित डीडीओ को निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया वैध बिन टीडीएस विवरण में सही रूप से जमा किया जाना चाहिए।

23. बिन कब जनित (जनरेट) होता है?

स्वीकृत प्रपत्र 24छ विवरण की प्रसंस्करण पर, बिन प्रपत्र प्रपत्र 24छ विवरण में मौजूद प्रत्येक डीडीओ रिकॉर्ड (वैध टैन सहित) हेतु जनित होता हैं। बिन टिन केंद्रीय प्रणाली पर जनित होता हैं तथा टैन के विवरण तथा प्रपत्र के प्रकार के साथ पीएओ को सूचित किया जाता हैं।

24. पीएओ तथा डीडीओ बिन के साथ क्या करते है ?

पीएओ को संबंधित डीडीओ को बिन प्रसारित करना आपेक्षित हैं। त्रैमासिक टीडीएस/टीसीएस विवरण को तैयार करने के दौरान डीडीओ को कथित बिन विवरण को उद्धृत करना आपेक्षित हैं यदि कर स्थानांतरण वाउचर (पुस्तक समाविष्टि) के माध्यम से दिया गया हों।

विशेषकर 24छ के लिए जनित बिन प्रपत्र प्रपत्र 24छ में मुहैया करारइ गरइ रइ-मेल आरइडी पर एओ को मेल किया जाना हैं। इसके अतिरिक्त एओ टिन साइट पर निर्धारण अधिकारी लॉगिन के माध्यम से बिन विवरण को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

25. किन परिस्थितियों में बिन को जनरेट किया जा सकता हैं ?

बिन प्रपत्र 24छ संशोधन विवरण में जुड़े हुए वैध टैन-डीडीओ रिकॉर्ड के लिए जनित किया जाएगा।

बिन डीडीओ रिकॉर्ड के लिए जनित होगा जहां आयकर विभाग के डेटाबेस में अवैध टैन्स/टैन उपलब्ध नहीं हैं वह वैध टैन के साथ अद्यतन होगा।

टैन के नाम, जनसांख्यिकीय तथा संपर्क विवरण में कोरइ अद्यतन, कर कटौती तथा प्रेषण अथवा कटौती के प्रकार हेतु नया बिन जनित नहीं होगा।

कटे हुए डीडीओ रिकॉर्ड के लिए बिन विवरण जनित नहीं होगा।

26. बिन की क्या उपयोगिता है ?

डीडीओ द्वारा दाखिल किए गए त्रैमासिक टीडीएस/टीसीएस विवरण में सूचित टीडीएस राशि तथा बिन विवरण सत्यापन उद्देश्य के लिए पीएओ द्वारा भरे हुए प्रपत्र सं. 24छ में भरे हुए संबंधित ब्यौरे के साथ जोड़ी जाएगी।

27. क्या यहां ऐसे उदाहरण हैं जहां टीडीएस/टीसीएस विवरण में सूचित टीडीएस राशि तथा बिन विवरण प्रपत्र प्रपत्र 24छ उस रिपोर्ट से मेल न खाते हो ?

(i) टीडीएस/टीसीएस विवरण में डीडीओ द्वारा बिन की गलत/असत्य सूचना की घटना देखने में आरइ हैं। बिन तथा टीडीएस विवरण में अनुरूप राशि की गलत सूचना प्रपत्र प्रपत्र 24छ में सूचितानुसार संबंधित राशि के असंतुलन का कारण होगी। इस स्थिति में, संभावना हैं कि अनुरूपी कटौती कराने वाले को टीडीएस/टीसीएस का क्रेटिड प्राप्त न हो। इसलिए, संबंधित पीएओ द्वारा प्रसारितानुसार बिन, डीडीओ द्वारा भरे हुए टीडीएस/टीसीएस में इसी राशि के साथ सही रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

(ii) करइ मामलों में, एक विशिष्ट डीडीओ को इसी प्रकार के टीडीएस विवरण के लिए प्रपत्र 24छ में एक से अधिक एओ द्वारा सूचना देने के मामले भी आते हैं जो कि एक मान्य परिस्थिति नहीं हैं। डीडीओ तथा संबंधित एओ को मामले के समाधान निकालने की सलाह दी जाती है तथा विशेष माह के लिए प्रकार प्रकार के प्रपत्र के लिए केवल एक एओ का खाका तैयार करना चाहिए।

28. पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ के क्या कर्त्तव्य है ?

i टीडीएस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के साथ एआर्इएन हेतु आवेदन करने के लिए, एआर्इएन आवेदन टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

ii डीडीओ सूचना हेतु सही टैन को प्राप्त करने हेतु

iii महीने के अंत से 10 दिनों के भीतर प्रपत्र प्रपत्र 24छ (सीडी, डीवीडी, पैन ड्रार्इव में) को जमा करने हेतु, चाहे इलैक्ट्रानिकली अथवा टिन सुविधा केंद्र पर अथवा टिन वेबसाइट पर प्रत्यक्ष अपलोड द्वारा

iv टिन वेबसाइट के माध्यम से दाखिल हुए प्रपत्र 24छ की स्थिति का पता लगाने के लिए

v प्रपत्र 24छ विवरण के आधार पर जनित पुस्तक पहचान संख्या (बिन) को डाउनलोड करने के लिए

vi संबंधित डीडीओ को बिन प्रसारित करने के लिए

29. डीडीओ के क्या कर्त्तव्य हैं ?

i अपने पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ ,जिसको डीडीओ/कटौतीदाता काटे जाने वाले कर के बारे में सूचित करता है, को सही पैन उपलब्ध कराना तथा वह केंद्र सरकार के क्रेटिड में ऐसी राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ii पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ की सूचना के लिए काटे गए कर की सूचना तथा पुस्तक समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में क्रेटिड हेतु

iii काटे गए कर के लिए त्रैमासिक टीडीएस/टीसीएस विवरण (24थ, 26थ आदि) में बिन उद्धृत करने तथा पुस्तक समायोजन द्वारा क्रेटिड हेतु

iv नियत तिथि के भीतर टीडीएस/टीसीएस विवरण का दाखिलीकरण (24थ, 26थ आदि)

v. ट्रेसेज वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in) से प्रपत्र 16/26क डाउनलोड करने के लिए तथा कटौतीदाता को इसका समय से निगर्मन

30. त्रैमासिक टीडीएस/टीसीएस विवरण में बिन विवरण के गैर-उद्धृतीकरण के क्या परिणाम हैं ?

(क) डीडीओ द्वारा भरे हुए त्रैमासिक टीडीएस/टीसीएस विवरण में सूचित टीडीएस की राशि तथा बिन विवरण का सत्यापन उद्देश्य के लिए पीएओ द्वारा प्रपत्र 24छ में भरे विवरण के साथ मिलाप किया जाएगा।

(ख) टीडीएस/टीसीएस विवरण में डीडीओ द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना असंगति का कारण बन सकती हैं जिससे संबंधित कटौती कराने वाले के क्रेटिड, कटौती कराने वाले के प्रपत्र 26कध में उपलब्ध नहीं होगा।

(ग) पूर्ण जानकारी टिन वेबसाइट www.tin-nsdl.com तथा आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

31. कटौतीदाता को जारी किए जाने के लिए प्रपत्र 16/16क का प्रारूप क्या हैं ?

केवल ट्रसेज पोटर्ल से प्रपत्र 16/16क को डाउनलोड तथा उत्सर्जित करना अनिवार्य हैं। कटौतीकर्ता को वेतन विवरण के लिए प्रपत्र 16 के भाग 'ख' को ही व्यक्तिगत रूप से जारी करने की स्वीकृति हैं।

32. क्या कोर्इ स्थिति हैं जहां डीडीओ एआर्इएन को प्राप्त करना भी अनिवार्य हैं ?

हां, यदि कटौतीकर्ता सीडीडीओ की क्षमता का हैं तथा राज्य निर्धारण अधिकारी को वाउचर स्थानांतरण के माध्यम से कर कटौती की प्रत्यक्ष रिपोर्ट करता हैं तो उस स्थिति में सीडीडीओ को एआर्इएन को प्राप्त करना आपेक्षित हैं तथा संबंधित बही समायोजन प्रविष्टियों के लिए 24छ को दाखिल करना हैं तथा तत्पश्चात् टैन धारक के तौर पर टीडीएस/टीसीएस विवरण को दाखिल करना भी आपेक्षित हैं।

उदाहरण के लिए राज्य सरकार में कार्यकारी अभियंता की स्थिति में जो चेक के माध्यम से टीडीएस/टीसीएस की कटौती के पश्चात् ठेकेदार को भुगतान करते हैं, ऐसे टीडीएस लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र 24थ को दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें एआरइएन को प्राप्त करना तथा इन बही समायोजन प्रविष्टि की मासिक रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र 24छ को दाखिल करना तथा तत्स्थानी बिन के उद्धृतीकरण द्वारा टैन धारक के तौर पर त्रैमासिक टीडीएस विवरण को दाखिल करना आपेक्षित होगा।

परिशिष्ट V

राज्य सरकार के विभाग की स्थिति में प्रपत्र सं. 24छ दाखिल करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

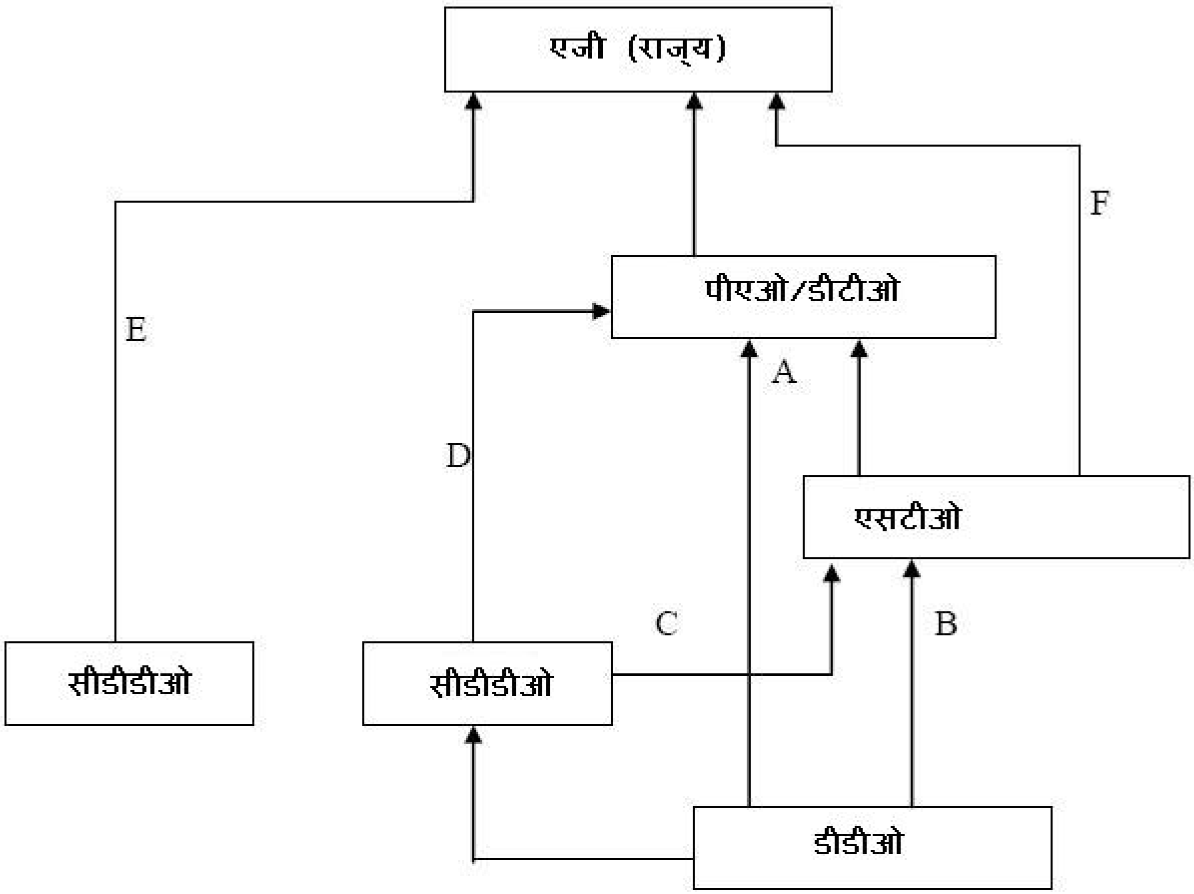

पुस्तक प्रविष्टि की सूचना का प्रकार	24 छ दाखिल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (एआर्इएन धारक)
क	पीएओ/डीटीओ
ख	पीएओ/डीटीओ
ग	पीएओ/डीटीओ
घ	पीएओ/डीटीओ
ड़	सीडीडीओ

च	एसटीओ

एजी	महालेखापाल
पीएओ	वेतन एवं लेखा अधिकारी
डीटीओ	जिला कोषागार कार्यालय
एसटीओ	उप-कोषागार कार्यालय
डीडीओ	संरेखण एवं संवितरण अधिकारी
सीडीडीओ	आहरण एंव संवितरण अधिकारी

परिशिष्ट VI

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वेतन से स्रोत पर कर कटौती के परिपत्र की बिंदु सं. 4.9 का मसौदा - वित्त वर्ष 2015-16 - अधिनियम की धारा 200(3) के अंतर्गत कर कटौती का त्रैमासिक विवरण के तैयारी की प्रक्रिया

1. त्रैमासिक र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी डीआरइटी (पद्धति), दिल्ली द्वारा निर्धारित आंकड़ों की संरचना (फाइल फारमेट) के अनुसार कटौतीकर्ता /डीडीओ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो टिन की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध हैं। कटौतीकर्ता/डीडीओ चाहे तो इन-हाउस सुविधाओं, एनएसडीएल र्इ-गर्वेनेंस अवसंरचना लिमिटेड (एनएसडीएल), जो टिन वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता हैं, द्वारा विकसित विवरणी प्रस्तुति यूटिलिटी (आरपीयू) अथवा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी तैयार कर सकते हैं।

र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी को तैयार करने के बाद कटौतीकर्ता/डीडीओ को फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीपी), जो टिन वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध हैं, का प्रयोग कर इसे मान्यकृत करना आपेक्षित हैं।

2. टिन सुविधा केंद्र (टिन-एफसी) पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

एफवीयू के माध्यम से एक बार फाइल मान्यकृत होने पर '.एफवीयू फाइल जनित होगी। कटौतीकर्ता/डीडीओ अथवा कटौतीकर्ता/डीडीओ द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विधिवत भरे हुए तथा हस्ताक्षरित वास्तविक प्रपत्र 27क सहित सीडी/डीवीडी/पैन ड्रार्इव में इस एफवीपी, टिन फाइल की प्रति टिन-सुविधा केंद्र पर प्रस्तुत किया जाना हैं। कटौतकर्ता/डीडीओ को 15 अंको वाले टोकन नं. सन्निहित रसीद उपलब्ध करार्इ जाएगी। कटौतीकर्ता/डीडीओ टिन वेबसाइट पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी की स्थिति देख सकते हैं। "वित्त वर्ष-त्रैमासिक-टैन-प्रपत्र" हेतु केवल एक नियमित र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी जमा की जाएगी।

2.1 र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी में संशोधन

2.1.1 विवरण के ऑनलाइन संशोधन के लिए सीपीसी-टीडीएस पोर्टल (www.tdscpc.gov.in) की भी शुरूआत की गर्इ हैं जिसके द्वारा व्यक्तिगत सूचना, पैन संशोधन, चालान जानकारी घटाना/बढ़ाना, वेतन की जानकारी को घटाना/बढ़ाना, कटौतीकर्ता पंक्ति आदि को बढ़ाना/अपडेट/मूव करना, कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल विवरण में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अथवा उसके बिना किया जा सकता हैं। अन्य जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गर्इ तालिका को संदर्भित करें।

	डिफाल्ट समरी व्यू	व्यक्तिगत जानकारी	चालान संशोधन (बेमेल, मेल कटौतीदाता+कटौतीदाता मूवमेंट)	पैन संशोधन (परिशिष्ट I)	पैन संशोधन (परिशिष्ट II)	विवरण हेतु जमा चालान करना	ब्याज, उदग्रहण भुगतान	संशोधित/ब गर्इ कटौतीदा पंक्ति
ऑनलाइन संशोधन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

(डिजिटल हस्ताक्षर सहित, 2013-14 से आरंभ)								
ऑनलाइन संशोधन (डिजिटल हस्ताक्षर सहित, 2013-14 से आरंभ)	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
ऑनलाइन संशोधन (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, 2013-14 से आरंभ)	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
ऑनलाइन संशोधन (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, 2013-14 से आरंभ)	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं

अधिक जानकारी के लिए कटौतीकर्ता को सलाह दी जाती है कि टीआरएसीरइएस पर उपलब्ध रइ-ट्यूटोरियल/अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हेतु संदर्भित करें। ऑनलाइन संशोधन के लिए कोरइ शुल्क नहीं होगा तथा कोन्सो फाइल की डाउनलोडिंग तथा टिन एफसी को विजिट करने की अनिवार्यता दूर करता हैं।

2.1.2 1 जनवरी, 2015 की प्रभावी तिथि से टीआरएसीरइएस सीपीसी-टीडीएस (सामान्यत: विवरण दाखिल की तिथि से दो दिन के पश्चात) के प्रसंस्करण की तिथि से 7 दिनों तक संशोधन विंडो उपलब्ध कराएगा। यह सुविधा सीपीसी-टीडीएस द्वारा पहचाने जाने वाले चालान मिसमैच तथा पैन त्रुटियों के मामलों को भरने में तथा मांग सूचना को जारी होने से रोकने में मदद करेगा। इसलिए, कटौतीकर्ताओं को सलाह दी जाती हैं कि वह इस सुविधा के लाभ के लिए प्रसंस्करण स्थिति को यथासमय देखते रहें।

2.1.3 कटौतीकर्ता/डीडीओ रइ-टीडीएस विवरण में किसी संशोधन के लिए संशोधित रइ-टीडीएस विवरण को भी जमा कर सकते हैं। संशोधित विवरण टीडीएस समेकित फाइल के प्रयोग द्वारा तैयार किया जा सकता हैं जो टीआरएसीरइएस की वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर उपलब्ध हैं। संशोधित विवरण का मान्यकरण टिन-एफसी पर विवरण सांख्यकीय रिपोर्ट तथा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित भौतिक प्रपत्र 27क, नियमित रइ-टीडीएस विवरण के समान हैं। टिन सुविधा केंद्र पर कागजी विवरण/विवरणी की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर कटौतीकर्ता/डीडीओ को 15 अंको की टोकन नं. सन्निहित रसीद उपलब्ध करारइ जाएगी। कटौतीकर्ता/डीडीओ टीआरएसीरइएस वेबसाइट पर रइ-टीडीएस विवरण की स्थिति देख सकते हैं।

3. टिन सुविधा केंद्र (टिन-एफसी) पर कागजी टीडीएस विवरण/विवरणी को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

प्रपत्र 24थ में सभी विवरण/विवरणी 20 अथवा उससे कम के कटौती रिकार्ड को छोड़कर कम्प्यूटर मीडिया में प्रस्तुत किया जाना हैं। कटौतीकर्ता/डीडीओ द्वारा विधिवत रूप से भरे हुए तथा हस्ताक्षरित कागजी विवरण/विवरणी टिन सुविधा केंद्र पर जमा किया जाना हैं। टिन सुविधा केंद्र पर कागजी विवरण/विवरणीकी सफलतापूर्वक स्वीकृति पर कटौतीकर्ता/डीडीओ को 15 अंको की टोकन नं. सन्निहित रसीद उपलब्ध करारइ

जाएगी। कटौतीकर्ता/डीडीओ टिन वेबसाइट पर कागजी विवरण/विवरणी की स्थिति देख सकते हैं। कागजी विवरण/विवरणी के लिए कोर्इ प्रभार देय नहीं हैं।

3.1 कागजी विवरण/विवरणी में संशोधन

वास्तविक टीडीएस विवरण/विवरणीटिन पर वास्तविक टीडीएस विवरण/विवरणी स्वीकृति हेतु किसी संशोधन की स्थिति में दुबारा भरा जा सकता हैं। कटौतीकर्ता को विधिवत रूप से भरे हुए तथा हस्ताक्षरित वास्तविक टीडीएस विवरण/विवरणी को टिन-सुविधा केंद्र पर नियमित कागजी विवरण/विवरणी की अनंतिम रसीद की प्रति के साथ जमा करना होगा। टिन-सुविधा केंद्र पर संशोधित कागजी विवरण/विवरणीकी सफलतापूर्वक स्वीकृति पर कटौतीकर्ता/डीडीओ को विशिष्ट 15 अंको वाले टोकन नं. सन्निहित रसीद उपलब्ध करार्इ जाएगी। कटौतीकर्ता/डीडीओ टिन वेबसाइट पर कागजी विवरण/विवरणी की स्थिति देख सकते हैं।

4. टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी की प्रस्तुति की प्रक्रिया

कटौतीकर्ता/डीडीओ को र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी के ऑनलाइन अपलोड हेतु डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) जुटाना आपेक्षित हैं। टिन वेबसाइट पर पंजीकरण के पश्चात् कटौतीकर्ता/डीडीओ द्वारा अनुमोदित पत्रांक एनएसडीएल को संगठन के लैटर हैड पर उपलब्ध कराना चाहिए। एक बार एनएसडीएल द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर एक यूजर आर्इडी बन जाएगी तथा कटौतीकर्ता/डीडीओ को पंजीकरण के समय मुहैया करार्इ गर्इ उनकी पंजीकृत र्इ-मेल पर भेज दी जाएगी। र्इ-टीडीएस विवरण को तैयार करने तथा मान्यकरण नियमित र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी(टिन-एफसी पर जमा) के समान हैं। कटौतीकर्ता/डीडीओ अपने यूजर आर्इ तथा डीएसएससी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं तथा टिन वेबसाइट पर एफवीयू द्वारा जनित र्इ-टीडीएस फाइल ('.fvu फाइल) को अपलोड तथा मान्यकृत कर सकते हैं। टिन पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर विशिष्ट 15 अंको वाले डिजिटल टोकन नं. तथा 8 अंको वाले रसीद संख्या सन्निहित रसीद जनित तथा प्रदर्शित होगी। ऑनलाइन अपलोड में भौतिक रूप से प्रपत्र 27क को जमा करने की आवश्यकता नहीं हैं। कटौतीकर्ता/डीडीओ टिन वेबसाइट पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी की स्थिति देख सकते हैं।

र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी के ऑनलाइन अपलोड हेतु कोर्इ शुल्क देय नहीं हैं।

4.1 टिन वेबसाइट पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी का संशोधन

कटौतीकर्ता/डीडीओ टिन केंद्रीय प्रणाली पर स्वीकृत होने वाली र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी में किसी संशोधन हेतु संशोधित र्इ-टीडीएस/विवरणी को जमा कर सकते हैं। संशोधित विवरण/विवरणी केवल टीडीएस समेकित फाइल का प्रयोग कर ही तैयार किया जा सकता हैं जो टेन पंजीकरण के माध्यम से सीपीसी-टीडीएस पोर्टल www.tdscpc.gov.in पर उपलब्घ हैं। र्इ-टीडीएस विवरण की तैयारी तथा मान्यकरण नियमित र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी के समान हैं। कटौतीकर्ता/डीडीओ अपने यूजर आर्इ तथा डीएसएससी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं तथा टिन वेबसाइट पर एफवीयू द्वारा जनित र्इ-टीडीएस फाइल (टिन फाइल) को अपलोड तथा मान्यकृत कर सकते हैं। टिन पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी संशोधन के सफलतापूर्वक स्वीकृति पर विशिष्ट 15 अंको वाले डिजिटल टोकन नं. सन्निहित रसीद जनित तथा प्रदर्शित होगी। ऑनलाइन अपलोड में भौतिक रूप से प्रपत्र 27क तथा नियमित र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी की अनंतिम रसीद की प्रति को जमा करने की आवश्यकता नहीं हैं। कटौतीकर्ता/डीडीओ टिन वेबसाइट पर र्इ-टीडीएस विवरण/विवरणी की स्थिति देख सकते हैं।

5. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल तथा अधिक विवरण के लिए कटौतीकर्ता/डीडीओ को सलाह दी जाती हैं कि वह वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर लॉग इन करें।

परिशिष्ट VII

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक मामला विभाग)
(र्इसीबी व बीआर प्रभाग)
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 22 दिसंबर, 2003

एफ.सं. 5/7/2003-ए़सीबी एंड पीआर - सरकार ने केंद्र सरकार सेवा के नवागंतुकों, सैन्य बल के अलावा, प्रथम स्तर पर, के लिए नए़ परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली आरंभ करने से संबंधित 2003-04 के बजट घोषणा के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को 23 अगस्त, 2003 को, परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली से प्रतिस्थापित करने के लिए, स्वीकृत किया था।

i प्रणाली 1 जनवरी 2004 (प्रथम स्तर पर सैन्य बलों को छोड़कर) से केंद्र सरकार की सेवा के सभी नए नियुक्तों के लिए अनिवार्य हैं। मासिक अंशदान वेतन तथा महंगाए़ भत्ते का 10 प्रतिशत होगा, जिसे कर्मचारी द्वारा दिया जाना हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा इसका मिलाप किया जाना हैं। बहरहाल, गैर सरकारी कर्मचारी के संबंध में सरकार की ओर से कोए़ अंशदान नहीं किया जाएगा। अंशदान तथा निवेश रिटर्न निकाले न जाने वाले टियर-I खाते में जमा की जाएगी। मौजूदा परिभाषित लाभ पेंशन तथा जीपीएफ के प्रावधान केंद्र सरकार की सेवा में नए नियुक्ति हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

ii उक्त पेंशन खाते के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने विकल्प के अनुसार अवैतानिक टियर-II प्रत्याहृत खाता भी होना चाहिए। यह विकल्प जीपीएफ के तौर पर दिया जाएगा जिसे केंद्र सरकार की सेवा में नए़ भर्ती के लिए वापस लिया जाएगा। सरकार इस खाते में किसी प्रकार का अंशदान नहीं करेगी। यह परिसंपत्तियां उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही संचालित होगी। बहरहाल, कर्मचारी किसी भी समय अपने पैसे के "सैकेंड टियर" के भाग अथवा पूरी राशि को निकालने के लिए मुक्त हैं। इस विड्राल खाते में किसी प्रकार की पेंशन जमा नहीं की जाएगी तथा इसे किसी विशेष कर का लाभ नहीं मिलेगा।

iii व्यक्ति सामान्य तौर पर टियर-I पेंशन प्रणाली से 60 वर्ष की आयु में अथवा के बाद बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने पर व्यक्ति द्वारा वार्षिकी (ए़राडा-विनियमित जीवन बीमा निगम) को खरीदने के लिए पेंशन राशि से 40 प्रतिशत निवेश करना आपेक्षित हैं। सरकारी कर्मचारी की स्थिति में वार्षिकी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके जीवन साथी के जीवन के लिए पेंशन उपलब्ध कराए़ जानी चाहिए। व्यक्ति को बची हुए़ पेंशन राशि का एकमुश्त पैसा प्राप्त होगा जिसे किसी भी तरह से प्रयोग के लिए वह मुक्त हैं। व्यक्ति को 60 साल की आयु के पहले पेंशन प्रणाली से बाहर निकाले की आजादी हैं। बहरहाल इस स्थिति में अनिवार्य वार्षिकी पेंशन राशि का 80 प्रतिशत होगी।

नए़ पेंशन प्रणाली की रचना

(i) इसके पास केंद्रीय रिकार्ड संरक्षण एवं लेखांकन (सीआरए) अवसंरचना होगा। कए़ पेंशन कोष प्रबंधकों (पीएफएम) को योजना की तीन श्रेणियां दी जाएगी जो क, ख तथा ग हैं

(ii) भाग लेने वाली संस्थाओं (पीएफएम तथा सीआरए) को पिछले अनुभव के बारे में आसानी से समझ आने वाली जानकारी मुहैया कराए़ जाएगी जिससे व्यक्ति प्राप्त सूचना के आधार यह फैसला कर सके कि कौन सी योजना का चुनाव करना हैं।

2. नए़ पेंशन प्रणाली के संचालन हेतु प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2004 से होनी चाहिए।

यू.के सिन्हा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-VIII

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नए़ दिल्ली, 24 नवंबर, 2000

आयकर

एस.ओ. 1048 (ए़) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 10 के वाक्यांश (18) के उप-वाक्यांश (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा केंद्र सरकार तत्संबंधी कॉलम 3 के अनुरूप निर्दिष्टानुसार

स्थितियों में दिए गए पुरस्कार का नीचे दी गइ तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट कथित धारा के अनुसार वीरता पुरस्कार का उल्लेख करती हैं,

तालिका

क्र.सं.	वीरता पुरस्कार का नाम	पात्रता हेतु परिस्थितियां
(1)	(2)	(3)
1.	अशोक चक्र	जब नागरिक को वीरता हेतु पुरस्कृत किया जाए
2.	कीर्ति चक्र	-तदैव-
3.	शौर्य चक्र	-तदैव-
4.	सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक	जब जीवन रक्षक कार्य प्रदर्शित करने की स्थिति में नागरिक को बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाए
5.	उत्तम जीवन रक्षा पदक	-तदैव-
6.	जीवन रक्षा पदक	-तदैव-
7.	वीरता हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक	तब पुरस्कृत किया जाता हैं जब पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस अथवा सुरक्षा बलों तथा इस कार्य के लिए संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किए गए सदस्यों ने अविश्वसनीय बहादुरी का परिचय दिया हो
8.	वीरता हेतु पुलिस पदक	-तदैव-
9.	सेना पदक	तब पुरस्कृत किया जाता हैं जब साहस अथवा विशिष्ट वीरता का परिचय दिया जाए तथा प्रासंगिक सेवा मुख्यालय द्वारा इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाए
10.	नव सेना पदक	-तदैव-
11.	वायुसेना पदक	-तदैव-
12.	वीरता हेतु अग्निशमन सेवा पदक	तब पुरस्कृत किया जाता हैं जब साहस अथवा विशिष्ट वीरता का परिचय दिया जाए तथा पिछले मुख्यालय द्वारा इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाए
13.	वीरता हेतु राष्ट्रपति पुलिस व अग्निशमन पदक	-तदैव-
14.	वीरता हेतु राष्ट्रपति अग्निशमन पदक	-तदैव-
15.	वीरता हेतु राष्ट्रपति होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा पदक	-तदैव-
16.	वीरता हेतु होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा पदक	-तदैव-

(अधिसूचना सं. 1156/एफ.सं. 142/29/99-टीपीएल)

टी.के. शाह

निदेशक

परिशिष्ट IX

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नर्इ दिल्ली, 29 जनवरी, 2001

एस.ओ. 81 (र्इ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 10 के वाक्यांश (18) के उप-वाक्यांश (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) संख्या एस.ओ. 1048(र्इ), दिनांक 24 नवंबर, 2000 में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन को करने के उद्देश्य से तथा कथित धारा के उद्देश्य के लिए वीरता पुरस्कार को निर्दिष्ट करती हैं :-

कथित अधिसूचना के अनुसार तालिका में 'पात्रता हेतु परिस्थितियों' से संबंधित कोष्ठक (3) के अंतर्गत क्रमांक संख्या 1, 2 तथा 3 के समक्ष शब्दों में 'नागरिक हेतु" शब्द छूट गया हैं।

(अधिसूचना सं. 22/एफ सं. 142/29/99-टीपीएल)

टी.के. शाह
निदेशक

परिशिष्ट X

प्रपत्र सं. 10खक
(नियम 11ख देखें)
धारा 80 छ्छ के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले
निर्धारिती द्वारा दाखिल किए जाने वाला घोषणापत्र

मैं/हम...
(स्थार्इ खाता संख्या सहित निर्धारिती का नाम) एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि पिछले वर्ष................के दौरान मैंनें/हमने ....माह की अवधि के लिए मेरे/हमारे रहने के उद्देश्य से परिसर..(परिसर का पूरा पता) को अधिगृहित किया था तथा श्री/कुमारी/श्रीमती..(मकान मालिक का नाम व पूरा पता) को नकद/रेखांकित चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रू..........................का भुगतान किया।

आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निम्न द्वारा कोर्इ अन्य आवासीय अकोमोडेशन नहीं खरीदा गया है

क) मैं/मेरे जीवनसाथी/मेरे छोटे बच्चे/हमारा परिवार (निर्धारिती के एचयूएफ होने की स्थिति में), ...जहां मैं/हम साधारणतय: रहते/कार्यालय अथवा रोजगार अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय करते है अथवा

ख) मेरे/हमारे, अन्य स्थान होने पर, मेरे अधिकार क्षेत्र में आवास होने पर, जिसकी राशि धारा 23(2)(ख) की धारा 23(2)(क)(i) के अतर्गत निर्धारित की जानी है।

******